राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६०, का १७वां दिवस [संख्या १२

शुक्रवार, दिनांक ११ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजकर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, गृह, उद्योग एवं वाणिज्य, सहकारी, खादी ग्रामोद्योग, पंचायत, कृषि, खाद्य एवं रसद, पशुपालन तथा विकास-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

(विराम)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

साहित्यिकों को पुस्तकों पर दिया जाने वाला पुरस्कार

३३१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार ने राज्य के साहित्यिकों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों पर पुरस्कार देने की कोई व्यवस्था की है ?

(२) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या क्या नियम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(३) अब तक किन किन लेखकों को, उनकी किन किन रचनाओं पर कितना कितना पुरस्कार दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न संख्या ४

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एक साहित्यिक को कितना पुरस्कार दिया जाता है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक, दो तीन है। लेकिन यहां पर एक, दो, चार लिखा है; है तीन।

श्री मूलचन्द डागा : एक साहित्यिक को कितना पुरस्कार दिया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १९५९-६० में एक हज़ार से दो हज़ार तक।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह पुरस्कार उनके लिये उपयुक्त है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपयुक्त समझ कर ही समिति द्वारा रखा गया है ?

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह पुरस्कार समिति के निर्णय के अनुसार ही दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : पुरस्कार देने-वाली समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे उनकी जानकारी नहीं है कि कौन कौन सदस्य हैं। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि इसके लिये एक्सपर्ट लोग मुकर्रर किये जाते हैं और वे ही इसका निर्णय करते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या ऐसी बात भी सरकार के ध्यान में आई है कि समिति के सदस्य के पास पुस्तक पहुँची ही नहीं और बिना विचार-विमर्श किये ही यह किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं आई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं आपको स्पेसिफिकली नाम बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जन सम्पर्क अधिकारी, डूंगरपुर के रिक्त पद पर हुई नियुक्ति

३३२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सितम्बर, ५८ में श्री अनन्तकुमार अग्रवाल की नियुक्ति जन सम्पर्क अधिकारी, डूंगरपुर के पद पर की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो श्री अग्रवाल ने डूंगरपुर में कब कार्यभार संभाला ?

(ग) क्या यह सही है कि स्थानीय जिलाधीश ने कई बार संचालक महोदय को इस पद पर कार्य करने हेतु किसी जन सम्पर्क अधिकारी को भेजने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो कब ?

(घ) क्या यह सही है कि गृह विभाग से भी श्री ए. के. अग्रवाल को तुरन्त डूंगरपुर रवाना करने के लिये लिखा गया था ?

(ङ) यदि हां, तो न भेजने के कारण बताये जावें तथा यह बताया जावे कि जन सम्पर्क अधिकारी, डूंगरपुर, का पद खाली

Page No.3

(श्री भैरोंसिंह)

क्यों रखा गया तथा उस पद के लिये नियुक्त जन सम्पर्क अधिकारी को तनख्वाह किस पद एवं कार्य के लिये व क्यों दिलवाई गई ?

(च) क्या इस संबन्ध में विभाग ने सरकार से आज्ञा प्राप्त कर ली थी ? यदि हां, तो कब ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) श्री अनन्तकुमार अग्रवाल नाम के तो कोई पी. आर. ओ. नियुक्त नहीं हुये थे किन्तु आनन्दकुमार अग्रवाल की नियुक्ति जन सम्पर्क अधिकारी, डूंगरपुर के पद पर हुई थी। उन्होंने ता० २५-६-५६ को मुख्य कार्यालय, जयपुर में इस पद का कार्यभार संभाला था ।

(ख) डूंगरपुर जाकर उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला ।

(ग) यह सही है । जिलाधीश ने ता० ३०-१०-५८,१६-६-५८ तथा २-१-५६ को जनसम्पर्क अधिकारी भिजवाने के लिये लिखा था ।

(घ) जी हां ।

(ङ) क्योंकि श्री अग्रवाल की सेवा "भारत १६५८" दिल्ली प्रदर्शनी के संबन्ध में, इसके बाद भीलवाड़ा, अलवर आदि में लगाये जानेवाली प्रदर्शनी के लिये आवश्यक थी और इस कार्य के लिये किसी अधिकारी का पद अलग से स्वीकृत नहीं है । अत : श्री अग्रवाल को इस कार्य के लिये लगाना पड़ा । श्री अग्रवाल को जन-सम्पर्क अधिकारी डूंगरपुर, के पद से वेतन दिलाया गया ।

(च) जी हां । बाद में आज्ञा प्राप्त कर ली गई थी, ७. ८. ५६ से ।

श्री भैरोंसिंह : डूंगरपुर में किस आज्ञा के द्वारा इनको लिया गया और कहां से यह आज्ञा प्राप्त हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो पोस्ट सैंक्शन थी, उसके खिलाफ एपोइन्टमेंट किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : पोस्ट सैंक्शन के अगेन्स्ट में एपोइन्टमेंट करने का अधिकार डाइरेक्टर को था या गवर्नमेंट को था ? आपके यहां इसके लिये क्या व्यवस्था है ? किसी भी डी. पी. आर. ओ.को डाइरेक्टर एपोइन्ट कर सकता है या नहीं या गवर्नमेंट करती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : टेम्पोरेरी कर सकते हैं । पी. एस. सी. को पूछा है ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जावे कि यह एपोइन्टमेंट डूंगरपुर में टेम्पोरेरी किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि वह एपोइन्टमेंट तो टेम्पोरेरी था ? क्या यह टेम्पोरेरी था या पर्मानेन्ट था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो एग्जिबिशन में लगाया गया, इसलिये था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हैड ऑफ डिपाटमेंट, जब तक स्टेट गवर्नमेंट की

Page No.4

(श्री भैरोंसिंह)

तरफ से कोई आदेश न मिले, तब तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि यह एग्ज़िबिशन के लिये था। एग्ज़िबिशन के लिये कोई सेपरेट स्टाफ है नहीं इसलिये उन्होंने इनको वहां भेजा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न साफ है कि कोई भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेंन्ट ऐसा सरकार की आज्ञा के द्वारा, जिसकी नियुक्ति वह नहीं कर सकते, सरकार से कोई आज्ञा प्राप्त की ?

श्री रामकिशोर व्यास : बाद में सरकार से आज्ञा प्राप्त कर ली।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आया वे बिना सरकार की आज्ञा के एपोइन्टमेंट कर सकते थे या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास: इन एन्टीसिपेशन कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसकी भी सीमा होती है ? एक आदमी को ५८ के अप्रेल में लिया और सन् १९५९ में गवर्नमेंट के पास सूचना करे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सारी बातें फैक्ट्स पर डिपेन्ड करती हैं। मैंने साफ बताया है कि एग्ज़िबिशन के लिये कोई सेपरेट स्टाफ नहीं है। उन्होंने इसके लिये सेंक्शन ले ली।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि काम उनसे ही लिया था। बजट में कोई पोस्ट नहीं थी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने खुद ने भी कहा है।

श्री भैरोंसिंह : जब पोस्ट बजट में नहीं थी तो इन–एन्टीसिपेशन डूंगरपुर में जाकर काम करना था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने स्पष्ट कहा कि एग्ज़िबिशन चलाना जरूरी था। इसके लिये अलग से स्टाफ नहीं था इसलिये गवर्नमेंट को एग्ज़िस्टिंग स्टाफ में से लगाना जरूरी था।

श्री भैरोंसिंह : गजटेड पोस्ट से लगाया जा सकता है। मगर नियुक्ति की बात है।

श्री रामकिशोर व्यास : कर सकता है और कभी भी कर सकता है।

आर.सी ए. इन्डस्ट्रीज धान का फड, बीकानेर को परमिट का लोहा न मिलना

२३३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आर. सी. ए. इन्डस्ट्रीज़ धान का फड बीकानेर को लघु उद्योग कार्य के लिये लोहे का कोटा कितना और कब मिला ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उसे परमिट का माल न मिलने की वजह से उसका उद्योग बन्द है ?

(ग) ऐसी कौन २ सी फर्मों ने उसको परमिट का माल कब से नहीं दिया और क्यों ?

Page No.5

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा,) : (क) आर.सी.ए. इन्डस्ट्रीज़ को ५६-६० में कोटा दिया गया है जिसकी विगत निम्न प्रकार है :

पहली तिमाही	७ टन
दूसरी तिमाही	५ टन
तीसरी व चौथी तिमाही	१० टन
	२२ टन

(ख) ऐसी सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) परमिट का माल पार्टी अपनी पसन्दवाले कन्ट्रोल स्टोकिस्टों के जरिये मंगवाती है । अतः इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है । अगर पार्टी इस विभाग को इस विषय में अपनी मुसीबत पेश करती तो अवश्य ही वाजिब कार्यवाही की जाती ।

श्री मुरलीधर व्यास : परमिट तो सरकार इश्यू कर देती है लेकिन परमिट देने के बाद पार्टी को माल नहीं मिलता है तो इसका इलाज क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं उत्तर दे चुका हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका उत्तर नहीं दिया है । सरकार परमिट इश्यू कर देती है, लेकिन....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया था कि परमिट इश्यू करने के बाद कोई जिनाइन डिफिकल्टी पार्टी सरकार के नोटिस में लावे तो उनकी जिनाइन डिफिकल्टी सरकार द्वारा दूर कराई जा सकती है । उन्होंने कोई ऐसी सूचना सरकार को नहीं दी ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या फर्म ने, परमिट का माल नहीं दिया जाता है, इसकी सूचना नहीं दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा 'ना' । नहीं दी गई ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

गंगानगर क्षेत्र में एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा गेहूँ का क्रय-विक्रय ।

३३४. **श्री पी.के. चौधरी** (फुलेरा): Will the Cooperative Minister be pleased to state:—

At what rate the Apex Marketing Societies purchased Wheat in Ganganagar area during the 2nd and 3rd quarter of the year 1959 and at what rate it supplied the same to the Primary Marketing Co-operative Societies for sale ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : गंगानगर क्षेत्र में एपेक्स मार्केटिंग सहकारी समितियों ने सन् १९५९ के मध्य और तीसरे भाग में गेहूँ दड़ा १३ व १४ रु० प्रति मन और फार्मी १४ व १५ रु० प्रति मन खरीदा और प्राइमरी मार्केटिंग सहकारी समितियों को वह बेचने के लिये तीन आना प्रति मन व खाली बोरी कमीशन के रूप में दिया जा रहा है ।

श्री पी. के चौधरी : प्राइमरी सोसाइटीज़ को आपने किस रेट से दिया ?

Page No.6

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन आना कमीशन और खाली बोरी।

श्री पी. के. चौधरी : At what rate, that means you have supplied at-/14/-

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस भाव से खरीदा उसके एडीशन में तीन आना और एक खाली बोरी कमीशन दिया।

श्री पी. के. चौधरी : Is it a fact that you have supplied @ 17/—

श्री नाथूराम मिर्धा : इन सहकारी समितियों को बेचने की बात थी।

श्री पी. के. चौधरी : १७) रु. मन के भाव से तय किया, तीन आना कमीशन तय किया to get from the dealers.

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टोर चार्जेज़ हैं और दूसरे चार्जेज़ हैं।

श्री पी. के. चौधरी : My question was, it is not what Commission you have allowed with the Societies.... आपने जबाब दिया कि प्राइमरी सोसाइटीज़ को दिया, उसको ट्रान्जेक्शन से क्या कमीशन मिला? आपने १४ रु० मन में खरीदा और फिर कितने में उनको सप्लाई किया? आपने १७) रु. में सप्लाई किया।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। मार्केटिंग सोसाइटीज़ को २ रु० २ आना मन के हिसाब से स्टोरेज इन्टरेस्ट चार्जेज़ के दिये और यह एक साल के लिए स्टोरेज का था। जो गेहूं १४) रु० में खरीदा था उसको १६।।) रु० में बेचने की व्यवस्था की गई थी।

श्री पी. के. चौधरी : प्राइमरी सोसाइटीज़ को १६।।) रु० और १७) रु० में दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिटेलर्स को १६।।) रु० में देने की बात थी। बेचने वाले को आठ आना मन कमीशन देना तय किया, इस तरह से १७) रु० मन में तय किया।

श्री पी. के चौधरी: Is it a fact that the Apex society has retained margin between their cost price and selling price which is in the tune of about Rs. 3/-

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि दो रु० २ आना कुल चार्जेज़ दिये। उसमें स्टोरेज इन्ट्रेस्ट चार्जेज़ हो गये, १४) रु० में खरीदा वह १६) रु० २ आना में दिया और कमीशन वहां दिया। जैसे जोधपुर में बेचने की बात थी उसको १७।।) रु. मन में बिकवाया। क्योंकि गंगानगर से वहां ले जाने के लिए १४ आना और रिटेलर्स को आठ आना, ये सब १७।।) रु० में शामिल किये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): १८) रु० में भी गेहूं बिकवाया गया है वहां पर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो गेहूं १५) रु० में खरीदा गया उसमें भी ३) रु० का मार्जिन रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अन्दर आपने कहा कि दो रुपया दो आना स्टोर खर्चा वगैरह लिया, यह कैसे लगा?

Page No.7

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिए हमने कॉन्ट्रेक्ट किया। कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट और हमारे डिपार्टमेन्ट दोनों ने मिल कर हिसाब लगाया था। इन्ट्रेस्ट भी शामिल है, १० आना, १२ आना की रेट आती है। जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अन्दर दो रुपया दो आना तय किया गया है।

श्री पी. के. चौधरी : प्राइमरी सोसाइटी के मेम्बर्स हैं उनको मार्केट रेट से सप्लाई करते थे, उनको कम रेट से सप्लाई किया या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खर्चा तो दो रुपया दो आना है गंगानगर से जो चार्जेज़ रखे हैं और उसके बाद आठ आना और दूसरे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : प्राइमरी सोसाइटी के पर्सनल हैं उनको ठीक रेट से सप्लाई नहीं किया तो उनको उनके मेम्बर बनने से क्या फायदा हुआ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिटेलर्स कमीशन बेचनेवालों को मिला।

श्री पी. के. चौधरी : मेम्बर्स को क्या फायदा हुआ?

श्री मुरलीधर व्यास : इस तरह से १३) रु०, १४) रु० मन में कोई व्यापारी खरीदे वह बीकानेर में १५॥) रु० मन में देता है। जोधपुर लाये तो १६) रु. में देगा। वह आपसे १७॥) रु०, व १८) रु०, में क्यों खरीदेगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : व्यापारियों के स्टोर का इन्ट्रेस्ट नहीं लगता है। आज व्यापारी गंगानगर में खरीद लेता है वह एक सप्ताह बाद जोधपुर में बेच देगा। लेकिन यहां तक एक साल के लिए स्टोर्स का तय किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : गंगानगर में कोऑपरेटिव सोसाइटी आयी और वहां से खरीदा और १७) रु. में बेचा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That is not a fact.

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे मालूम है और मैं आपको यह बता रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप कह रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचंद डागा।

सेल्स एम्पोरियम, जयपुर, की बकाया रकम की वसूली

३३५. **श्री मूलचंद डागा** (पाली) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सेल्स एम्पोरियम, जयपुर, के विभिन्न विभागों की प्राइवेट व अन्य लोगों में ३४,०००) रुपयों की रकम बकाया है? यदि हां, तो किन किन में और कब से? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) सरकार इस बकाया रकम को वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) जी

Page No.8

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हां। ३७,६५२ रु०, ३१ न. पै. की रकम बकाया है। चाही गई सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) उपरोक्त रकम में से २२,१०१ रु० ६१ नये पैसे विभागीय बिक्री केन्द्रों से लेने हैं। जिसके लिए जमा-खर्च (एडजस्टमेन्ट) की कर्यवाही जारी है, बाकी रकम की वसूली के लिए पत्र-व्यवहार, व्यक्तिगत संपर्क एवं पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अजमेर, की अदालत में गुम हुई फाइलों के मामले की जांच

३३६. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या अजमेर के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत से जो फाइलें गुम हो गई थीं और उसके बारे में जिला मजिस्ट्रेट जो जांच कर रहे थे, क्या वह जांच पूरी हो गई है ?

(२) अगर हां, तो जांच का क्या नतीजा निकला ?

(३) अगर जांच पूरी नहीं हुई, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं और यह जांच अब कब तक पूरी हो जावेगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) अभी जांच पूरी नहीं हुई है।

(२) जांच पूरी होने के बाद कहा जा सकता है।

(३) जांच जल्दी ही समाप्त करने के आदेश दिये जा रहे हैं। कुछ स्टाफ की मंजूरी चाही गई थी।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जांच कब की गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका होम डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से है। मैंने तो जवाब दे दिया।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मजिस्ट्रेट कोर्ट्स तो आपके अन्डर में ही हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : (अश्रव्य)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, उसके बाद यह कहना कि रेवेन्यू विभाग से सम्बन्ध है आपके रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से जानकारी लेनी थी। Now it is not the duty of the Hon'ble Member to-retable the question.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : पहले के सत्र मे भी कहा था कि जल्दी इन्क्वायरी पूरी हो जायेगी।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका कहना यह सही है कि इसमें देर लगी है, अब हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : पुलिस कार्यवाही या डिपार्टमेन्टल ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्टल।

सरकार व तहसील सरपंचों की आज्ञा की अवहेलना करनेवाले सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही

३३७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जयपुर के कितने सरपंचों के खिलाफ तहसील सरपंचों की व सरकार की आज्ञा न मानने की शिकायतें आई हैं?

(ख) सरकार ने इस तरह की आज्ञा न माननेवाले सरपंचों के खिलाफ कब तक क्या क्या कार्यवाही की ?

(ग) क्या यह सत्य है कि तहसील कोटपुतली के कांसली ग्राम के सरपंच ने तहसील सरपंच, जिला पंचायत अधिकारी की आज्ञा का उल्लंघन किया है?

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इन सरपंचों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) सरपंच को पृथक किये जाने की कार्यवाही जारी है और सुनवाई का दिनांक १८।४।६० निश्चित किया हुआ है।

प्रश्न संख्या ३३८.

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित)

टौंक जिले के सरकारी एवं प्राइवेट कैटल ब्रीडिंग फार्म्स

३३९. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि टौंक जिले में कैटल ब्रीडिंग के लिये फार्म्स हैं ? अगर हां, तो सरकारी और प्राइवेट कितने कितने हैं ? कृपया सूची तहसील वाइज़ सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या यह सही है कि प्राइवेट फार्म्स के मालिकों को पशु खरीदने के लिये सरकार द्वारा कोई धनराशि भी दी जाती है ? यदि हां, तो सन् १९५८-५९ व ५९-६० में अब तक कितनी कितनी धन-राशि किन-किन को दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त फार्म्स सरकार द्वारा रजिस्टर किये जाते हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने तहसील वाइज़ रजिस्टर किये गये हैं ? टौंक जिले में उक्त फार्म्स कितने रजिस्टर होने बाकी हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी हां। सरकारी फार्म एक भी नहीं है। प्राइवेट कैटल ब्रीडिंग फार्म्स की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) प्राइवेट फार्म्स को नियमानुसार चलानेवालों को अच्छी नस्ल के पशु खरीदने के लिये पंचायत समिति से धन-

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

राशि दी जा सकती है। ५८-५६ व ५६-६० में अब तक जिन जिन को ऐसी धनराशि दी गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी हां। प्रश्न (क) के उत्तर में जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है उसमें से पहले ग्यारह फार्म प्रोविज़नली रजिस्टर हो चुके हैं उनको अभी पक्के तौर पर रजिस्टर होना बाकी है। इसके अलावा उक्त सूची का बारहवां फार्म भी रजिस्टर होना बाकी है। इसके अतिरिक्त बाकी पांच फार्म जिनके लिये धन राशि दी गई है जब वे स्थापित हो जायेंगे उन्हें भी रजिस्टर किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिनके पक्के रजिस्टर होने बाकी हैं वे कब तक हो जावेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जल्दी कोशिश करेंगे, कुछ जाब्ता कार्यवाही बाकी रही होगी।

पाली तहसील में घरेलू उद्योगों के लिये दिया गया ऋण

३४०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली तहसील में किन किन घरेलू उद्योगों के लिये आज तक किन किन को कितना कितना लोन दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) जिस जिस गृह उद्योग के लिये सरकार ने धनराशि दी है क्या वह उसी काम में जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा,) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक कलेक्ट नहीं हो सका इसलिये इसे अगली टर्न पर रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

शिक्षकों की सीनियोरिटी का आधार

३४१. श्री दयांकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सीनियोरिटी योग्यता बढ़ाने की तिथि से गिनी जाती है या ग्रेड पाने की तिथि से अथवा नियुक्ति की तिथि से ?

(ख) क्या इन्सपेक्टर, शिक्षा विभाग, कोटा, की आज्ञा दिनांक १४-११-५६ के अनुसार दिनांक १-७-५५ से कुछ अध्यापकों की नये ग्रेड में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों की तथा किस आधार पर ?

(ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग की इस आज्ञा के विरुद्ध दिनांक २४-१-५७ से लगा कर दिनांक २६-११-५६ तक विभिन्न अध्यापकों के द्वारा रिप्रेजेन्टेशन्स डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर को भेजे गये हैं ?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(घ) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर, शिक्षा विभाग, कोटा ने अपनी इस गलती को आज्ञा क्रमांक २६१६२-६४ दिनांक ३०-६-५८ में स्वीकार भी किया है ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसका उत्तर भी मैं अगली टर्न पर दूंगा ।

भरतपुर जिले में नमक उद्योगों को फिर से जारी कराने की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश

३४२. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि भूतपूर्व भरतपुर राज्य के कई भागों में कुंओं के पानी से नमक तैयार होता था ?

(२) क्या इस नमक उद्योग से उस समय वहां के हजारों लोगों की जीविका चलती थी तथा उससे कई लाख रुपयों की आय भी होती थी ?

(३) क्या सरकार वहां की जनता की मांग पर नमक उद्योग को छोटे व बड़े पैमाने पर फिर से जारी कराने की केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां ।

(२) इस उद्योग से लोगों की जीविका चलती थी और आय भी होती थी । मगर कितनी आय होती थी, इसकी सूचना इस विभाग में नहीं है ।

(३) नमक चलाने की कोशिश मत्स्य बनाने के बाद ही की जा रही है । करीब ५,६ पार्टियों को २५ बीघा जमीन नमक बनाने के लिये दी गई थी । अभी हाल में जिलाधीश, भरतपुर को १० एकड़ जमीन नमक बनाने को प्रोस्पेक्टिव एन्टी प्रोन्योर के लिये आदेश दे दिये हैं और अलॉटमेंट के नियम भी भेज दिये हैं ।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सॉल्ट कमिश्नर द्वारा मनोनीत एक्सपर्ट इस एरिया की जांच कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या इस सम्बन्ध में सरकार के सामने डॉ० गोडबोले की रिपोर्ट है या नहीं, उस पर अमल किया गया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गोडबोले की रिपोर्ट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मत्स्य सरकार के बाद में डॉ० गोडबोले को खास तौर से नमक उद्योग को पनपाने के लिये रखा था । उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट दी और इस बात की सिफारिश की थी कि राज्य सरकार नमक उद्योग को बढ़ाये । उस रिपोर्ट पर क्या कर रहे हैं ?

Page No.12

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : वहां पर पार्टीज़ लेना चाहेंगी तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पार्टीज़ लेने के पहले, कुछ सुविधायें चाहती हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सुविधाओं के बारे में मेरे सामने यह विभाग बहुत दिनों तक रहा परन्तु कोई भी आया नहीं कि अमुक-अमुक सुविधायें दी जायं तो वे कर सकते हैं । माननीय सदस्य जो दिक्कतों आदि के बारे में कह रहे हैं, वे मेरे ध्यान में नहीं हैं । हो सकता है डॉ० गोडबोले ने रिपोर्ट भी दी होगी । वहां के लोग किस प्रकार की सुविधा चाहते हैं वह ध्यान में लाई जायेगी तो सरकार उस पर विचार कर सकती है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : लोग ये सुविधायें चाहते हैं पुराने कूए क्यारिय चाहते हैं, उसके साथ साथ बिजली भी चाहते हैं ! और ये सुविधाएं मिल जाती है तो कम्पीटशन में चल सकती हैं और अच्छा लाभ उठा सकते हैं ।

पंचायत सोमेसर के सरपंच द्वारा दिये गये त्याग पत्र पर कार्यवाही

३४३. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची सु०) : क्या पंचायत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि पंचायत सोमेसर के सरपंच ने अपना त्यागपत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जी हां । लेकिन सरपंच का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था कि मैंने त्याग-पत्र नहीं दिया, उस पर कलेक्टर द्वारा जांच हो रही है ।

श्री मनरूपराम परिहार : जांच के ऑर्डर्स कब दिये गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जांच तो यह कर रहे हैं कि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि त्यागपत्र दे दिया और देनेवाला कह रहा है कि मेरे दस्तखत नहीं हैं ।

श्री मनरूपराम परिहार : मेरा प्रश्न यह था कि जांच कब से हो रही है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १६-१०-५६ से ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जब सरपंच ने दस्तखत कर दिये, फिर जांच से क्या मतलब ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यही तो जांच हो रही है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरपंच के दस्तखत नहीं हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह कहते हैं जाली हैं ।

प्रश्न संख्या ३४४ ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचंद्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

साइकिलों, सीने की मशीनों इत्यादि के निर्माण हेतु लोहे के कोटे का निर्धारण

३४५. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Civil Supplies Minister be pleased to place on the table of the House a list showing the names and addresses of the manufacturing concerns, producing cycle, cycle-parts, sewing machines, wire, nails, nettings nuts and bolts and the quota of iron and steel allotted to each of these concerns during the last three years ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : The required list has been laid out on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : यह जो कोटा अलॉटमेन्ट होता है वह किस बेसिस पर किया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बेसिस तो यह है कि उनकी डिमान्ड और रिक्वायरमेन्ट आदि सब को देख कर करते हैं । जानकारी डिविज़नल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स की कमेटी है । जिसका हैड क्वार्टर केपिटल में है वे डिमान्ड्स जांच करके प्रस्तुत करते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जिनको आप कोटा देते हैं और जिस चीज के लिये देते हैं चाहे वे उस चीज को बनायें या न बनायें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर बननी चाहिये । .

श्री श्रीभानसिंह : जरूर बननी तो चाहिये लेकिन जो आपने लिस्ट दी है उसमें बताया गया है कि उनका प्रोडक्शन निल है, आप उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सूचना दीजिये ।

श्री श्रीभानसिंह : सूचना मैं क्या दूँ, सूचना तो सीधी रखी है । इसमें लिखा हुआ है कि जिनको कोटा अलॉट किया है उनका प्रोडक्शन निल है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोडक्शन निल रखने से यह तो मतलब नहीं कि वे कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं । कोटा ५८ से देना शुरू किया गया, मशीनें लगा रहे होंगे, उनकी कोशिश चालू रही होगी ।

श्री श्रीभानसिंह : मशीनें लगाने के पहले ही आपने कोटा कैसे अलॉट कर दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ताकि मशीनें लगने के तुरन्त बाद ही प्रोडक्शन चालू कर दें ।

श्री श्रीभानसिंह : तो आपकी पॉलिसी के मुताबिक कहीं भी वह सामान जाय, कोटा जरूर मिल जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं होता है । यह होता तो बराबर एक्शन लेते ।

श्री श्रीभानसिंह : आप तो यह बता दीजिये कि किसके अगेन्स्ट में एक्शन लिया है

(श्री भीमसिंह)

आपने ? जो सूची दी उसमें मोरिटी ने कोई पार्ट नहीं बनाये, न साइकिल बनायी, फिर भी कोटा अलॉट करते जा रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ऑफ हैन्ड नहीं कह सकता कि किस किस को सजा दी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : जो कोटा दिया गया वह सामान उनके पास मौजूद है या नहीं ? अगर वे सामान नहीं बनाते हैं तो सारा सामान उनके पास मिलना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी पर्टिकुलर केस की जानकारी दें तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं। जिस किसी को भी कोटा दिया गया है उनको चाहिये कि उनकी इन्डस्ट्री चालु होने के बाद उसको काम में लेना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : डिमान्ड के ऊपर आप स्क्रूटिनी करते होंगे। फिर परमिट अलॉट करते होंगे। डिमान्ड उस आधार पर स्क्रूटिनाइज़ करते होंगे कि कोरेस्पोन्डिंग क्वार्टर में क्या कन्ज़म्प्शन रहा, उसके नेक्स्ट क्वार्टर पर क्या था ? कुछ फर्म्स ऐसी भी है कोरे-स्पोन्डिंग क्वार्टर ५८–५६ में और ५६–६० का हम देखते हैं देअर आर सर्टेन फर्म्स का कोटा टेन टाइम्स बढ़ गया है, तो यह आपने किस बेसिस पर स्क्रूटिनी की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काम करने के साधन बढ़ गये होंगे, इसलिये प्रोडक्शन भी बढ़ गया होगा।

श्री पी० के० चौधरी : प्रोडक्शन क्या इस तरह बढ़ जाता है कि दस टन का पचास टन हो जाता है, ५६–६० में जहां १२ टन दिया जाता था वहां १०६ टन ! इसमें आपका प्रिन्सिपल क्या है ? क्या जितनी डिमान्ड आती है उतनी ही का आप परमिट दे देते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि आपने कहा ५८–५६ के फर्स्ट सिकन्ड और थर्ड क्वार्टर में तीन गुना, चार गुना या दस गुना हो गया। मेरा यह कहना है कि प्रोडक्शन बढ़ गया होगा उसी को ध्यान में रख कर दिया गया है।

भीलवाड़ा में अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण

३४६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भीलवाड़ा नगर के लिये सरकार द्वारा पिछले वर्षों में अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कितनी रकम दी गई है ?

(ख) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर में यह कर्ज ऐसे व्यक्तियों को दिया गया जिनके निजी मकान थे तथा ऐसे किसी मकान के लिये भी कर्ज दिया गया जो केवल दूसरी या तीसरी मंजिल बनाने के लिये ही था ?

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को ऋण दिये गये उन्होंने मकान बना कर किराये पर दे दिये हैं ? यदि हां, तो भीलवाड़ा में इस प्रकार की अनुचित कार्यवाही करनेवालों के विरूद्ध क्या किया गया ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(घ) क्या ग्राम मलाण, तहसील भीलवाड़ा में किसी व्यक्ति को अल्प आय गृह योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया, जो गैर कानूनी है? यदि हां, तो इस पर किसने तस्दीक की थी तथा क्या तस्दीक करनेवाले के प्रति कोई कार्यवाही की गई?

योजना मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) भीलवाड़ा नगर के लिये अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दी गई धन-राशि निम्न प्रकार है :

१९५५-५६	३,३०,००० रु०
१९५६-५७	१,००,००० रु०
१९५७-५८	९५,००० रु०
१९५८-५९	८५,००० रु०
१९५९-६०	१,००,००० रु०
योग	७,१०,००० रु०

(ख) जी हां, चार व्यक्तियों को उनके निजी मकान होते हुए भी ऋण दिया गया है। अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत जिनके स्वयं के मकान हैं उनको भी ऋण देने का प्रावधान है, यदि नये मकान में वे स्वयं निवास करें। एक व्यक्ति को दूसरी मंजिल बनाने के लिये भी ऋण दिया गया है जो अनियमित है। इस विषय में जांच की जावेगी।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत भी मकान बने हैं। उनमें से कुछ में तो ऋणी स्वयं रहते हैं व कुछ मकानों में ऋणी एवं किरायेदार दोनों ही रहते हैं। आवश्यकता से अधिक मकान का भाग किराये पर दिया जा सकता है। यह योजना विभाग द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने सारे मकान किराये पर दे रखे हैं उनकी जांच की जावेगी।

(घ) यह ऋण गैरकानूनी नहीं है क्योंकि मलाण ग्राम, भीलवाड़ा म्यूनिसिपल एरिया में आता है। अतः तस्दीक करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : मलाण गांव में जो सहायता दी गई है कौन से सन् में दी गई थी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सन् तो ठीक तौर से याद नहीं, पर शायद तीन एक साल पहले दी गई थी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उस समय यह गांव म्यूनिसिपल एरिया में आता था?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं ठीक तो नहीं कह सकता पर मालूम ऐसा पड़ता है कि काफी अर्से से यह गांव म्यूनिसिपल एरिया में है।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे सूचना है कि वह गांव उस वक्त म्यूनिसिपल एरिया में नहीं था, साल भर बाद में आया। इस तरह पहले देना क्या गैरकानूनी नहीं है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस समय मलाण था या नहीं यह निश्चित तौर से अभी कुछ नहीं कह सकता पर महीने-दो महीने का फर्क हो तो मुझे जानकारी नहीं। पर मलाण गांव को म्यूनिसिपल एरिया में लिया

Page No.16

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाना चाहिये यह स्कीम तो पांच छः साल से चल रही थी, यह मुझे ध्यान है । अब ऑफिशियली कब शरीक किया गया, यह नहीं जानता । पर यह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भीलवाड़ा में खुली और उसके मेम्बर कुछ उस गांव में रहते थे और आज तो यह भी म्यूनिसिपल एरिया में है। इसलिये उस लोन के देने में कोई गैरकानूनी कार्यवाही किये जाने की बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी जानकारी है कि उस वक्त यह मलाण म्यूनिसिपल एरिया में नहीं था और ऐसी स्थिति में उस समय ऋण देना क्या गैरकानूनी नहीं था? और अगर है, तो उस पर क्या एक्शन लिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी मुझे और जानकारी करनी होगी कि उस वक्त था या नहीं । आज की स्थिति तो बता दी ।

श्री मुरलीधर व्यास : एक मकान रहते हुए भी दूसरे के लिये सहायता दी जा सकती है और इसके साथ यह भी कहा गया कि किराये पर भी दे सकता है और जिसका घर है फिर भी दूसरे मकान के लिये लोन ले सकता है तो क्या हर आदमी इस तरह लोन ले सकता है ? मकान तो जिसके पास नहीं है उसके लिये यह योजना हम तो समझ रहे थे । आप कहते हैं, सबके लिये है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक मकान में ज्यादा परिवार वाले हैं और उस हालत में दूसरा बनाना चाहें तो उसको एग्ज़ामिन करके आज्ञा देने के लिये कलेक्टर ऑथराइज्ड है, वह दे सकता है । जहां रहते हैं वहां अगर एकोमोडेशन और हो तो दूसरे को किराये पर भी दे सकता है। इसमें ऐतराज नहीं समझा गया है । एकोमोडेशन में रिलीफ मिलती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसे कितने मकानों के लिये लोन दिया गया जो अपने मकानों में तो रहते हैं और दूसरा जो लोन से बनाया उसको किराये से दे रखा है ?

श्री अध्यक्ष : बताया न अभी, चार हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : जब चार में ऐसा किया है तो क्या वे जो लोन दिये गये थे किराया वसूल करने के लिये दिये गये थे या रहने के लिये दिये गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी की जा रही है, मैंने कहा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ३४७

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

(अनुपस्थित)

सन् १९६०-६१ में खुलनेवाले हायर सेकिन्डरी स्कूल्स

३४८. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९६०–६१ में राजस्थान में कितने हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने का

(श्री लच्छूराम)

सरकार विचार रखती है तथा जिला झुंझुनूं में कितने ऐसे स्कूल खोले जावेंगे ?

(२) क्या सरकार राजकीय माध्यमिक विद्यालय, टमकोर, जिला झुंझुनूं को हायर सेकिन्डरी स्कूल बनाने का विचार रखती है ?

(३) अगर हां, तो यह कब तक हो जावेगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) ३० हायर सेकिन्डरी स्कूल्स खोलने की योजना है। किस जिले में कितने स्कूल परिवर्तित किये जावेंगे, अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(२) जी नहीं। यह स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं करता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लच्छूराम : सरकार की कौनसी शर्तें हैं जिनके अनुसार परिवर्तित किये जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: विद्यार्थियों की तादाद आम तौर से मिडिल स्कूल में २०० की हो। इसके आसपास में पांच फीडर स्कूल्स हों पास के पन्द्रह मील के रेडियस में। अगर वहां के केन्द्र के स्कूलों में विद्यार्थियों की बहुत तादाद न हो व दूसरे हायर स्कूल या हाई स्कूल्स हैं तो नहीं खोलते हैं। और मकान की सुविधा होने पर ही खोलते हैं।

गणगौरी बाजार, जयपुर, से फरार हुई लड़की का मामला

३४६. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि गणगौरी बाजार, जयपुर से फरार हुई लड़की की तफ्तीश करके श्री इन्द्रदेव थानेदार ने इस केस में फाइनल रिपोर्ट दे दी थी ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस केस को पुनः जांच करने के लिये खोला गया ? यदि हां, तो किसके ऑर्डर से तथा इसकी दुबारा तफ्तीश करने कौन थानेदार गये ?

(ग) क्या उस लड़की को थाना सदन, अलवर ने गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान कराये ?

(घ) लड़की ने अपने बयान में क्या बताया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। एस. पी., सिटी ने यह आज्ञा दी। श्री गोपालराम शर्मा एस. आई. इसके लिये नियुक्त किये गये।

(ग) जी नहीं। इन्चार्ज थाना सदन ने मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, राजगढ़ (अलवर) द्वारा धारा १०० जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत जारी किये गये वारन्ट की तामील में श्रीमती शान्ति को बरामद किया और उसे अदालत में दिनांक ३०। १२।५९को प्रस्तुत कर दिया।

(घ) उसने कहा कि उसने श्री घासी गूजर को अपना पति मान लिया है और उसे बन्द करके नहीं रखा गया।

Page No.18

प्रश्न संख्या ३५०

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

प्रान्त के पोलीटैक्निकल स्कूल व जूनियर टैक्निकल स्कूल

३५१. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कहां कहां पोलीटैक्निकल स्कूल एवं जूनियर टैक्निकल स्कूल खोले गये हैं और उनमें कितने कितने छात्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या सरकार ऐसी संस्थाएं और खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कहां कहां और कब तक ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जूनियर टैक्निकल स्कूल कोई नहीं है। केवल पोलीटैक्नक स्कूल जोधपुर, उदयपुर व अजमेर में हैं।

छात्र संख्या की सूची संलग्न है।

(२) जी हां। अलवर और कोटा में पोलीटैक्निक स्कूल खोले जावेंगे मगर छात्रों की भर्ती जून, ६० से होगी।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : इन पोलीटैक्निक स्कूलों पर कितना खर्चा होता है औसतन सालाना, बता सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : औसतन साल का तो नहीं कह सकता पर कुल मिला कर रेकरिंग और नॉन रेकरिंग २७-२८ लाख के लगभग होता है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : जूनियर टैक्निकल स्कूल भी खोलने का इरादा है, अगले वर्ष ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बारे में विचार किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ३५२

श्री अध्यक्ष : श्री. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

सरपंच ग्राम पंचायत पीपली के विरुद्ध हुई शिकायत पर कार्यवाही

३५६. मेजर फतहसिंह (भीम) : क्या मन्त्री, पंचायत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत पीपली, तहसील भीम के भ्रष्टाचार की शिकायतें एस. डी. ओ., भीम एवं अन्य सम्बन्धित पंचायत अधिकारियों को कुछ माह पूर्व की गई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जी हां, एस. डी. ओ. भीम ने

(श्री हरिभाऊ उपाध्यय)

सरसरी जांच करके बताया कि शिकायत गलत नहीं हो सकती। वास्तविक हाल पूरी इन्क्वायरी रूबरू फरीकेन होने पर ज्ञात हो सकता है। इस पर इस मामले की पूरी इन्क्वायरी के लिये एस. डी.ओ., भीम को कागजात भेजे गये हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ३५५ का जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

(हंसी)

संस्कृत भाषा के उत्थान की योजना

३५४. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने संस्कृत भाषा के उत्थान अथवा उसको प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या सरकार ने संस्कृत के विद्वानों का वेतन स्तर तथा वेतन वृद्धि अंग्रेजी के उतने ही योग्यतावाले विद्वानों के समकक्ष ही रखी है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय। यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) इस विषय में सरकार ने एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की है। जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियों को सभी राज सेवाओं में लेने तथा अंग्रेजी वालों के समान वेतन देने की आज्ञा प्रसारित की जा चुकी है। आज्ञा की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह जो समिति बनाई है क्या उसकी अब तक कोई मीटिंग हुई है या कोई निर्णय लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो समिति ही अभी बनाई गई है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी: यह दूसरी आपने जो संस्कृत के विद्वान् को अंग्रेजी के विद्वान् के बराबर महत्व देने की जो आज्ञा प्रसारित की है उसमें शब्द ये हैं :

The Government have been pleased to recognise the Praveshika, Madhyama and Upadhyaya, Shastri and Acharya Examinations with English and other subjects according to the revised curriculum prescribed in 1954 as equivalent to High School, Intermediate, B.A. and M.A Examinations respectively...

इसी तरह का दूसरा भी है : Persons who had passed Praveshika, Madhyama, Shastri and Acharya with English and other subjects might be equated with HighSchool, Interme-

Page No.20

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

diate, B.A. and M.A.......मैंने सिर्फ यह पूछा था कि संस्कृत के विद्वान् को अंग्रेजी के विद्वान् के बराबर माना है या नहीं ? आपने केवल उन्हीं को माना है जिन्होंने अंग्रेजी के साथ संस्कृत की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सन् ५४ में रिवाइज्ड कोर्स संस्कृत के लिये तय किया था उसी के अनुसार जिन्होंने परीक्षा पास की है और उसके समान अंग्रेजी का ज्ञान है मूल में तो संस्कृत का विद्वान् है पर अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत आती हो इसके लिये यह रखा गया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पर मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि संस्कृत के आचार्य को आप अंग्रेजी के एम. ए. के साथ संस्कृत लेने वाले के बराबर गिनते हैं क्या अगर वह अंग्रेजी नहीं भी पढ़ा है तो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपने वही अंग्रेजी को प्राथमिकता दी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अंग्रेजी के बिना संस्कृत के विद्वान् के महत्व में यह फर्क पड़ता है कि आज सेक्रेटेरियट में हों, दूसरी जगह हों, केवल संस्कृत ही जाननेवाले को अंग्रेजी के बिना बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं और ऐसी हालत में उस ग्रेड में वे तुलें, यह मुश्किल बात है। लेक्चरार्स हैं, टीचर्स हैं, उनमें जहां इंगलिश विशेष रहती है थोड़ा सा इससे रिवीजन हो जावेगा। जहां पहले वह रिवीज़न नहीं हो पाता था वह फर्क हो गया इससे। केवल संस्कृत में ही जो विद्वान् हैं वे अगर लेक्चरार्स के समान स्तर पर हों तो दिक्कतें आती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह तो आज से नहीं लगभग ४० वर्ष से यह व्यवस्था रही है मैं स्वयं पढ़ा हूँ और मुझे जिन्होंने पढ़ाया था वे भी आचार्य थे और उनके इंग्लिश का मैट्रिक किया हुआ था उस समय भी यही व्यवस्था थी। आपने संस्कृत के विद्वानों को इस समय क्या महत्व दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ४० वर्ष बाद थोड़ा सा स्थिति में फर्क पड़ गया है, उसको ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : दूसरा, आपने लिखा है कि दूसरे सब्जेक्ट्स भी उसको उसी तरह से करने पड़ते हैं "with English and other subjects according to revised curriculum prescribed in 1954." आज के विद्वानों को भी वही पुराने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दूसरे पढ़ते हैं संस्कृत के विद्वानों को उतना ही पढ़ने के बाद आप किस स्थान पर लेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १६५४ का आधार माना गया है रिवाइज्ड कोर्स का उसके अनुसार उनको पास करना चाहिए।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): क्या माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि संस्कृत प्रादेशिक भाषा बना ली जाये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप दोनों के बीच की चर्चा में यह आया होगा, मेरे पास तो आया नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि क्या सरकार ने संस्कृत के विद्वानों का वेतन स्तर तथा वेतन वृद्धि अंग्रेजी के उतने ही योग्यता वाले विद्वानों के समकक्ष ही रक्खी है। यानी वहां पर तो वही एम०ए० के बराबर को आचार्य माना है? क्या उसको वही वेतन दे सकते हैं, यदि इंग्लिश नहीं पढ़ी हो तो ?

श्री अध्यक्ष : उसका तो उत्तर मिल चुका है कि नहीं देते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : फिर क्या उसके बराबर नहीं माना है ?

श्री अध्यक्ष : आप जो मतलब निकाल लें, दरअसल में फैक्ट यह है।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

सूअर और गधों की संख्या

३५५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या मन्त्री, पशु पालन विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सूअर व गधों की संख्या किस जिले में ज्यादा है? क्या राजस्थान में सूअर पालने व उनके विकास की भी कोई योजना है? यदि हां, तो उसमें कितना खर्चा किया जाता है और उसकी क्या उन्नति है ?

मंत्री, पशुपालन (श्री नाथूराम मिर्धा) : सन् १९५६ की पशु गणना के अनुसार भरतपुर जिले में सूअरों की संख्या १३६०१ और बाड़मेर जिले में गधों की संख्या १८,५४० राजस्थान में सर्वाधिक जांची गई है।

जी हां, है।

इस कार्य के निमित्त इस वर्ष के बजट में ४८,००० रु० का धन कल्पित है, अब (दिसम्बर, ५९) तक लगभग ११३०० रु० खर्च किये जा चुके हैं एवं शेष का खर्चा हो जाने की आशा है। अब तक इस सूअर विकास योजना में ५२ सूअर व ३२ सूअरियां विभिन्न ब्लाकों में निजी पालकों को विकास के हेतु दिए जा चुके हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : नागौर, टौंक और बीकानेर में सूअरों की संख्या क्या है, यह भी बता दीजिए ?

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो सूअर विकास योजना है, तो इसको प्लानिंग के अन्दर क्यों लिया गया है ? सूअरों के विकास का क्या महत्व है जो कि इसको योजना के विकास के अन्तर्गत लिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह योजना वास्तव में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत यूज़फुल है। २ सूअरियां और एक सूअर अगर किसी के पास हों तो एक साल में वह ६० हो जाते हैं (हंसी) और उसके बाद में पांच-छः महीने अगर उनको पाल लें और उनको रोज़ मक्का पाव, डेढ़ पाव दें और सूखा भूसा दें तो छः महीने के बाद ही उनका चार पांच मन का वेट हो जाता है और उनको मथुरा या दिल्ली ट्रक में भरकर भेज दें तो एक जानवर की दो सौ या ३०० रु० की कीमत मिलती है। इतनी उसकी डिमाण्ड है। इसलिए जो

Page No.22

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आदमी गरीब हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो वे सूअर पालते हैं। इस योजना को बहुत से अपना भी रहे हैं। हम उनको करीब १० रु० में देते हैं और उनसे वापिस पांच छः महीने बाद ही अगर कोई नहीं ले तो डिपार्टमेन्ट ही १०० रुपये में ले लेता है।

श्री मदनसिंह (दांता-रामगढ़) : यह तो रही बात सूअरों की। और गधों की ?

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार के पास इनकी गणना करने का कोई विभाग है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर इनकी सेन्सस की है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पशुओं की गणना करने का कोई विभाग नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका ध्यान होगा कि इनकी पिछले साल ही सेन्सस रिपोर्ट पूरी की है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह जो आपने संख्या बताई है तो सूअर के बच्चों की संख्या और गधों के बच्चों की संख्या क्या है ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सरकार की यह नीति रही है कि सूअर के मांस का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये, इस प्रकार के प्रचार का प्रावधान रखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह नीति का सवाल नहीं है। यह योजना का एक अंग है। जो खाने वाले हैं वे खायें और इसकी डिमाण्ड बाहर बहुत है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की इस संबंध में नीति है कि सूअरों की संख्या इसलिए बढ़ाई जावे कि लोग ज्यादा से ज्यादा सूअर का मांस खायें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो खाना चाहते हों खायें, इस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सूअरों को खाने के अलावा और प्रयोग भी हो सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका और कोई प्रयोग नहीं है, खाने का ही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाये कि इस योजना की वृद्धि इसलिए की जा रही है कि सूअरों का मांस ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में आ सके और जो गरीब लोग हैं वे इससे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका फ्लैश ७—८ रुपये पौंड है और यह बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन है और जो इसका उपयोग करना चाहें कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो गांवों में दूसरे सूअर रहते हैं यह उनसे भिन्न हैं या वैसे ही हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल यार्कसाइड ब्रीड है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : भरतपुर में नई ब्रीड के हैं या पुरानी ब्रीड के हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो लोकल हैं वही हैं और उनका ही नम्बर मैंने बताया है।

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी।

गवर्नमेंन्ट इन्टर कॉलिज दौसा में स्टाफ की कमी

३५६. श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई): Will the Education Minister be plaesed to state :—

(a) What is the sanctioned strength of the teaching staff at the Government Intermediate College, Dausa? Does this strength fall short of the number of students admitted this year ?

(b) What is the total number of the teaching stcaff actually working in this college at present ?

(c) What are the reasons for the shortage of staf & at this institution and when this shortage is likely to be made good ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (ए) ३३, स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त २ अध्यापक और इस कॉलेज में लगा दिये गये हैं।

(बी) ३४.

(सी) स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त दो और अध्यापक इस कॉलेज में दिये जाने के पश्चात् अध्यापकों की कमी नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पुलिस विभाग में दरियों की खरीद

३५७. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में सन् १९५७-५८, ५८-५९ व ५९-६० में दरियां खरीदी गई थीं ?

(ख) यदि हां, तो कब कब, किस किस कीमत में तथा किन किन से ?

(ग) क्या ये दरियां टेण्डर बेसिस पर खरीदी गई हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक ऐसे ट्रान्जेक्शन के संबंध में मांगे गये टेण्डर्स के टेण्डर नोटिस की प्रति तथा जिन जिन के टेण्डर आये, उनकी दरियों की किस्म सहित रेट्स की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(घ) क्या यह सही है कि जिनसे दरियां खरीदी गईं उन्होंने नमूने के रूप में दरियां पेश की थीं ? यदि हां, तो किस किस टेण्डरर ने कितनी कितनी ? ये दरियां अब कहां जमा हैं ?

(ङ) क्या यह सही है कि दरियां नमूने की दरियों के अनुसार नहीं प्राप्त हुई हैं ?

(च) क्या सरकार इस संबंध में जांच करायेगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) १९५७-५८ में ३-७-५७ को जेल डिपार्टमेन्ट, जयपुर, से ८ रु० की दर से,

Page No.24

(श्री रामकिशोर व्यास)

१६५८–५६ में १२–१२–५८ को जेल डिपार्टमेन्ट कोटा से ८ रु० की दर से और सन् १६५६–६० में २४–६–५६ से २६-१२-५६ तक ८ रु० ६१ न० पै० की दर से मेसर्स मनोहर प्रकाशन जयपुर से।

(ग) १६५७–५८ व ५८–५६ के टेन्डर नहीं लिये गये क्योंकि जेल डिपार्टमेंन्ट से खरीदी हुई थीं। १६५६–६० में टेन्डर मांगे गये थे। किस्म दरी तथा दर का विवरण संलग्न पत्र में है।

(घ) सन् १६५६–६० में कुछ टेन्डरर्स ने काउन्टर सेम्पल प्रस्तुत किये थे किन्तु वे लिये नहीं गये।

(ङ) इस विषय में जांच की जा रही है।

(च) इस विषय में जांच की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह मनोहर प्रकाशन दरियों के भी व्यापारी हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब तरह के हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिन जिन टेन्डरों से दरियां खरीद गई थीं तो क्या लोएस्ट टेन्डरर्स के रेट्स स्वीकृत हुए थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां। १६५६ की बात है। लोएस्ट टेन्डर्स ही एक्सेप्ट हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : बाकी के दो सालों में खरीदी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक में जेल से खरीदी गई और एक साल टेन्डर इन्वाइट किये गये थे। आपने ३ साल के लिए पूछा है तो दो साल तो जेल विभाग से लीं और एक साल बाहर से टेन्डर्स मंगाकर जिसके लोएस्ट टेन्डर थे उनसे ली।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर जांच किस बात की कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने पूछा है कि सेम्पल के अनुसार दरियां थीं या नहीं, उसकी जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह यह कह सके कि दरियां सेम्पल के अनुसार खरीदी गई थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह ठीक है, लेकिन इसके लिए कम्प्लेन्ट आई थी कि सेम्पल के माफिक नहीं है इसलिए एन्क्वायरी कराई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जो सेम्पल रखा गया था वह जयपुर सेन्ट्रल जेल का बना हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सेम्पल सेन्ट्रल जेल, जयपुर, का भेजा गया जो कि बदल दिया गया है और रिपोर्ट आई है कि सेम्पल हमने नहीं बनाया है ?

Page No.25

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं, यह सही नहीं है।

रायपुरा विकास खंड में पंचायत समिति द्वारा सामान की नियमों के विपरीत एवं मंहगी खरीद

३५८. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची सु०) : क्या विकास (लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण) मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले के रायपुर विकास खण्ड में पंचायत समिति द्वारा दिसम्बर व जनवरी, १९६०, में कितना कितना सामान कहां २ से, कितनी २ धनराशि का खरीद किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सामान की खरीद के पूर्व टेण्डर्स मांगे गये अथवा नहीं ? यदि मांगे गये, तो कौन सी तारीख को सूचना किन किन दुकानदारों को भेजी गई और किन किन दुकानदारों ने टेण्डर्स पेश किये ?

(३) प्रत्येक टेण्डर में पृथक पृथक सामान की क्या दरें रखी गई थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि सामान नियमों के विपरीत खरीदा गया और मंहगा खरीदा गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है व सरकार द्वारा इस अनियमितता करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) टेन्डर्स नहीं मांगे गए। कोटेशन दिनांक ३–१–६० को लिये गये। जिन दुकानदारों से कोटेशन मांगे गये थे और जिन्होंने पेश किये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) फाइनेन्स अकाउन्ट व बजट रूल्स के नियम ९६ (२) के मुताबिक कोटेशन मांगते समय जो सामान खरीदना था उसकी पर्याप्त रूप से सूचना प्रसारित नहीं की गई। इसके अलावा नियमों का कोई उल्लंघन हुआ नहीं दिखता। कोटेशन जोधपुर जाकर तीन दुकानदारों से लिए गए और उनमें से न्यूनतम दर पर सामान खरीदा गया। पंचायत समिति का ध्यान इस अनियमितता की ओर आकर्षित किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

श्री मनरूपराम परिहार : आपने यह बतलाया कि सामान की खरीद करते वक्त सूचना पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं की गई, तो क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस बात में हुई है, यह मानते हैं, और बातों में नहीं।

श्री मनरूपराम परिहार : ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई कि टेन्डर्स इन्वाइट नहीं किये गये और जोधपुर जाकर तीन दुकानों से कोटेशन लिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दोनों तरह के विधान हैं। टेण्डर्स भी मांगे जा सकते हैं और कोटेशन भी मांगे जा सकते हैं। कोटेशन मांगना किसी किस्म की अनियमितता नहीं है।

श्री मनरूपराम परिहार : जोधपुर पर्सनली जाकर कोटेशन लेना क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जल्दी हो तो स्वयं जाकर खरीद कर सकते हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Does the Government know that the same shop keeper is selling the very same thing at much cheaper rates to others ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह आपका अन्दाज़िया सवाल है।

श्री अर्जुनदास : Would the Government de prepared to make an enquiry, if we inform them ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर कोई आप ऐसा डेफिनिट एलिगेशन रखते हैं जिसमें जानकारी की जरूरत हो, एन्क्वायरी की जरुरत हो तो जरूर की जायगी।

इन्टर साइन्स बी. ए. इत्यादि के प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति

३६. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state :-

[1] As per the announcement made in the budget speech of the Finance Minister how many students, who secured first Division in I. A., I. Sc., B. A. and B. Sc. examinations have been awarded scholarships ?

(2) What is the total amount of sum so expended in awarding scholarships and what are the rates of scholarships for students in each category ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) 617 students.

(2) The amount is a sum of Rs. 2, 78, 960. The list of rates is placed on the Table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि नेक्स्ट इयर यानी १९६०-६१ में स्कॉलरशिप की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं, whether it is proposed to increase the number of scholarships ? This year you have given only 617. So I want to know whether you want to increase the number of scholarships next year ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें नम्बर का सम्बन्ध नहीं है। एलिजिबिलिटी रख दी है। ६१७ के बजाय ज्यादा होते हैं तो............

श्री पी० के० चौधरी : That means there is no restriction on number. Next year you can even double the number ?

(उत्तर में स्वीकारात्मक गरदन माननीय मुख्य मन्त्री ने हिलाई)

श्री पी० के० चौधरी : एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह रूल्स के अन्दर दिया हुआ है। जो फर्स्ट डिवीज़न के अन्दर आये हैं और जिनकी केपेसिटी स्टडीज़ को फर्दर कन्टीन्यू करने की नहीं है।

प्रश्न संख्या ३६१

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री।

(अनुपस्थित)

मिडिल स्कूल, पहाड़ी (जिला भरतपुर), को हाई स्कूल में परिवर्तित किया जाना

३६१. **श्री नाथीसिंह** (कामां) : Will the Minister for Education be pleased to state :-

(1) Is the Government aware that Pahari town in District Bharatpur has a Middle School only for the last 60 years and enrols sufficient number of students ? If so, will this school be raised to the standard of High School, when nearly all the old Middle Schools of the District have been raised to that standard ? And if so, when ?

(2] Is the Government aware that there is no High School in the sub-tehsil within a radius of 14 miles ?

(3) Is it a fact that the Middle School building has sufficient accommodation and with some additions and alterations therein, it can accommodate a High school ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) Yes. If this school fulfils the conditions laid down by the Government the question of raising it to the higher Secondary School can be considered along with other similar cases.

(2) High School Kaman is within a radius of 14 miles from Pahari.

(3)The present building is hardly sufficient for a Middle School. This can be sufficient for Higher Secondary School after addition of eight rooms.

नवयुग द्वारा न्यूजप्रिन्ट का इम्पोर्ट

३६२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर के दैनिक नवयुग पत्र को सन् १९५६-५७, ५७-५८, ५८-५९ व ५९-६० में कितने न्यूज़प्रिन्ट का इम्पोर्ट करने का लाइसेन्स भारत सरकार से प्राप्त हुआ है (राजस्थान में इस विभाग की सूचना के अनुसार) ?

(ख) इम्पोर्ट लाइसेन्स की उद्योग विभाग ने किस किस वर्ष में, कितने कितने न्यूज़ प्रिन्ट के लिये सिफारिश की थी ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि इम्पोर्टेड न्यूज़ प्रिन्ट राजस्थान में लाया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) इस विभाग की जानकारी में कोई लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) इस विभाग द्वारा नवयुग पत्र को न्यूज़ प्रिन्ट के इम्पोर्ट लाइसेन्स देने हेतु कोई सिफारिश नहीं की गई ।

(ग) इस विभाग को इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या विभाग में इस बात का रेकॉर्ड नहीं रखा जाता है कि किन २ व्यक्तियों को किस किस आर्टिकल का इम्पोर्ट लाइसेन्स मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रखा जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस रेकॉर्ड में इस प्रकार से दर्ज है कि इस प्रकार का इम्पोर्ट लाइसेन्स मिला पर कोई माल नहीं आया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई लाइसेन्स मिला ही नहीं । आपको शायद वहम है ।

श्री भैरोंसिंह : इ यूज़ प्रिन्ट का ?

श्री नाथूराम मिध : जी हां, न्यूज़ प्रिन्ट का ।

श्री भैरोंसिंह : इन चार वर्षों में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

लूणकरणसर व बीकानेर तहसीलों के पूंगल इलाके में पीने के पानी की कमी

३६३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि बीकानेर जिले की लूणकरणसर व बीकानेर तहसील के पूंगल इलाके में पीने के पानी संबंधी कठिनाई है ? अगर हां, तो क्या इस संबंध में सरकार परीक्षणात्मक नलकूप (Exploratory Tube wells) के लिये भारत सरकार के संबंधित विभाग की सहायता लेने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी हां ।

तहसील पंचायत बैराठ का पंचायत समिति बैराठ व शाहपुरा में प्रतिनिधित्व

३६४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) तहसील पंचायत बैराठ के सरपंच व उप सरपंच कौन कौन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों

(ख) तहसील पंचायत के प्रतिनिधि के नाते किस किस ने, कब २, किस २ हैसियत से पंचायत समिति, बैराठ व पंचायत समिति शाहपुरा में भाग लिया है ?

Page No.29

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) यदि अलग अलग पंचायत समितियों में अलग अलग व्यक्ति उसके तहसील पंचायत की ओर से प्रतिनिधि हैं, तो क्यों और क्या यह प्रतिनिधित्व कानून एवं नियम विरुद्ध नहीं है ? यदि हां, तो फिर यह क्यों हुआ है ?

(घ) क्या यह सही है कि तहसील पंचायत बैराठ द्वारा उप-सरपंच का चुनाव कराने के लिये राज्य सरकार को लिखा गया है ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या क्या कार्यवाही की गई है ? चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) सरपंच श्री कल्याणचन्द्र दिनांक १७-३-५६ से १-१०-५६ तक रहे। उप-सरपंच तहसील पंचायत कायम हुई तब से नहीं है।

(ख) पंचायत समिति शाहपुरा में श्री रामानन्द पंच, और पंचायत समिति बैराठ में श्री छीतरमल पंच ने दिनांक २१. १२. ५६ से भाग लिया है।

(ग) अलग अलग प्रतिनिधि तहसील पंचायत से चुनकर भेजे गये हैं, कानून ठीक से न समझने के कारण ऐसा हुआ।

(घ) किसी ने नहीं लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस कानून का अब स्पष्टीकरण कर दिया है कि पंचायत समिति के अन्दर एक ग्राम पंचायत के २ पंच या प्रतिनिधि पंचायत समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यही एक गलती की है। उनको जानकारी दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने क्या स्पष्टीकरण किया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कानून में यह साफ है।

श्री भैरोंसिंह : कानून में साफ है और साफ होते हुए भी समझ में नहीं आया तभी तो यह स्थिति आई सामने। सरकार ने स्पष्टीकरण किया है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उन्हें समझना चाहिए और साफ भी किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : सफाई आदेश की हो रही है या खुद की हो रही है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला विवरण।

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण १९६०-६१

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आयव्ययक), १९६०-६१ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना): सक्यूलर हुआ है उसमें श्री हरिश्चन्द्र का नाम था। आप क्यों कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई भी रख सकता है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मंगलसिंह, विभाजन संख्या ६३, ने २४ फरवरी १९६० से १८ मार्च, १९६० तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष : वह लेबर मिनिस्टर साहब के पास भेज दिया है।

१२. ६. म० प०

आय-व्ययक १९५९-६० पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर मैंने कुछ कल अपने विचार व्यक्त किये थे। उसकी शुरूआत इसी से की थी। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को आपने हटाया है उससे मैं कुछ हद तक यह महसूस करता हूं कि किसानों को कुछ राहत मिलेगी और मैंने इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी को एडवान्स में धन्यवाद भी, बधाई भी दे दी थी। जब मैं यह देखता हूं कि किसानों को यह मालूम नहीं है कि ६० से इस तरह का कुछ प्रावधान रखा गया है जिससे एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स हटाया जायगा। अब मेरे को यह चीज़ अर्ज करनी है कि जिसका हल मेरे ख्याल से सदन निकाले, और वह हल हमारे काम का हो। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स एक्ट ५३ में पास हुआ, और ५३ से ६० तक अब तक इस बीच के दरम्यान में जो अर्से से नोटिस काश्तकारों के पास आ गये हैं उनसे यह मांगा गया है कि ५३, ५४ और ५५ के अपने हिसाब पेश करें।

मैं यह समझता हूं कि ५३, ५४ व ५५ से आगे शायद ही ऐसे केसेज़ होंगे जो डिसाइड हो गये होंगे। अब मैं यह मानकर चलता हूं कि जब ५५ तक के केसेज़ भी पूरे डिसाइड नहीं किये गये हैं और अब ५५ से ६० तक ५ वर्ष के और रह जाते हैं जिनमें नोटिसेज़ दिये जायेंगे, गजट में शाया होंगे, लोग हिसाब पेश करेंगे इन सब में बड़ी दिक्कत होगी और लोगों को हैरेसमेंट होगा। आपने यह तो कर दिया कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स एबोलिश कर दिया जाय लेकिन इसके साथ साथ यह भी कर दें कि ५५ से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया जायगा तो मैं समझता हूं कि लोगों को वास्तव में राहत मिलेगी। यदि उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो क्या गुनाह किया ? जब कि सन् ५५ से आगे के नोटिसेज़ जाने

(श्री अनोपसिंह)

हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाय तो कोई दिक्कत नहीं होगी और लोगों को राहत मिलेगी यदि ५ वर्ष पहले से इसको लागू किया जायगा तो। नहीं तो ५ वर्ष के लिए रिकॉर्ड तैयार करना होगा। १ साल का रेकॉर्ड तैयार करने के लिए जो कार्यवाही करनी पड़ेगी वही ५ साल के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं यह बात सदन के सामने रखता हुआ प्रार्थना करता हूं कि सदन इस बात के लिए जोर लगावे कि जो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स एबोलिश करने का संशोधन ला रहे हैं वह सन् ५५ से लागू किया जाय ताकि ५५ के बाद के केसेज़ आप से आप डिसाइड हो जाय।

इसके साथ साथ यह अर्ज करूंगा कि सरचार्ज जो लगाया जा रहा है उसे लगाने का ऐसा तरीका होगा जो पोटेन्शियेलिटी के बेसिस पर बेस्ड होगा, अमुक आदमी इतना रेन्ट देता है तो उस हिसाब से उस पर इतना सरचार्ज लगना चाहिये। इसमें भी यह बात रह जाती हैं कि ५० रु० पर सर चार्ज लगाते हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि अच्छा सीड नहीं मिलने से अधिक पैदा नहीं किया या रेनफॉल कम होने से पैदावार नहीं हुई या इन्सेक्ट्स लग जाने से क्रोप की पैदावार में फैल्योर रहा। यदि ये बातें हुई हैं तो आप क्या राहत देंगे? आप कहेंगे कि तुम ५० रु० से ज्यादा रेन्ट देने वाले हो इसलिये तुमको सरचार्ज देना होगा। यदि एक आदमी पर्टिकुलर साल में पैदावार करने में फेल हो जाता है यहां तक कि उसके लिये बीगोड़ी देना भी मुश्किल हो जाता है और दो साल पीछे से देना पड़ता है, फेमिन डिक्लेअर होता है तो रेन्ट का रेमिशन होता है तो वह सरचार्ज कहां से देगा? क्रोप फेल हो जाती तो उसके लिए रेन्ट देना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत में सरचार्ज देना तो और भी मुश्किल हो जायगा। इन बातों को सोचते हुए मैं कहूंगा कि मंत्रीजी इस पर विचार करें।

अब मैं एक बात और अर्ज करूंगा। हमारे यहां की खाद्य समस्या के बारे में यह कहा गया है कि हमने काफी आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि हम स्टेट ट्रेडिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ यह भी महसूस किया जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की रेट बढ़ गई है और हम ऐसी स्थिति में हैं कि बाहर अनाज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर समझ में नहीं आता कि हम बाहर से अनाज क्यों मंगाते हैं? वह कौनसी ऐसी जरूरत है जो बाहर से अनाज मंगाने पर हमको मज़बूर करती है और यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि गेहूं बाहर नहीं जाने दिया जाय और जगह जगह चीप ग्रेन शोप्स खोलते हैं। यह इस बात की सूचक है कि गरीब लोग बाजार में चीज़ नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि आपके मार्केट में सप्लाई कम है। आप कहने को तो चाहे कह दें कि हम सरप्लस हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ स्टेट ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप सरप्लस नहीं हैं। आप अपनी पोटेन्शियेलिटी पर बात करते हैं, हमने इतनी ज्यादा जमीन जोती है, इतना ज्यादा खाद दिया है, ट्रेक्टर्स और इम्प्लीमेन्ट्स दिये हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके खेतों में अनाज का प्रोडक्शन बढ़ गया हो। आपकी धारणा पोटेन्शियेलिटी पर बेस्ड रहती है और उसी

(श्री अनोपसिंह)

के बेसिस पर आप केल्कुलेशन निकालते हैं कि इतनी जमीन थी तो वाकई इतना प्रोडयूस किया होगा। 'होगा' पर आपका जोर रहता है। राज्यपाल महोदय के भाषण में भी यही बात आई थी और आपके भाषण में भी यही बात आई। सदन के सामने ये बातें इस तरह से रखी जाती हैं जिस तरह से कॉम्युनिस्ट कंट्रीज़ में रखी जाती हैं कि हमने इतने शूज़ बना लिए, इतने कोट बना लिये, यह किया वह किया। इसी तरह से आप भी चाहते हैं कि हम यह मान लें कि हमारे यहां का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है। यदि बढ़ गया है तो फिर स्टेट ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से अनाज क्यों मंगाते हैं, कहते हैं अब वहां से नहीं आता है लेकिन अब तक आपके यहां अनाज का भाव वही है जो पहले था और चीप ग्रेन शॉप्स भी उतनी की उतनी मौजूद हैं। तो आपको सुदृढ़ कदम उठाना है। पोटेन्शियेलिटी पर बात करना कोई एचीवमेंट नहीं है।

आगे मैं एग्रीकल्चर के बारे में और अर्ज करूंगा कि हमारे यहां फार्म्स हैं, भाषण में भी कहा गया है कि पहले ३७ फार्म्स थे, अब ४१ कर दिये गये हैं। मैं मानता हूं कि आपके इन फार्म्स में से कई इकोनोमिक बेसिस पर होंगे और उनमें प्रोफिट होता होगा। लेकिन बहुत से लोस में ही होंगे, प्रोफिट कहीं एक आध में ही होगा। यह जरूरी नहीं है कि हर एक में प्रोफिट ही रहे। लोस में डिमोन्सट्रेशन के तौर पर चलने वाले फार्म्स रह सकते हैं। ऐसी क्रोप्स भी उगाई जाती हैं जो साइन्टिफिक डेटा इकट्ठा करने के लिए हों, या एक्सपेरिमेन्ट के लिए हो तो वह नुकसान में रहे यह कोई खास बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि इन पर बहुत रकम खर्च की जाती है और खर्च करने पर भी नये मेथड्स किस तरह से काम में लेना, नया खाद किस तरह से काम में लेना और नई बातें किस तरह से करना यह महसूस नहीं हुआ है हालांकि एक्सटेन्शन ऑफिसर्स वगैरह लगे हुए हैं और डिमॉन्मेंट्रशन क्लासेज़ भी चल रही हैं, लेकिन इनसे कोई फायदा किसी को नहीं हो सका। आप जो डिमॉन्सट्रेशन फार्म्स बनाते हैं उनसे तभी फायदा हो सकता है जब कि आप किसानों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज को भी हर स्टेशन पर साथ में रखें और महीने दो महीने का कोर्स रखें और जनता के प्रतिनिधि वहां आकर सीखकर जावें और जनता को फायदा पहुंचावें तभी तो स्टेट फार्म्स से फायदा हो अन्यथा सिर्फ एक्सपेरिमेन्ट करते हैं या सीड प्रोड्यूस होता है उससे जनता को कोई फायदा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं करते कि प्रिलिमिनेरी ट्रेनिंग का डिप्लोमा कोर्स हो, जिसे पास करने पर माना जायेगा कि फार्म में रह कर इतने दिन तक कुछ शिक्षा पाई है।

एग्रीकल्चर के बारे में मैं फिर अर्ज करूंगा। यह मैंने माना कि आपने इम्प्लीमेन्ट्स देने की कोशिश की है, मैं यह भी नहीं मानता कि इम्प्लीमेन्ट्स दे दिये हैं या फर्टिलाइज़र्स सब जगह पहुंच गये हैं लेकिन आप कोशिश करते हैं, यह मैं मानता हूं। मुझे साथ ही साथ अर्ज करना पड़ेगा कि किसान लोगों को यह महसूस नहीं हुआ होगा कि नये तरीके से कुछ हुआ है। मैं कुछ एरियाज़ के बारे में अर्ज कर सकता हूं, जहां लोगों को यह महसूस नहीं हुआ कि

(श्री अनोपसिंह)

आप की नयी खाद और इम्प्लीमेन्ट्स से कुछ हुआ हो । इसलिए यह महसूस करने दें कि एग्रीकल्चरल स्टेट फार्म्स कुछ काम में आ सकते हैं ।

इसके साथ साथ इस सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि जब तक आप चीप पॉवर सप्लाई नहीं दे सकते हैं, तो आपकी भाखरा नांगल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो स्कीमें हैं, वे पर्टिक्यूलर एरिया में, थोड़े एरिया में रह जायेंगी । पर राजस्थान इसमें बहुत बड़ा और ऐसी पोटेन्शियलिटी रखता है, जहां अच्छी जमीन है, पानी भी है । वह पानी कैसे निकाला जाय, जमीन को ऊपर कैसे लाया जाय, इस तवालत से बचने के लिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि थरमल पॉवर स्टेशन हों, इरिगेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों । एक हिस्से में कुछ आदमी मिल कर मशीनें खरीदें, गवर्नमेंट लोन दे, और कोऑपरेटिव के हिसाब से लोन वापिस दिया जाय । इस तरह से एक पर्टिक्यूलर एरिया में १०,२०,५०,१०० किसान मिल कर अगर इर्रिगेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनायें तो मैं समझता हूं कि आपके थरमल पॉवर स्टेशन, अटोमिक रीएक्टर बहुत दूर की चीज़ है, फार फेचेड आइडिया है, न मालूम कब आये ? अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहां प्रोडक्शन बढ़ जाय, लोगों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़े कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, लोगों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाय तो यह जरूरी है कि पॉवर सप्लाई के लिए कुछ न कुछ मशीन लगायें, पर्टिक्यूलर एरिया में इस तरह के बांध बनायें जिससे कि कुछ भला हो पाये.......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : आप चाहते हैं कि बिजली के कारखाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जायं ।

श्री अनोपसिंह : पर्टिक्यूलर एरिया में जहां कुए बहुत संख्या में हों वहां के किसानों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दें, वहां लोन दें, मशीन लगा दें, गवर्नमेंट अपनी तरह से या किसी तरह लगवाए और पॉवर पैदा की जाय और किसी तरह तार खींच कर, कैसे भी लोग उसका फायदा उठायें ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका मतलब है वितरण में सहयोग दें, उत्पादन में नहीं ।

श्री अनोपसिंह : वितरण में सहयोग तब हो सकता है जब आप ऐसा करें । आप कहेंगे कि इतनी धनराशि नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि धनराशि की कोई कमी नहीं है इस राजस्थान में, जिसमें पहले सारी रियासतों को इकट्ठा करने के बाद भी १४ करोड़ का बजट रहता था, वह १४ करोड़ का बजट आज एक अरब के ऊपर पहुंचा है, १०० करोड़ के ऊपर पहुँचा है । मैं अर्ज करूंगा कि इतना खर्च करते हुए भी आप कहते हैं कि उस एरिया में जो लोग भूखे मरते थे, वे भूखे मरेंगे हम कुछ नहीं कर सकते । वे भाखरा नांगल एरिया में चले जायं तो कुछ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट एरिया में चले जायं तो कुछ कर सकते हैं । मैं अर्ज करूंगा कि वे लोग घर छोड़ कर वहां जाने को तैयार नहीं हैं और चले भी भी जायं तो वहां इतनी जमीन नहीं होगी । इसलिए जो आदमी जहां रहता है, वहीं उसको साधन सौंपने पड़ेंगे, वहीं उसको धन्धा बताना पड़ेगा । यह नहीं कह सकते

(श्री अनोपसिंह)

कि पैसा नहीं है, पैसे के लिए लोन लीजिये, इकोनोमी कीजिये। सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के वक्त आपने कहा कि यह प्लान पूरा नहीं हुआ, यह काम पूरा नहीं हुआ, यह कहा था, रिऑर्गेनाइज़ेशन करेंगे, यह नहीं हुआ, यह कट करेंगे यह पूरा नहीं हुआ। इन चीज़ों को छोड़ कर यह पूरा करके बतावें तो कुछ हो सकता है, अन्यथा मैं समझता हूं कि ५४ करोड़ के बजट को जब आप १०० करोड़ के बजट के करीब लाना चाहते हैं तो इतने थोड़े पैसे के लिए कैसे कह सकते हैं ? यह हो सकता है कि टोप एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो है, उसे टोप हेवी कर दिया है, जिसकी वजह से इसका असर नीचे तक पड़ता। यह हो सकता है कि ढाई हज़ार, तीन हज़ार तनख्वाह पाने वाले जो डाइरेक्टर वगैरह हैं, वे वैसे ही रहें और जिनके पास रहने के लिए भी नहीं है, जो छोटे छोटे चपरासी हैं, वे अपना पेट काटें। आप इनको नहीं छोड़ सकते। आप मिनिस्टर या कमिश्नर या कलेक्टर की तनख्वाह में कमी कर दीजिये। क्या वे नेशनल स्पिरिट से नेशन के लिए इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। खैर, मैं यह चीज़ आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं इसका हल नहीं बता सकता।

इससे आगे और अर्ज़ करूंगा कि कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ के ऊपर अपने यहां काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि चक बड़े किये जायं। एक आदमी का चक बड़ा दिया जाय तो वह आसानी से इकोनामी से काम करता है, इसमें दो राय नहीं हैं। मैं अर्ज करूंगा कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ में इधर छोटे छोटे टुकड़ों को मिला कर आप बड़ा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जिनके पास बड़ा टुकड़ा है उसमें सीलिंग के तहत जमीन कोसना चाहते हैं। जब जमीन कोसी जायगी तब कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग से क्या फायदा ? आप आज कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग करें और कल उस व्यक्ति से कहें सीलिंग लगायेंगे और फिर कुछ जमीन काटें। उसको पता नहीं है कि सीलिंग के बाद कितनी जमीन रहेगी, वह एक चक बढ़वाता है क्योंकि वह चक उसके पास रहने वाली है, लेकिन उस चक में से जिसको वह समझता है कि मेरे पास रहने वाली है, सीलिंग लगाकर जमीन काट ली जाती है। मैं अर्ज करूंगा कि कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में जितना पैसा जाया किया जा रहा है वह सीलिंग लागू होने के बाद फिजूल की बात होगी। इसको आप सोच कर देखें। मैंने तो आपके सामने रखा है, इसे आप रिफ्यूट कर दें, तो मैं समझूंगा कि कोई बात है। आज किसी आदमी के दिमाग में आता है कि यह चीज रहने वाली है और वह चक बनवा लेता है, कल उसको आप कहते हैं कि सीलिंग में जमीन चली जायगी। तो आप सोचिये, इसका नतीजा क्या होगा ? मेरा तो यह सुझाव है।

अब इसके बाद में मैं वही अर्ज करूंगा जो मैं कई बार इस सदन में, सदन से बाहर, जिला परिषद् में, पंचायत समिति में और मिनिस्टर महोदयों की मीटिंग में हर जगह कह चुका हूं और वह बात है कि इस राजस्थान में पीने के पानी की कमी है। मैं मानता हूं आप यह कहेंगे, तुम्हारी यह क्या आदत पड़ गई है, बार बार इस बात को लाकर छेड़ते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, यह तुम्हारे लिये मौजू नहीं है। चाहे मेरे

(श्री अनोपसिंह)

लिए मौजू है या नहीं, वक्त के लिए मौजू है या नहीं, आपको अच्छा लगता है या नहीं, पर जिस चीज़ को अर्ज करूंगा, वह बहुत ठोस चीज़ है और आगे भी इसको मैं १० बार और अर्ज करूंगा। जब तक इसका हल नहीं निकलता है, मैं कहूंगा। एक अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड बहुत अर्से पहले आपने बनाया आज उसका बजट १८ लाख के करीब है। उसका जो बजट है, उसका आप इवेल्यूएशन करेंगे तो पता लगेगा कि उसने क्या वर्क किया है, १८ लाख से क्या बना है ? मैं मानता हूँ कि यह बहुत थोड़ा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नगण्य है। आपका जो राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड चल रहा है, उसके हिसाब से यह रुपया बहुत ज्यादा है। उसने अब तक कोई अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। इसी तरह से आपने कोई जियोलोजिकल सर्वे कराके मालूम नहीं किया कि अमुक एरिया में पानी निकलेगा या नहीं, अमुक एरिया में इस तरह का स्टेटा है, इतने में नमक है, इतनी डेप्थ में फलां चीज़ निकलती है, इतनी डेप्थ में फलां चीज़ निकलती है। तो जमीन का स्टेटा देखने के लिए आपके पास कोई मुकम्मिल डेटा नहीं है। अगर किसी ने डेटा दिया है आज तक, तो उसको मानने के लिये तैयार नहीं है। अंग्रेजों के वक्त में इस तरह का डेटा इकट्ठा किया गया था, कुछ एक्सपर्ट्स बाहर से आये थे जिन्होंने कुछ जोश के साथ जमीन को देखा, जमीन का सर्वे किया, ज्योलोजिकल फाइडिंग बताई, उन्होंने रिपोर्ट दी है। आज आप उन रिपोर्ट्स को देखना नहीं चाहते हैं। हो सकता है यह सोचें कि वे विदेशी थे, इसलिए अच्छी रिपोर्ट नहीं दे सकते। आप देशी आदमियों से रिपोर्ट लीजिये, अपने आदमियों से कार्यवाही करवाइये, सर्वे कराके बताइये। अपने आदमियों को बाहर भेज कर ट्रेनिंग दिलवाइये, फिर सर्वे करवाइये। मैं मानता हूं कि इसमें जल्दी करें, १०, १५ वर्ष में पूरा कर दीजिये। मैं आपको कहूंगा कि आप राइट टाइप के एफर्ट्स को देखें, अपनी मन्शा को देखें, भावना की जांच करें कि आपके मन में वह भावना है या नहीं, जिस तरह की यह सीरियस टाइप की प्रोब्लम है, मैग्नीट्यूड की प्रोबलम है, आपमें वह सिन्सियरिटी है या नहीं, वह जोश है या नहीं, वह मिशनरी स्प्रिट है या नहीं, जिससे इस प्रोब्लम को हल कर सकें ? इसमें अच्छे अच्छे आदमी खप गये, लेकिन प्रोब्लम को पूरा नहीं कर सके, करोड़ों रुपये का खर्चा हो गया लेकिन पूरा नहीं कर सके। मैं मानता हूं कि उनके पास जो मशीनरी थी, वह साइन्टीफिक युग की नहीं थी, एटोमिक एज की नहीं थी, उन्होंने जो कुछ किया है, उस पर ध्यान देकर बड़ी सिन्सियरिटी के साथ किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि आप राइट टाइप का कदम उठायें, उसके बाद अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो मैं गुनाहगार नहीं समझता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय और खास करके मुख्य मंत्री जी को भी आगाह कर दूं कि आपके इस राजस्थान में एक कुआ ऐसा है, जिसकी आपने बहुत तारीफ की है। राज्यपाल महोदय के पिछले साल के भाषण में भी काफी तारीफ थी, पेपर्स में भी निकला कि पचास हज़ार गैलन पानी पर आवर निकलता है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूंगा कि पचास हज़ार गैलन पानी निकलने वाला कुआं ढाई वर्ष तक पड़ा रहा, लेकिन आपकी सरकार और केन्द्रीय सरकार ने किसी

(श्री अनोपसिंह)

दिन समझौता नहीं किया । फिर जाकर लास्ट ईयर समझौता हुआ कि हम यह करेंगे, यह नहीं करेंगे, इस तरह किया जायगा, उस तरह किया जायगा, इसका नतीजा निकला कि आपका एक एग्रीमेंट हुआ । इसके साथ ही साथ आपने यह अनाउन्स किया था लास्ट ईयर कि १० मील के एरिया में एक बेल्ट ऐसी है जिसमें और कुएं खोदे जायें तो इस कूए जैसा पानी निकल सकता है ।

आप समझिये, ५० हजार गेलन पानी देने वाला कुआ, उसको यों ही पड़ा रखा और क्योंकि हमारी जनता उतनी होशियार नहीं है, समझदार और चालाक नहीं है इसलिये आपके पीछे-पीछे फिरती है, वर्ना ऐसा कुआ जिसमें पीने के लिये मीठा पानी पड़ा है उसको आप इस तरह इग्नोर कर दें । आप समझते होंगे कि हमारे समय में जागीरदारी सिस्टम हटा, जमींदारी सिस्टम हटा और दूसरे रिफोर्म्स किये; पर आप समझ लीजिये कि मीठे पानी का कुआ भरा पड़ा है और जनता इस तरह मुंह ताकती रहे, क्या शर्म की बात है, आपके लिये यह कहना फक्र की बात नहीं होगी कि हमारी जनता को हम समझायेंगे । आप जनता को तभी समझा सकते हैं जब कि उस जनता को पानी पिला दें या आप उनकी इस प्रोब्लम को सोल्व करें। हो सकता था आप इस पर २ करोड़ रुपया खर्च करते और ऐसी पुख्ता स्कीम बनाते जैसी भार्गव साहब के अन्डर में कमेटी बनी है to find a permanent solution for this problemo मैं समझता हूं जितना इस मामले में उनको एक्सपीरियेन्स होगा उतना आज से पहले और भी किसी को एक्सपीरियेन्स होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री अनोपसिंह : पर आपने उन लोगों की रिपोर्ट्स को देखने की कोशिश नहीं की, हमारे रेगिस्तान की इस समस्या को सोल्व करने के लिये कई आये, एक सर विलियम स्टेम्पेड सन् १९३८-३९ में और उन्होंने एक रिपोर्ट, "Report on enquiry into the possibilities of improving under-ground water supply in Marwar." दी है । इसके बाद श्री शान्तिस्वरूप, जसवन्त कालेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है : "An area of one lakh square miles is cut away from all supplies of water."

इसके बाद में एक और निकली है : "Occurrence of ground water in the rocks of Wesstern Rajasthan."

इसके बाद ए. एन. खोसल, यूनेस्को ने रिपोर्ट कि है इसके बाद जे. बी. एन्डन ने ५८ में रिपोर्ट दी उसका आज तक पता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष, मैं इस पर हमेशा अर्ज किया करता हूं, फिर अदब के साथ अर्ज़ करता हूं कि आपकी तारीफ में तुर्रा तभी लग लग सकता है जब कि आप इतनी बड़ी प्रोब्लम को सोल्व करें । आप वहां से इलेक्शन लड़ लीजिये, वहां आकर इलेक्शन लड़ लीजिये, वहीं से आकर यह काम कर लीजिये । पर आपको यह मद्देनज़र रखना होगा कि यह सबसे सीरियस प्रोब्लम है, जितनी आपकी और दूसरी प्रोब्लम्स हैं उनसे सबसे ज्यादा सीरियस है, जैसे वहां आदमी की इन्सान की जिंदगी नहीं

(श्री अनोपसिंह)

एक कुत्ते की, जानवर की जिंदगी बसर करते हैं, दिन भर आदमी इसी काम में लगा रहता है, अभी पानी लाया फिर पानी लाया, फिर पानी लाया। उनकी जिंदगी भी क्या कोई इन्सान की जिंदगी है ? माननीय अध्यक्ष, मैं अब इसको रिपीट नहीं करते हुए यही अर्ज करूंगा कि जितनी मेग्निट्यूड की प्रोब्लम है, उतनी सिनसियेरिटी से आपने इसे नहीं सोचा है। मैं तो आपसे यह अर्ज करूंगा कि रेगिस्तान के इलाके में आप जितनी दूसरी फेसिलिटीज़ देते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स सब कुछ हटा दीजिये पर वहां आपको पीने का पानी देना पड़ेगा।

इसके बाद मैं एक और अर्ज कर दूं। ताजा कमेटी है हरिश्चन्द्र कमेटी की सिफारिशें, जिन्होंने १००० लाख का बजट देकर अपनी रिपोर्ट की और मैं समझता हूं कि वह भार्गव साहब की किसी फाइल में किसी टोकरी में पड़ी होगी या उन्होंने उस पर कुछ किया भी है तो वे धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं, पर इसके सिवाय कोई सीरियस एक्शन जो दिमाग को घुमा दे, जो दिमाग में तूफान पैदा कर दे, ऐसा कोई काम नहीं किया है। जैसे आजकल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसी रूटीन से काम चल रहा है।

अच्छा होता कि हमारा यह प्लान मुख्य मंत्रीजी केन्द्रीय सरकार को दे देते, हो रहा हैं अगर उनसे इस बारे में कुछ नहीं हो रहा है। केन्द्रीय सरकार को दे दें रेगिस्तान को रोकने के लिये जो कार्यवाही केन्द्रीय सरकार कर रही है उसके साथ साथ इस काम को भी वह करेगी ? इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान के पैसे से इस प्रोब्लम को सोल्व किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष, एक बड़ी चिन्ता की चीज़ और दिल को चुभने वाली चीज़ लगती है, वह यह है कि फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स चपरासियों में और मिनिस्टीरियल स्टाफ है उनके ऊपर हमेशा हम कट मोशन लाया करते हैं, यह क्या आदत है ? आपको कट लाना है तो कभी यह कट लायें कि कमिश्नर्स की पोस्ट्स को हटा दिया, या कट कर दिया, जो लाखों की चीज है उसमें आप यदि कट करते हैं तो हम समझें कि आप कुछ करते हैं, पर जो लोग बिलकुल पिसे हुए हैं, मरे हुए हैं, उनके पेट को कट क्यों किया जाय ? इन छोटे छोटे कर्मचारियों का पेट क्यों काटा जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं जानना चाहूँगा कि छोटे छोटे कर्मचारियों के पेट को काटने का जो सवाल उठाया गया है वह कैसे उठता है ?

श्री अनोपसिंह : ५ पर्सेन्ट एड्हॉक कट इन पर लगाया है वह....

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह अच्छी तरह समझा दिया गया है कि रिट्रेन्चमेंट नहीं होगा, आगे की खाली जगहों की भरती को रोका जायगा।

श्री अनोपसिंह : यह अनएम्प्लोयमेंट इन्हीं के लिये क्यों हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो जगहें होंगी, और भरती नहीं की जायगी। पेट काटने की बात तो तब होती कि अब जो एग्जिस्टेन्स में हैं उनमें रिट्रेन्चमेंट लागू किया जाता। रिट्रेन्चमेंट तो होगा नहीं, फिर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पेट काटने का सवाल कहां पैदा होता है ?

श्री अनोपसिंह : मैं समझ गया कि खाली जगहों पर नई भरती नहीं करेंगे, पर आप नया का नया डिपार्टमेंट खोल देते हैं और इतना रुपया खर्च करते हैं, यह क्यों? कमिश्नरों को रखना क्या जरूरी है ? सीधा कनेक्ट कर दें, स्टेट गवर्नमेंट से सारे एड्मिनिस्ट्रेशन को तो आपको खूब बचत हो सकती है । इन छोटे छोटे चपरासियों को मार डालने से कुछ नहीं होगा । एक आदमी जो बहुत मोटा हो रहा है उसकी चर्बी कम कर देंगे तो अच्छा रहेगा, पर जो पहले ही से दुबला पतला हो रहा है उसकी चर्बी को कम करेंगे तो वह मर जायगा ।

(हंसी)

स्कूलों के बाबत में अर्ज करूंगा कि आपने स्कूलों की क्वान्टिटी को बढ़ाया है, स्कूलों के खाके को आपने बड़ा लम्बा-चौड़ा किया है । मैं आपको इस बात के लिये बधाई दूंगा कि आपने स्कूलों की क्वान्टिटी को बढ़ाया, प्राइमरी स्कूलों का और दूसरी स्कूलों का नम्बर बढ़ा दिया, पर इसके साथ साथ अर्ज करूंगा कि क्या हम इस तरह की क्वान्टिटी बढ़ाते जायं, इससे हमारे तुर्रा लग जायगा, लोग पढ़-लिख जायेंगे । आप कहीं जाकर देखें तो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जायगा कि वे बच्चों को पढ़ने के लिये भेजें । "स्कूल चलो" आन्दोलन चला, इससे शुरू-शुरू में लड़के स्कूलों में गये, शुरू-शुरू में आन्दोलन अच्छा चला उस समय स्कूलों में लड़के गये, एक स्कूल में मान लीजिये ५० लड़के नये गये तो वहां से रिपोर्ट कर दी कि ५० लड़के पढ़ने के लिये नये आये । इस तरह की जगह जगह से रिपोर्ट्स आईं, पर वहां स्कूलों की बाद की एटेन्डेन्स देखें कि वे सब के सब लड़के भाग गये । मैं कहता हूँ, यह आन्दोलन ६० पर्सेन्ट फेल हुआ है । वे बच्चे जो एक दिन आये हैं महीने भर रहने के बाद भाग गये । स्कूलें दूर दूर रहती हैं, लोग बच्चों को वहां पहुँचा नहीं सकते । हो सकता है कि किसी बहुत ही एनलाइटन्ड एरिया में यह बात सफल हुई हो कि एक बार अपने बच्चों को स्कूल में डाला और वे पूरे सेशन तक बराबर स्कूल आने लगे । बाकी यह कहना गलत है कि इसमें हम कामयाब हुए हैं । आप किसी भी स्कूल में जाकर देखेंगे तो उनके अन्दर रजिस्टर में तो रोल लिखे हुए २५ लड़कों के नाम मिलेंगे लेकिन वहां पर एटेन्डेन्स आपको ५ या ७ ही मिलेगी जब आप मास्टर से पूछें कि आपने हमको इत्तला क्यों नहीं दी कि हमारे यहां पर लड़कों की संख्या इतनी कम है तो वह कहता है कि आप मुझे ५० रुपये तो वेतन के देते हैं और मेरा यह फर्ज नहीं है कि मैं आपको इसके लिये इत्तला दूं । अगर मैं इसमें झूठ कहता हूं तो आप इसकी इन्क्वायरी करवा कर और अच्छी तरह से जाच करवा कर देखें कि वहां पर स्कूलों में कितने लड़के आते हैं ?

अब मैं आगे एक चीज़ और अर्ज करूंगा, मैडिकल एन्ड पब्लिक हैल्थ विभाग के संबन्ध में । पब्लिक हैल्थ में कुछ ऐसी बीमारी आ गई है जिसको कहना बहुत जरूरी है । पब्लिक हैल्थ वास्तव में दूसरों की बीमारी को मिटाने के लिये है, मगर इस विभाग में खुद में बहुत बड़ी बीमारी आ गई है ।

(श्री अनोपसिंह)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : यह विभाग तो बीमारी को मिटाता है, फिर बीमारी यहां कैसे आ गई ?

श्री अनोपसिंह : अफसोस मुझे भी इसी बात का है कि यह बीमारी कहां से आई ? लेकिन आप दोनों ही बीमार से हैं और साथी हैं ।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : इसीलिये दोनों को जाना पड़ता है ।

श्री अनोपसिंह : कहां जावें ?

श्री अध्यक्ष : प्राकृतिक चिकित्सालय को जावें ।

श्री अनोपसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि मेडिकल हैल्थ वाले लोगों की बीमारी को दूर करते हैं लेकिन यहां पर डाक्टरों के दिमाग में बीमारी, नर्सों के दिमाग में बीमारी, इन्क्वायरी में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां के लोगों के दिमाग में बीमारी । यदि आप इन्क्वायरी में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार यह बीमारी फैली हुई है । आप यदि जाकर किसी से यह पूछें कि फलां नम्बर का बेड किस वार्ड में है तो वह कहता है कि मुझे पता नहीं, आप डॉक्टर साहब से पूछिये । यदि डॉक्टर से पूछें कि मैं मेरे कोई रिश्तेदार बीमार है उनसे मिलना चाहता हूं किस समय मिल सकते हैं तो कहता है मुझे पता नहीं । अगर उनसे यह पूछें कि किसी आदमी को परसों भर्ती कराया था वह किस वार्ड में है तो कहते हैं कि हमें पता नहीं । किसी डॉक्टर साहब से जाकर अपना हाल कहते हैं और कहते हैं कि डॉ० साहब छोटी सी बात है जरा सुनिये, तो कहता है कि ठीक है मैं जानता हूँ तुम क्या समझते हो, जाओ मुझे फुर्सत नहीं है । इसी तरह की बातें उनके दिमाग में बैठी हुई हैं ।

डॉक्टर अगर चाहे तो किसी को भर्ती करा सकते हैं और अगर हमारा कोई जाना पहिचाना व्यक्ति हो और हम उसको भर्ती कराने के लिये जावें जो बहुत ही बीमार हो तो भी उसके लिये यह कह दिया जाता है, " नो वेकेन्सी "। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं जान पाया कि यह वेकेन्सी किस प्रकार होती है ? हमारे लिये नो वेकेन्सी का कार्ड किस प्रकार लग जाता है और डॉक्टर के आदमी के लिये वेकेन्सी किस प्रकार हो जाती है । लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में और होस्पिटलों में तभी जाते हैं जब बीमार होते हैं और अगर कोई व्यक्ति वास्तव में बीमार है और भर्ती करने के योग्य है और उसको भर्ती नहीं किया जाता है तो फिर अस्पतालों की जरूरत क्या है ? मैं इस बात को मानता हूं कि बीमार इतने हैं कि वहां पर जगह नहीं, मगर जो व्यक्ति वहां पर भर्ती करने के लायक हो तो उसको तो जगह किसी न किसी तरह से मिलनी ही चाहिये या ऐसा होना चाहिये कि एक आदमी इतना सीरियस नहीं है जितनी कि दूसरे आदमी की कन्डीशन सीरियस है, अगर १९ या २० हो तो पहले २० डिग्री वाले बीमार को भर्ती करना चाहिये और दूसरे को नहीं करना चाहिये, मगर होता क्या है कि १८ डिग्री का बीमार भर्ती हो जाता है और २० डिगरी का बीमार भर्ती नहीं हो पाता है । मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आप पीड़ित जनता को राहत नहीं दिला सकते तो फिर आपको यह बजट नहीं मिलना चाहिये, जो…

(श्री अनोपसिंह)

आपने मांगा है, आपको यह बजट देने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जिस समय गांवों में डिस्पेन्स-रीज़ हैं वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि सल्फे-डाइज़िन की गोलियें नहीं हैं, तो जब उनसे पूछतें हैं कि सोडा बाई कार्ब है तो कहते हैं कि यह भी नहीं है। टिन्चर है तो कहते हैं कि नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपके यहां पर इस प्रकार की मामूली मामूली दवाइयें भी नहीं मिल सकतीं तो फिर यह इतना बड़ा डिस्पेन्सरी का बोर्ड किसलिये है ? आप यहां पर क्यों बैठे हैं ? वे कहते हैं कि हमको मिला नहीं। एक आदमी गांव में बगैर इंजेक्शन के मर रहा है। डॉक्टर उसको लिख देते हैं कि फलां इंजेक्शन लाओ। वह मिलता नहीं। डॉक्टर को कहा जाता है कि आप पैसा ले लें मगर वह कहता है कि मैं नहीं देता। ऐसा कई बार होता है कि पेन्सलीन के इंजेक्शन के लिये लोगों को अपनी जान दे देनी पड़ती है ? क्योंकि वहां पर कोई नजदीक में केमिस्ट तो होता नहीं, जहां पर छोटी छोटी डिस्पेन्सरी और होस्पिटल होते हैं। वह इन्जेक्शन १ रु० १२ आ० या १ रु० ५ आ० का मिलता है मगर वह दवाई नहीं मिलने से वह आदमी मर जाता है क्योंकि आपके वहां पर दवाइयों का कोई स्टोकिस्ट नहीं है। कहने का मतलब यही है कि आपके वहां पर सोडा जो दो पैसा का आता है वह भी नहीं मिलता। फिर डॉक्टर और नर्सेज़ इतनी बड़ी बिल्डिंग में क्या करते हैं ? यह तो वही बात हुई 'ऊंची दुकान और फीका पकवान'। मैं इसलिये यह अर्ज नहीं कर रहा हूं कि मैं विरोधी पक्ष में होने के नाते इसका विरोध करता हूं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लोग वहां लोगों को दवा नहीं देते और उनको लोगों के नाम पर खर्च मांड देते हैं और पैसा पैदा करते हैं।

माननीय मंत्री महोदय का मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बहुत से डिपार्टमेंटों के बारे में अर्ज करना है। मैं यह अर्ज करूंगा कि आपका जो यह बजट पेश किया गया है उसमें बहुत ज्यादा घाटा नहीं है। क्योंकि घाटे को तो कहीं न कहीं से टैक्स लगा कर सरकार पूरा कर लेती है। आपने इसके साथ ही साथ यह लिख दिया कि हमारे सर्प्लस होंगे। घाटा तो वैलफेअर स्टेट में होता ही है। क्योंकि पब्लिक युटिलिटी के लिये जो रुपया खर्च किया जावे तो घाटा होता ही है और जब घाटा होता है तो सेल्स टैक्स को बढ़ा कर पूरा किया जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सेल्स टैक्स आखिर जाकर पड़ता किस पर है ? आप यह कहते हैं कि यह किसानों पर और आम जनता पर नहीं पड़ता मैं यह कहूंगा कि यह किसान पर ही पड़ता है। आखिर एक किसान अपनी प्रोड्यूस को बेच कर शक्कर या गुड़ या अन्य पदार्थ ही खरीदता है तो उसको तो सेल्स टैक्स देना ही पड़ता है उस पर भी आप कहते हैं कि हम किसानों से टैक्स नहीं लेते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो यही कहता हूं कि यह टैक्स किसानों पर पड़ता है। आप बेचने वालों से सेल्स टैक्स वसूल नहीं कर सकते। वह इस तरह से आप को घुमाता है और सेल्स टैक्स में इस तरह से आपको चक्कर देता है कि आप उससे वह वसूल नहीं कर सकते और उससे इतने आसानी से वसूल नहीं कर सकते जितनी आसानी से आप एक किसान से वसूल करते हैं।

(श्री अनोपसिंह)

आपने इसको कैसे पूरा किया ? किसान तो मर गया, इधर चपरासी मर गया और व्यापारी आपको कुछ पैसा सेल्स टैक्स का नहीं देते, इसलिये उधर एक्सचेकर में वही घाटा रहता है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना अर्ज करते हुए यह निवेदन करूंगा कि ओन दी होल यह बजट ठीक है। हालांकि वैलफेअर स्टेट में होना चाहिये और जिस तरह से इसको अरेन्ज किया है उसके लिये एक वर्ड में कहूं कि यह आपके फिगर्स केल्क्यूलेशन की जगलरी है। अगर ऐसा बजट लाया जा सकता है और इसको बजट कहा जा सकता है तो ठीक है।

श्री घासीराम यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वह क्षेत्र अलवर जिले और पंजाब के बोर्डर से मिला हुआ है इसलिये जो बातें मैं यहां पर कहूंगा उसमें बराबर उसका जिक्र आवेगा कि पंजाब में क्या हो रहा है और हमारे यहां क्या हो रहा है ? कोई भी गवर्नमेंट मैं मानता हूं कि अच्छी या बुरी नहीं है। अच्छे-बुरे तो सभी जगह पर हैं। हमारे यहां लोग जिक्र करते हैं और पूछते हैं कि पंचायतों में क्या होता है ? पंजाब में क्या होता है और हमारे यहां पर क्या होता है ? जब मैं कॉन्स्टिटुएन्सी का दौरा करता हूं तो लोग मुझ से पूछते हैं कि किसानों के लिये बिजली और नहर के बारे में क्या हो रहा है ? मैं कहता हूं कि जैसलमेर और दूसरी जगह राजस्थान में नहरें जा रही हैं और कोटा से, चम्बल से नहरें आवेंगी तो लोगों को बहुत खुशी होती है। लोग यह पूछते हैं कि हमारे इलाकों में क्या होगा ? अलवर में क्या होगा ? मैं चुप हो जाता हूं। क्योंकि मुझे अब तक पता नहीं चला कि कब बिजली हमारे यहां आवेगी। मैं यह कहूँगा कि भाखरा से अलवर नजदीक है और सीकर और झुंझुनू आदि दूर हैं। मगर हमारे यहां बिजली नहीं आती है। जब बार बार इसके लिये पूछते हैं तो कहते हैं कि यह केबिनेट का डिसीज़न हुआ है। यह केबिनेट डिसीज़न ५३-५४ में हुआ था। यह केबिनेट का फैसला कैसे हुआ, यह हमें कतई मालूम नहीं। हम उनको कैसे समझावें ? हमारे गांव पंजाब की सीमा पर हैं। रिवाड़ी से होकर बिजली जाती है और उसके खंभे हमारे खेतों में हैं। हमारे खेतों में से बिजली गुजरती है और गुजर कर पचास मील में जाती है, पंजाब के गांवों में बिजली है लेकिन हमारे गांव तो यों ही रह जाते हैं, उनमें बिजली नहीं पहुंचती। रात्रि को लोगों से यह पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पंजाब है और कौन सा राजस्थान है ? जहां बिजली का प्रकाश दिखाई देता है वह पंजाब है और जहां अंधेरा है वह राजस्थान है। हम यह समझा देते हैं कि हमारे यहां नहरें नहीं हैं, इसलिए नहीं आ सकती, गंगा नदी के पास नहीं है, चम्बल नदी के पास नहीं है। लेकिन जब बिजली पंजाब में आती है तो हमारे यहां क्यों नहीं आती, लिफ्ट इर्रिगेशन से भी नहीं आ सकती, पंजाब के चप्पे २ पर आ रही है तो हमारे यहां क्यों नहीं ? उनके सम्मुख चुप्पी साध लेनी पड़ती है। हमारे यहां पांच गांव ऐसे हैं जो कि पहले पंजाब में थे, राजस्थान में आये तो हाल यह हुआ कि वहां पजाब में रहने की हालत में बिजली आने वाली थी लेकिन इधर आ गये इसलिए बिजली आना हट गया और इधर बिना बिजली के हैं ही।

(श्री घासीराम यादव)

इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री जी और केबिनेट इस बात पर विचार करें कि यदि कोई गलती हो गई है पहले के फैसले में तो उसमें परिवर्तन करें ।

बिजली के अलावा दूसरी चीज़ है प्रोडक्शन बढ़ाने की । अलवर जिले में पांच साल से कुछ काम नहीं हुआ है । एक मीडियम प्रोजेक्ट रखा था सादी का, वह आज तक भी शुरु नहीं हुआ । छोटे २ बन्ध थे । १५-२० बन्ध तो ऐसे हैं कि आज भी टूटे पड़े हैं । न तो बांध बने और न ही दुरुस्ती हुई । मिनिस्टर महोदय के आस पास के क्षेत्र के सिवाय जहां एक बंध है दूसरा कहीं भी कोई बन्ध नहीं बना । माइनर इर्रिगेशन है इस पर सरकार को ज्यादा खर्चा करना चाहिये था जिससे कि अधिक प्रोडक्शन हो सकता था । इसके मुकाबले में हमारा जो बोर्डर एरिया है पंजाब का वहां पर जिस जगह बन्ध बन सकते थे बन्ध बने हैं, पंजाब में, बोर्डर एरिया में, सड़क की दूसरी तरफ बन्ध बने हुए हैं और हमारे इधर सरकार की दूसरी ओर बन्ध टूटे पड़े हैं ।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में हमारे इलाके के दूसरी तरफ, पंजाब गवर्नमेंट की या भारत सरकार की स्कीम है, ट्यूबवेल सर्वे कराया । हमारे यहां सादी नदी है और इधर भी गुजरती है और उधर भी गुजरती है, हमारे यहां कोई ट्यूबवेल का एक्सपेरिमेन्ट नहीं हुआ और वहां पर १५ जगह पर ट्यूब वेल का एक्सपेरिमेन्ट हुआ है । सरकार ने पैसा लगाया, किसानों के पास पैसा नहीं । इससे उनको यह पता लगा कि उस जगह, धरती के जगह नदियां बहती हैं । एक दहनाई ऐसी जगह है । आखिर लोगों को ख्याल यह होता है कि हमारे राजस्थान में इधर यह क्यों नहीं होता है, उधर होता है तो कम से कम हमारे यहां भी होना चाहिये था ।

हमारे इलाके में एक बड़ी तकलीफ है । पंजाब में जहां पहले सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाने से पहले ही लोगों को मुआवज़ा मिल जाता है । वहां पर कोई ऐसी सड़क नहीं बनाई जाती कि लोगों को पहले मुआवज़ा उसका न दे दिया जाय, लेकिन हमारे यहां राजस्थान में ऐसा नहीं है । यहां पर तो सड़क बन भी जाती है और फिर भी मुआवज़ा नहीं मिलता । पांच साल में कोई भी ऐसी सड़क नहीं मिलेगी कि उसके बने हुए भी, इतना समय हो जाने के बाद मुआवज़ा दे दिया गया हो । यहीं तक नहीं, मुआवज़ा देना तो दूर रहा, मालगुजारी तक वसूल कर ली गई और जब असेम्बली में इस पर शोरगुल हुआ तो वह बन्द हुई । जमीन लेने के पहले कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये, लेकिन सात आठ साल तक भी कम्पेन्सेशन नहीं मिलता । इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और कम्पेन्सेशन लोगों को तुरन्त, पहले ही देना चाहिये । यह भी कितनी गलत बात है कि यहां पर कम्पेन्सेशन नोमिनल देते हैं । पंजाब में तो पिछले तीन साल की मार्केट वेल्यू को देख कर हिसाब लगा कर फिर कम्पेन्सेशन देते हैं । यहां तो बिलकुल नोमिनल देते हैं, असंतोषप्रद स्थिति है इसकी ।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे इलाके में, सारे अलवर जिले में एजुकेशन की बड़ी भारी प्रोब्लम है । हर

Page No.43

(श्री घासीराम यादव)

स्कूल में पचास साठ लड़कों के बीच में एक अध्यापक पढ़ाता है। तीन चार साल से मांग कर रहे हैं, मुख्य मंत्री जी से, केबिनेट के और मंत्रियों से कहा कि यह बड़ी भारी हमारे यहां की समस्या है, इससे काफी असंतोष है, लेकिन आज तक स्थिति ठीक नहीं हुई है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जहां पर ठीक अनुपात से लड़कों की संख्या पर स्कूल मास्टर हो। पचास-साठ लड़कों के वास्ते केवल एक मास्टर मिलता है। इसलिए मास्टरों की संख्या को बढ़ाना चाहिये, लोगों में बड़ा असंतोष है।

गवर्नर एड्रेस और बजट भाषण में भी यह बात आयी कि लड़कियों की शिक्षा में प्रगति हुई है। एक लाइन उसमें लिखी थी और एक लाइन इसमें लिखी है। लेकिन हमारे इलाके में तो इसकी बड़ी भारी समस्या है। पांचवीं तक लड़के और लड़कियां प्राइमरी स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं, लेकिन लड़के तो आगे मिडिल स्कूलों में जाकर भर्ती हो जाते हैं लेकिन लड़कियों के लिए कोई मिडिल स्कूल अलग नहीं होने से भर्ती नहीं होती। माता पिताओं की लड़कियों को पढ़ाने की बड़ी इच्छा होती है लेकिन देहात में आज तक कोई भी मिडिल स्कूल नहीं खोला गया। जब तक लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग अलग नहीं होंगे, लड़कियों की शिक्षा में तरक्की नहीं हो सकती। पांच जमात तक आप दोनों को साथ रखते हैं, फिर मिडिल स्कूल में लड़के तो चले जाते हैं, लड़कियां नहीं। यदि आप लड़कियों के लिए पहले से अलग से प्राइमरी स्कूल्स रखेंगे तब ही तो राइज़ करेंगे। हमारे यहां, उधर आपने सन् ४८ से सन् ६० तक कोई भी मिडिल स्कूल नहीं खोला है। हमारी तहसील में कोई प्राइमरी स्कूल अलग से नहीं खोला है। इससे तो यही मंशा है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाय। फिर लड़कियों के लिए होस्टल बनाइये। गांवों में शिक्षा की बड़ी भारी प्रोब्लम है। अलवर जिले में हैडक्वार्टर पर भी कोई लड़कियों का होस्टल नहीं है।

पांचवीं बात यह कहना चाहता हूं कि आपने सरचार्ज लगाया। इसको कम्पीटिशन की दृष्टि से लोग देखेंगे। पंजाब के लोग सरकार को मालगुजारी देते हैं, हम भी मालगुज़ारी देते हैं। वे लोग मालगुज़ारी को देखते हैं। पंजाब के लोग कहते हैं कि तुम दुगुना क्यों देते हो? हम कहते हैं कि हमारे राजस्थान में अकाल ज्यादा पड़ते हैं। अब फिर आपने सरचार्ज कर दिया। वैसे ही लैंड रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा हुआ है और ऊपर से और सरचार्ज कर दिया। अब लोगों को इसका जबाव देना मुश्किल हो गया। इसलिए यह जो सरचार्ज है वह न्यायसंगत नहीं है। लोगों के पास अच्छी पैदावार हो और उनका विकास किया जाय, लेकिन इस सरचार्ज को लगाना तो अनसाइन्टिफिक होगा, जो विकास करने देने की मंशा है वह पूरी नहीं है। अलग अलग रजवाड़े थे तो अलग अलग टैक्सेज़ थे। किसी जगह भी मालगुजारी को कम नहीं किया गया। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां नीमनाण चीफ शिप थी। वहा पर अधिक लगान था। विकास भी अधिक हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार का लेजिस्लेशन पास किया जाय कि जो ज्यादा मालगुज़ारी दे, विकासशील बने, वह अधिक टैक्स दे। अलवर स्टेट के समय में कुछ ऐसी व्यवस्था थी राज्यों में कि नज़-

(श्री घासीराम यादव)

टीक के हिस्सों में राज्य चलाने के लिए अधिक मालगुज़ारी रखते थे। इसी तरह से नीमनाणा चीफ शिप थी लेकिन इससे भी मंशा पूरी नहीं हो सकती सरकार की, इससे विकास में बाधा उत्पन्न होगी। टैक्स लगाने के लिए अन्य चीजें बहुत हैं। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स फिर भी इसके मुकाबले में ठीक है। किसी रीज़न पर तो वह बेस्ड है कि ज्यादा इनकम हो, पैदावार ज्यादा हो एग्रीकल्चर से तो ज्यादा टैक्स दे। यह प्रोमोटिव, अनसाइन्टिफिक, क्रूड और कितनी कितनी बातें हैं। पहले काइन्ड में मालगुज़ारी ली जाती थी, उसको हटाया। फिर से इसको इस प्रकार से करें तो यह उचित नहीं कहा जा सकता।

आज हम लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज को बढ़ा रहे हैं और भी चीजों पर टैक्स लगाया है यह गलत बात है। टैक्सेशन का प्रिन्सिपल है कि जिसकी इन्कम ज्यादा हो उसी को टैक्स करें। जिनकी इन्कम बहुत थोड़ी है वे तो ५० रुपया देते हैं उनसे जिनकी आमदनी ज्यादा होती है वे उससे भी कम देते हैं। अजमेर में कम मालगुजारी है, अलवर में ज्यादा है; यह जो इन-इक्वीटेबल है अगर उससे लगाते हैं तो वह और भी ज्यादा पड़ता है।

(१.१ म. प.)

श्री होतीलाल (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय की बजट स्पीच सुनी उसके लिये खुशी की बात है कि सबसे पहले वित्त मंत्री महोदय ने इस बात को एडमिट किया है कि स्टेट ट्रेडिंग की जो पॉलिसी थी उसमें एक करोड़ का घाटा हुआ। जिस वक्त पिछले साल सरकार ने डिक्लेअर किया था, फूड ग्रेन्स के बारे में स्टेट ट्रेडिंग पॉलिसी शुरू करना चाहती है, मैंने उस वक्त भी विरोध किया था लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना। अब सरकार इस बात को मानती है कि एक करोड़ का घाटा हुआ, ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार नहीं मानती है, फूड ग्रेन्स में घाटा रहा।

श्री होतीलाल : "Further, three items of adjustments, (1) of Rs. 100 lakhs on account of losses shown in the Profit and Loss Account of the Grain Trading Scheme in the past years..."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोन के जमाने की बात है।

श्री होतीलाल : It is not mentioned in it, Sir.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तो लाभ ही लाभ है।

श्री होतीलाल : फूड मिनिस्टर साहब ने अभी अभी कहा है कि लाभ ही लाभ है। मुझको यह समझ में नहीं आया कि क्लिअर तो कहते नहीं, लाभ ही लाभ है; मैं निवेदन करूंगा कि इसमें किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। सरकार अनाज खरीदती है फसल के टाइम पर, तो कम्पीटिशन व्यापारियों से होता है। किसानों को नाज बेचना होता है तो वे, उस समय कम कीमत होती है,

(श्री होतीलाल)

उसी पर बेच देते हैं । चूंकि सरकार सब किसानों का अनाज खरीद नहीं सकती इसलिये वह व्यापारियों के हाथ बेचना पड़ता है और फसल के समय व्यापारी भाव को गिरा देते हैं । वैसी हालत में नुकसान किसानों को होता है और सरकार जब खरीदती है वह व्यापारियों से खरीदती है और उस समय व्यापारी लोग काफी मुनाफा लेकर सरकार को देते हैं क्योंकि सरकार के पास सब का सब अनाज स्टॉक करने के साधन नहीं है । वह उतना ही खरीदती हैं जितना कि वे स्टॉक कर सके । डेफीसीट एरिया होता है कुछ जगह सरकार बहुत राहत देती है, लेकिन आज भी हम अनाज के भाव देखते हैं ज्यों ज्यों इस पॉलिसी को सरकार ने अख्त्यार किया फिर भी गेहूं के भाव काफी बढ़े हैं । आज गेहूं का भाव २० रुपया मन है, फसल के टाइम काफी नीचा भाव रहता है, तो आज जो गेहूं का भाव इतना है उससे फायदा किसानों को नहीं है और न सरकार को ही लाभ है । इससे तो केवल व्यापारियों को ही लाभ है, ऐसी सूरत में निवेदन करूंगा कि इस पॉलिसी के सम्बंध में मेरा सुझाव यह है कि स्मगलिंग एरियाज़ है उनको टाइटन करना चाहिये ये स्मगलिंग इतने सोलिड होते हैं कि इस तरफ ध्यान न जाकर यह न कहते हुए कि सारे ही व्यापारी हैं वे अनाज का स्मगलिंग करते हैं लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि इसका प्रोपरली चैकिंग नहीं हो पाता और अनाज के बाहर जाने की वज़ह से हो कीमतें बढ़ती हैं । शहरों में आप मान कर चलिये कि अनाज की कीमतों के बढ़ने से कितना असर हुआ है ? शहर में रहने वालों को तो हमेशा बाहर से ही खरीदना पड़ता है इसलिये उनको कीमतें भी ज्यादा देनी पड़ती हैं । कभी कभी गांव वालों को भी खरीदना पड़ता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां स्मगलिंग का प्रश्न है थोड़ा सरकार को इसे टाइटन करना चाहिये, अपना स्टाक बढ़ाना चाहिये । मेरा तो इसमें यह सुझाव है कि पंचायतों को यह अधिकार दे दिया जाना चाहिये कि जहां भी स्मगलिंग होता है उनके एरिया में वे रोकें और उसको पकड़ें । वे ट्रक्स से जो अनाज का स्मगलिंग होता है उसे पकड़ सकें, इस प्रकार के पॉवर्स होने चाहिये । इसके साथ साथ यह भी निवेदन कर दूं कि इतने पॉवर्स से काम नहीं चलेगा । केवल पकड़ने का अधिकार देने से तो करप्शन बढ़ेगा । इसको रोकने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके साथ साथ यह भी होना चाहिये कि जितना अनाज वे पकड़े उनका कॉन्फीसकेशन का शेयर उसमें रख देना चाहिये इससे करप्शन भी रुकेगा । इसलिये, मेरा सरकार से निवेदन है कि पंचायतों को स्मगलिंग रोकने के अधिकार प्रदान किये जायं ।

इसके साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी है, जहां हमारे पास सरप्लस अनाज होता है और जिसको हम दूसरी स्टेटस को सप्लाई करते हैं इस सिलसिले में निवेदन है कि प्रेजेन्ट पॉलिसी के अन्दर कलेक्टर और एस. डी. ओ. को ये अधिकार दे रखे हैं जो करप्शन बढ़ाने वाली चीजें हैं । इसके लिये मेरा निवेदन है कि एक्सपोर्ट की पॉलिसी के सम्बन्ध में सीधे गवर्नमेंट लेवल पर तय करना चाहिये । ऐसी हालत में जितनी भी मंडियां हैं वहां फाइन्ड आउट किया जाय कि किस किस मंडी में कितना कितना सरप्लस अनाज है । उसके बाद जिस जिस

(श्री हीरालाल)

सरकार को चाहिये वह सीधी स्टेट गवर्नमेंट से तय करे कि इतना इतना अनाज चाहिये। इस तरह की पॉलिसी के हो जाने से एस. डी. ओ. और कलेक्टर के जरिये जो भ्रष्टाचार होता है कि वे इन्डिविज्युअल व्यापारी को परमट देते हैं वह नहीं हो पायेगा और करप्शन भी नहीं बढ़ेगा।

उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करूं कि बाड़ी मन्डी जो भरतपुर में थी वहां से सरप्लस अनाज बहुत प्रोक्योर किया गया वहां से एक्सपोर्ट की पर्मिशन नहीं देते, भरतपुर का कलेक्टर वहां से दे सकता है। जब कि गेहूं के प्रोक्योरमेंट के लिये भरतपुर की मंडी से एक्सपोर्ट की छुट दी है तो वहीं से वे अनाज लें। जितनी भी एक्सपोर्ट करने की चीजें हैं, चना वगैरह, उसका लाइसेन्स दूसरों को देते हैं और प्रोक्योर गेहूं करना चाहते हैं हमसे। ऐसी हालत में हजारों मन के पर्मिट्स इससे भी ज्यादा के भरतपुर के एस० डी० ओ. ने दिये। इस प्रकार की भी गरम अफवाह है कि सारे व्यापारियों को जिनको परमिट दिया गया, मैलाफाइड इन्टेन्शन से दिया गया। इस बात का कलेक्टर को पता होने के बावजूद भी उन्हीं के पास यह काम रखा गया। एस० डी० ओ. के सिलसिले में वैसे तो यह भी कहा जाता है कि उन पर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बहुत कृपालु हैं। इस बारे के कुछ कोन्क्रीट उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा। उन्होंने एक दिन के लिये कलेक्टर को ऑफिशियेट किया, वैसी हालत में आर्म्स के लाइसेन्स without taking police report दिये गये।

इसके अलावा मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं, एक समय ऐसा आया उन्हीं के रिलेशन के एक बड़े भाई कलेक्टर, छोटा भाई एस० डी० ओ. वैसी हालत में वहां की सारी हुकूमत घर की बन गई। वैसी हालत में उनके एक रिश्तेदार ने उन पर प्रेशर डाला, जहां राजस्थान के आदमी को नौकरी नहीं मिलती है, वहां यू० पी० के आदमी को नौकरी मिल जाती है, न मालूम हमारे यहां यह कैसी पॉलिसी है? आपके यहां किसी प्रकार के टैक्निकल आदमियों की कमी हो तो आप यू. पी. गवर्नमेंट से लैंड सर्विस पर मांग लीजिये लेकिन आप पर्मानेन्टली एम्पलोय कर लेते हैं तो अपने राजस्थान वाले कहां जायेंगे? राजस्थानियों का हक मार कर ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिये। इसके अलावा, मैं निवेदन कर रहा था कि खुद उनका अंकिल है उनको उन्होंने कलेक्टरी में नौकर किया।

सब से बड़ी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि उनके लड़के की या भतीजे की, डेफीनिट तो नहीं कह सकता, शादी की। वे यू. पी. के रहने वाले हैं, एटा या मैनपुरी जिले के। तो उन आइदर ऑफ देम की यू. पी. में ही शादी हुई। इसके लिये मोटरें ट्रकें जाती हैं भरतपुर से। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यहां से इतनी दूर इनको ले जाने में उनका क्या सैंस है? उनको यहां से वहां तक जो टैक्स देने पड़ेंगे, तीन महीने का देना पड़ेगा, इसके अलावा वहां वालों को किराया देकर भेजते हैं तो इससे यू. पी. में उनके घर में ही किराये पर लाने में किफायत होगी या भरतपुर से ले जाने में?

इसके अलावा, इतना ही नहीं, उनके

(श्री होतीलाल)

वहां शादी में पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट की सिनेमा वान मशीन गई। बरात में उसका शो किया। यह उस समय की बात हुई जब दोनों भाई कलेक्टर और एस. डी. ओ. थे। अब सबसे बड़े अफसर का जिले में यह करेक्टर रहता है तो आप अन्दाज लगाइये कि लोगों की उनके प्रति क्या भावना पैदा होगी ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): राजस्थान की तरक्की का प्रोपेगेण्डा करने सिनेमा वान गई होगी।

(हंसी)

श्री होतीलाल : मैं और निवेदन करूं। यह मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें रिकॉर्ड से आपको मालूम हो सकती हैं।

दूसरी चीजें और कहना चाहता था, पर अधिक नहीं कह कर थोड़ा ही कह देता हूँ। कुछ इस तरह की भरतपुर में अफवाह फैली कि भरतपुर के एस. डी. ओ. रिश्वत खाने में बड़े ऊंचे चढ़े हुये हैं और रिश्वतें लेने में बहुत माहिर हैं। उनकी ट्रान्सफर एप्लीकेशनें पढ़ीं, इस तरह की कलेक्टर के यहां। एक-दो नहीं, चार नहीं, बीस-पचास। इस एलीगेशन की बिना पर दसों का ट्रान्सफर हुआ। आप बताइये कि क्या बिलकुल आंख मीच कर आप शासन को चलाना चाहते हैं या सुनना नहीं चाहते। आखिर बात क्या है ? मैं इतना भी कह सकता हूं कि उनका ट्रान्सफर नहीं हुआ। उनके खिलाफ एम. एल. ए. तक ने, वकीलों तक ने शिकायतें की रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से। उनका ट्रान्सफर का ऑर्डर भी एक-दो बार हुआ। पर वे कैंसिल हो गये। इसके लिये एस. डी. ओ. साहब बड़े गर्व से कहते हैं कि ये रेवेन्यू मिनिस्टर जब तक हैं तब तक मेरा कोई ट्रान्सफर नहीं कर सकता, मैं चाहूंगा तभी मेरा ट्रान्सफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिले में इस तरह का प्रचार होता है और एक्शन में भी यही नज़र जब आता है तो आप सोच सकते हैं लोगों में क्या विचार आवेंगे और क्या भावना बनेगी मिनिस्टर महोदय के लिये भी और इस सरकार के लिये भी और इसके अफसरों के लिये भी ! ऐसा भी नहीं कि भरतपुर में ही कोई चीजें उनकी ऐसी हुई हों या भरतपुर में तो शिकायतें करने की आदत है। वे हिन्डौन में थे। वहां पब्लिक एजीटेशन उनके खिलाफ इस बात का हुआ कि वे रिश्वत लेते हैं। इस तरह का उनका पास्ट केरियर रहा। तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि ट्रान्सफर ही सिर्फ इसकी रेमेडी नहीं है, हालांकि ये ट्रान्सफर भी वे आपके रहते होते नहीं। आप एन्क्वायरी करें उनके कन्डक्ट की। उनको वहां से हटाकर एन्क्वायरी करें। आप वहां के बार एसोसियेशन में जाइये। इन्डिविजुअल मेम्बर से बात करिये, वे स्पष्ट कहते हिचकते हैं क्योंकि उनके दो दो ट्रान्सफर कैंसिल हो गये, मिनिस्टर साहब तक उनकी पहुँच है, इस तरह का प्रचार है और प्रचार ही नहीं, वैसा होता भी है। आखिर वकीलों को उनके यहां अपने केस लड़ने होते हैं। आप अपने खुफिया आदमी वहां भेजिये और इन्डिविजुअल मेम्बर से बात करें। वे यहां तक भी उदाहरण आपको देंगे कि

Page No.48

(श्री होतीलाल)

फलां फलां के केस में कितने कितने रुपये उन्होंने लिये हैं, आखिर वकीलों से कोई चीज छुपी नहीं रहती । मुवक्किल कहते हैं, चिन्ता ही मत करो वकील साहब, मेरा तो काम ठीक हो जावेगा, मैंने इन्तजाम कर लिया है । जब ऐसी चीजें हैं तो दर असल में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इनको देखें । इनको रोकें । एक्सपोर्ट की जो आपकी पॉलिसी है इसमें भी यही होता है । इसको बदलना चाहिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो एस. डी. ओ. पर इस तरह से एलीगेशन्स लगाये हैं रिश्वत और करप्शन के, तो क्या वे इसके कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ देने को तैयार हैं ? ताकि इन्क्वायरी इन्स्टिट्यूट की जा सके उनके खिलाफ ?

श्री होतीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात जो इन्टरप्ट करके या एक्सप्लेनेशन के पोइन्ट ऑफ व्यू से माननीय मन्त्री महोदय ने कही उसने एक बात मुझे और याद दिला दी । मैं उसे भूल गया था कहने से । मैं वह निवेदन कर दूं । आपकी बातों का भी जवाब दूंगा । हाल ही में चीफ जस्टिस हमारे यहां पधारे थे । उनको भी कम्पलेन्ट की हुई है इनकी और वकीलों में से ही की गई हैं, जिसकी एन्क्वायरी स्टिल पेन्डिंग में है । कोरेस्पोन्डेन्स चीफ जस्टिस से चल रही है । इसके अलावा आप चाहते हैं तो एक पेम्फलेट है मेरे पास है, मैं कुछ उसमें से निवेदन कर देता हूं ।

'समन्दरसिंह रिदावर तहसील रूपवास, से क्या आपने एक हज़ार रुपये नहीं मांगे जब कि पिछले तीन एस. डी. ओ. तक झूठे केस लगे हुये की जांच करके दफ्तर दाखिल कर चुके थे । उसमें आपने विशेष दिलचस्पी और एक नॉन क्वालिफाइड एक्सपर्ट से मिलकर उसके विरूद्ध राय लिखवाई' । I will give you the name.

श्री चन्द्रभान पटवारी, भरतपुर, जिसने गरीब काश्तकारों की टीप काट दी और साबित होने पर भी ६००) रु० रिश्वत के लेकर उस केस को दबा दिया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, यह पेम्फलेट किसका है, क्या है ? माननीय सदस्य ने एलीगेशन लगाये हैं । ये इन्स्टान्स दें ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दे दिया है लिखित में । उसकी जांच भी हो रही है । कहा है ।

श्री होतीलाल : स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ हैं ये । जनरल नहीं कह रहा हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is very difficult, Sir. withont specific instances. to give reply. Give some specific instances of corruption.

श्री होतीलाल : Full details of the complaint can be known from the Lawyer who has done it, who has given a complaint to the Chief Justice. His name is Mukat Beharilal. You can contact him.

श्री दामोदरलाल व्यास : You are not prepared to give ?

श्री होतीलाल : "रोशनलाल पटवारी तहसील रूपवास से ३१ रुपया किराया कस्टोडियन वक़्त पर जमा न होने पर क्या आपने पांच सौ रुपये नहीं मांगे, न देने पर उसे मुअत्तिल कर दिया और जूडीशियल केस बना दिया।

कस्बा नदवई की मंडी से मार्फत सेठ हरिचरणलाल द्वारा १५,००० रुपये रिश्वत नहीं आई जिसके फलस्वरूप नाज की बन्दी होने पर आपके इशारे पर १८ हजार मन गल्ला बाहर भेजा गया, परन्तु जब डी. एम. शेरसिंह को पता लगा तो तत्काल गल्ले को जाने से रोक दिया।

ग्राम मई, तहसील नदवई, की टीप दुरूस्ती के मुकद्दमात चिरंजी बनाम कौम जाटवान में चिरन्जी जाट से दो हज़ार रुपया पहुँच जाने पर फैसला चमारों के फेवर में क्या नहीं दिया ?"

There are so many complaints and if you want I should prove them in the Assembly. I think it is not the proper place. I can give some examp. les. There are so many complaints that you can find but even then if you want that the S. D. M. is a man of integrity and honesty, you do as you please.एक ड्यूटी के नाते मेरा भी एक फर्ज है, इस नाते कि लोग कहते मुझे हैं, परेशान होते हैं उस नाते मैंने ये बातें आपके सामने रक्खी हैं और उदाहरण के लिये मैं बता दूं एक बात हैं, कई है आप किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर जांच कर लीजिये। जिसकी टीप काट दी गई, आज तक उसकी खातेदारी दर्ज नहीं हुई। नतीजा यह होता है इन्दराज़ को काटने का कि किसान मारा मारा फिरता है। आज के जमाने में लैंड पर सबसे ज्यादा भरतपुर में प्रेशर है। वह इस हालत में अपनी जमीन को किस प्रकार छोड़ देगा ? १५ साल का काश्तकार है। आज एस.डी.ओ. साहब आये मकान पर और उन्होंने चट से जाकर टीप उसके नाम की काट कर नये आदमी के नाम चढ़ा दी। मैं समझता हूं कि यह इन्दराज काटने की बीमारी राजस्थान में ही है, और कहीं नहीं होगी। पन्द्रह पन्द्रह साल,चालीस चालीस साल के काश्तकारों की काश्त काट दी गई।

ये एस. डी. ओ. साहब महीने में बीस बीस दिन इस तरह की टूरिंग करते हैं, इसे टूरिंग ही कह सकते हैं। पर टूरिंग नहीं, इस लिये कि यह तो एक जरिया था। ऐसी स्थिति में मैंने निवेदन किया।

इसके अलावा एक मेन्शन था डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का और उसको बड़ा महत्व माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में दिया। इसके सिलसिले में मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा कि जो आप इसको इतना महत्व दे रहे हैं यह बहुत ख़ुशी की बात है। उसके सिलसिले में थोड़ी सी दिक्कत जो पंचायत समितियों को आ रही है उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। सबसे पहली डिफिकल्टी जो आ रही है वह, जो आपने बजट भेजा था, to understand the technicality of that budget,

उस सिलसिले में जो उनके बी०डी०ओ० थे वे उनको पूरी हैल्प नहीं देते थे। जो प्रधान

(श्री हौतीलाल)

हैं, they are not supposed experts on this budgetting as they are new people. बी०डी०ओ० वगैरह को उनको जितना समझाना चाहिए था वह नहीं बता पाये। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने नये एम्पलोयमेंट कर लिए और फिर उसके ऊपर एतराज हुआ कि आपने गलत किया, उस समय एडवाइज़ नहीं किया। इसमें एक थोड़ी सी और मिस्‌-अन्डरस्टैंडिंग है कि ऑफिसर्स का जितना कोऑपरेशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। इस सिलसिले में मैं एक सुझाव दूँगा। इसमें एक कन्ट्रोवर्सी हो सकती है कि प्रधान कहेगा कि मुझे एडवाइस नहीं किया और उधर बी० डी०ओ० कहेगा कि मैंने एडवाइस किया था, पर इन्होंने माना नहीं। इसलिए जो एडवाइस वह प्रधान को दें वह रिटन में दें। मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे यहां १५ टीचर्स का एपोइन्टमेंट पंचायत समितियों में हुआ और मैं भी उस सब-कमेटी में मौजूद था। इसके लिए एतराज उठ चुका था। तो मैंने पूछा कि आपके यहां कुल कितनी स्ट्रेन्थ थी ? तो उन्होंने नया आर्डर बताया कि इतनी है। तो एक तो पहले से ही मेरे नोटिस में आ चुका था कि दूसरी जगह गलतियां हो गई हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने बजट के सिलसिले में यह सोचा कि कहीं गलत काम न हो जाय तो बी०डी०ओ० ने यह बताया और मुझे पता लगा कि जो एपोइन्टमेंट हो गए वे गलत हो गए। फिर मैंने पूछा कि ये गलत कैसे हो गए तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेन्ट ने सेंक्शन दी थी वह दूसरी पंचायत समिति को आ गई और इस तरह से सब एपोइन्टमेन्ट गलत हो गए। तो एक तो यह डिफिकल्टी है कि पंचायत समितियों के सरपंच और जिला परिषद् के प्रधानों को बजेटिंग का बिलकुल भी ज्ञान नहीं है इसलिए मेरा यह सुझाव है कि उनको थोड़े से इन्सट्रक्शन दे दिये जायें और बजट के मामले में उनको ठीक तरह से गाइड किया जाये और गाइड भी लिख कर करें।

इसके साथ ही साथ दूसरा निवेदन यह करना चाहूँगा कि पंचायत समितियों के जो प्रधान हैं उनको बहुत काम रहता है और हमने स्वयं ने एक्ट में यह रखा है कि प्रधान को २४० दिन अपने ही एरिया में रहना पड़ेगा। वह दो पोइन्ट ऑफ व्यू से है। एक तो यह कि अगर वह बाहर का होगा तो अपने ही एरिया में नहीं रह सकेगा और फिर यह तो है नहीं कि एक दिन आया और दस्तखत करके चला गया। उसके पास इतना काम रहता है कि उसको अपने ही एरिया में रहना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप जानते थे कि उसके पास इतना काम है तो आपको प्रधान के लिए कुछ न कुछ रेम्युनरेशन रखना चाहिए। तो दूसरा सुझाव मेरा यह है कि प्रधान के लिए कुछ न कुछ रेम्युनरेशन अवश्य होना चाहिए।

तीसरी बात मैं इर्रिगेशन के सिलसिले में निवेदन करना चाहूंगा और यह बात मैंने जिस समय भरतपुर में कैबिनेट मीटिंग हुई थी उस समय भी मैंने कही थी। हमारे यहां जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वह इर्रिगेशन के सिलसिले की है। जब इर्रिगेशन के लिए पटवारी पानी देते हैं तो वह यह नहीं देखते कि पानी जो दिया गया उससे फसल की क्या हालत रही और कितना अनाज पैदा हुआ ? नतीजा यह होता है कि वह तो असेस करके भेज देते हैं, in the month of February and

(श्री होतीलाल)

March, most probably in the month of March नतीजा यह होता है कि रेवेन्यू वाले गिरदावरी करते है उस समय फसल खड़ी हुई होती है। वह दर्ज करते हैं कि इस खेत में फसल है या नहीं, या नुकसान हुआ है या नहीं ? इस तरह रेवेन्यू वाले पटवारी फसल के मुताबिक दर्ज करके चले जाते हैं। इसके अलावा इर्रिगेशन वाले क्या करते हैं कि वह तो अपनी पूरी डिमाण्ड स्लिप भेज देते हैं और वह उस समय में जाते हैं जब कि फसल कट चुकी होती है, ताकि किसान उनसे यह भी नहीं कह सकें कि देख लो फसल इतनी हुई है। इर्रिगेशन वाले तो बस जो भी उनका हिसाब होता है पूरा लेते हैं। इससे दोनों के यहां जो एन्ट्री होती है उसमें फर्क रहता है। रेवेन्यू वाले कहते हैं कि खेत में कुछ नहीं हुआ और उधर इर्रिगेशन वाले अपनी पूरी डिमाण्ड स्लिप भेज देते हैं। इसके लिए मैंने जिस समय भरतपुर में कैबिनेट मीटिंग हुई थी उस समय भी कहा था, पर कोई फाइनल उत्तर नहीं मिला। मैं कहता हूं कि इर्रिगेशन का assessment in confirmation with the Revenue record होना चाहिए। इससे किसानों को परेशानी भी नहीं होगी और सरकारी रिकार्ड में भी कान्ट्रेडिक्शन नहीं रहेगा।

इसके बाद दूसरा निवेदन यह करना चाहता था कि जो इर्रिगेशन का सिस्टम है उसमें करप्शन की गुंजाइश के तीन कारण हैं। बंध के भरने पर बंध में से पानी कम निकालना। पानी निकालने पर भी करप्शन है क्योंकि किसानों को तो मतलब पानी से ही है। करप्शन की स्टेज तब आती है जब कि उनको कह दिया जाता है कि पानी नहीं देंगे। तो यह करप्शन काफी तादाद में है। उसके लिए मेरा सुझाव है कि वहां पर एक ओवरसियर है उसके लिए रिपोर्ट भी हुई कि ओवरसियर ने गड़बड़ की है लेकिन टैक्निकल एडवाइस के नाम से उसी टैक्निकल पर्सोनल के पास केस गया और उन्होंने डिसएग्री कर दिया। मैं नहीं कहता कि आप किसी को पनिश करें। लेकिन इस तरह का करप्शन है उसको रिमूव करने के लिए मेरा सुझाव है कि एक कमेटी ऑफिशियल और नॉन-ऑफिशियल की बना दें और नॉन-ऑफिशियल में जो वहां के लोकल किसान हैं उनको लिया जाये। ऑफिशियल्स में कोई भी टैक्निकल आदमी हो, ओवरसियर हो, इन्जीनियर हो जो टैक्निकल एडवाइस दे, तो दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इसमें एक कमेटी सरकार अपोइन्ट कर दे, अलग अलग एरिया में तहसील लेविल पर।

एक और निवेदन है कि हमारे यहां भरतपुर में फ्लड प्रोब्लम है और वह हर साल आती है। आपने फिर एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर का ऑफिस अलवर में रखा है। यह मैंने कैबिनेट मीटिंग के टाइम पर भी कहा था। भरतपुर एरिया में एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के नीचे २ लाख एकड़ इर्रिगेटेड लैण्ड है और बाकी का जो इलाका है जो कि अलवर का एरिया है वह २० हजार एकड़ है। तो जहां २ लाख एकड़ जमीन है वहां तो हैडक्वार्टर्स नहीं है, और अलवर सीकर और झुंझुनूं वगैरह सब मिलाकर जहां १० हज़ार एकड़ का एरिया है उसके लिए हैडक्वार्टर्स अलवर में रख देते हैं। सही माने में हैड-

Page No.52

(श्री होतीलाल)

क्वार्टर्स भरतपुर में रहना चाहिए क्योंकि जब भी कभी फ्लड वगैरह आता है या कोई और बात होती है तो इन्जीनियर साहब को भरतपुर आना होता है और टी० ए०, डी० ए० बनता है। अभी बजट रखते समय वित्त मंत्री महोदय ने बचत करने के लिए क्लास फोर सर्वेन्ट्स में कमी करने को कहा। वित्त मंत्री महोदय ने मितव्ययता इनमें करके बतायें, और मैं तो कहूंगा कि इस तरह की चीज़ को स्क्रूटीनाइज़ करके सुधारने की कोशिश करते तो मेरे ख्याल से काफी बड़ी मितव्ययता सरकार के खर्चें में हो सकती थी।

इसके अलावा जो एक पैराग्राफ बजट भाषण में दिया है कि कॉलेज के लेक्चरार्स का ग्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के बराबर ला दिया है। निश्चय रूप से यह कहना पड़ेगा कि इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है यह भी कहना पड़ेगा कि भारतवर्ष में शायद किसी भी कॉलेज में इतनी ग्रेड नहीं होगी। किसी भी स्टेट में नहीं है। इस मामले में सरकार का यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक निवेदन और करूंगा कि अगर सरकार इसी तरीके से इन टीचर्स की हालत भी सुधारे तो बधाई की पात्र होगी, क्योंकि वही भारत के भावी बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं। इसलिए उनकी जड़ नीचे से ही मजबूत बने। अतः आप नीचे के भी टीचर्स का ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि, शिक्षा के ऊपर मुझसे पहले कई माननीय सदस्य कह चुके हैं, पर मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जो दृष्टिकोण सरकार ने कॉलेज के लेक्चरार्स के लिए अपनाया है वही दृष्टिकोण छोटे स्कूल के टीचर्स के लिए भी अपनाना चाहिए। मैं साथ ही साथ यह निवेदन करूंगा कि जहां हमने उनके ग्रेड ठीक किये हैं वह एट्रेक्शन होगा सारे लोगों के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने राजस्थान वालों को छोड़कर बाहर वालों को करते चले जांय। मैं यह नहीं कहता कि जिन लोगों की कमी हो जैसा कि युनिवर्सिटी में इन्टरनेशनल ख्याति के आदमी लाना चाहते हैं तो ऐसे आदमी निश्चय रूप से लाने चाहिए। इसके लिए दो राय नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे आदमी तो रह जायं, उनको नौकरी मिले नहीं, हमारे यहां के फर्स्ट क्लास तो रह जायं और दूसरी जगहों के फर्स्ट क्लास को नौकर रख लें। इस चीज़ की ओर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे कुछ प्रान्तीय भावना वाला कह सकते हैं; देश में सब को एक साथ चलना चाहिए, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जब हमारी अलग स्टेट बनी है तो स्टेट लेवल पर अपने डेवलपमेंट के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। शायद यह भावना है इसलिए मेरे लिए आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भावना है तो सारी स्टेटें क्षेत्रीय भावना से प्रेरित हैं। सबसे ज्यादा बाहर वाले राजस्थान में नौकर हैं लेकिन राजस्थान वाले बाहर किसी स्टेट में मुश्किल से १०-२० मिल सकते हैं, उनको नौकर नहीं रखा जाता है। अगर यह क्षेत्रीय भावना है तो मुझे इसमें हिचकिचाहट नहीं है कि मैं इस क्षेत्रीय भावना से प्रेरित हुआ हूं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री होतीलाल)

अध्यक्ष महोदय, मै ५,४ मिनट में खत्म कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी से समाप्त करें।

श्री होतीलाल : दरअसल में मैं कहना चाहता था एग्रीकलचर मिनिस्टर साहब से लेकिन वे हैं नहीं। लेकिन, फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता था कि एक सेन्ट्रल वर्कशाप भरतपुर में काम कर रहा है, बहुत दिनों से। उसमें काम करनेवाले ज्यादातर रियासत के जमाने के १०,१२ आदमी हैं जिनकी किसी की एक साल की सर्विस बाकी है, किसी की ६ महीने की सर्विस बाकी है, किसी की दो साल की सर्विस बाकी है। यह वर्कशाप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत में है और एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के अलावा वे दूसरा भी काम करते हैं मोटर विहिकल्स और इन्जिन वगैरह ठीक करने का। मैं अर्ज करूंगा कि वहां जिले में कितनी मोटर-गाड़ियां हैं। सारी गवर्नमेंट विहिकल्स हैं नियर एबाउट ४३ उस वर्कशाप को यहां बुला लिया गया है, यहां जयपुर में खोलने जा रहे हैं। उसमें २,३,४ साल के आदमी हैं यानि उनकी सर्विस में इतना टाइम बाकी रहा है। उनको आप रिमूव करेंगे तो उनके दो घर बसेंगे और वहां पर ४३,४४ जो आपकी गाड़ियां हैं उनको रिपेअर के लिए कहीं न कहीं भेजना पड़ेगा। ऐसी सूरत में मेरा नम्र निवेदन है कि दो तीन साल जब तक कि उन लोगों की सर्विस है, उस सूरत में वर्कशाप को वहीं पर रहने दें तो उन लोगों की परवरिश हो जायेगी। उन लोगों के दो घर नहीं बनेंगे और बुढ़ापे के अन्दर इधर उधर घूमने की परेशानी से बच जायेंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो राजस्थान का १६६०-६१ का बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने ७४ लाख की घटती का बजट पेश किया है। इस घटती को नये टैक्सेज़ के द्वारा कम करने का प्रयास किया है, और इस प्रकार से करीब करीब १५-१६ लाख के नफे का बजट प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे जो नये टैक्सेज़ इम्पोज़ करने जा रहे हैं, खास तौर से लैण्ड रेवेन्यू पर जो सरचार्ज लगाने जा रहे हैं उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान में पिछले बजट में लैण्ड रेवेन्यू के हैड में ७ करोड़ रुपये की आमदनी ५८-५६ में हुई। इस साल एक करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की आशा रखी है अर्थात् लैण्ड रेवेन्यू से एक करोड़ रुपये की आमदनी इस साल अधिक होनेवाली है। इसके साथ साथ १० लाख का सरचार्ज लैण्ड रेवेन्यू से लगाने जा रहे हैं। इस बात से काश्तकारों पर काफी बोझ होगा। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दूसरे ऐसे जरिये हैं जिनके द्वारा रुपया कुछ बचा सकते हैं। मैं सुझाव के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अन्डर हैड 'स्टेट एक्साइज़ ड्यूटीज़' इसमें ५८-५६ में ३०,४३,०००) रु० खर्च किया है और ५६-६० के बजट में ६१,२०,०००) रु० इस स्टेट में खर्च होगा। एक साल में दुगुना खर्च उठाया है। तो हो सकता है कि इस हैड के अन्दर ध्यान से देखें तो बचत कर सकते हैं। दूसरा अन्डर हैड, १३, अन्दर टेक्सेज़ एन्ड ड्यूटीज़ में आपने ५८-५६ में ४०,०००) रु. दर्ज किया है और

(श्री भीमसेन)

६०-६१ में ५,०८,०००) रु० में परिवर्तित कर रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि एक साथ इतनी खर्च में बढ़ोतरी क्यों हो रही है ? उससे आमदनी ७,००,०००) की एक्स्ट्रा होनेवाली है । इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता था कि माननीय वित्त मंत्री महोदय नये टैक्सेज इम्पोज़ करने से पहले ऐसे उपाय काम में लाये जायें जिससे टैक्स-पेयर को राहत मिल सके और कॉमन मेन यह महसूस कर सके कि राजस्थान में आज हमारे हित में काम हो सकता है ताकि उनमें उत्साह पैदा हो सके । सेल्स टैक्स पर हम ४५,००,०००) का बोझ कॉमन मेन पर डाल रहे हैं । आज मंहगाई इतनी बढ़ रही है कि कॉमन मेन महसूस करता है कि मंहगाई का बोझ हर साल इन्डाइरेक्टर टैक्सेज़ लगा कर कॉमन मेन के कन्धों पर हर साल के बजट में डाल रहे हैं । तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कॉमन मेन को कितना बजट के बोझ से या टैक्स के बोझ से लादें उतनी उसमें शक्ति है या नहीं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट के ६०-६१ के बजट में जो एक्सपेन्डीचर पर-केपिटा है वह दूसरी स्टेट के मुकाबले में करीब १४ पर्सेन्ट है । हमारे पड़ौसी पंजाब में १८ पर्सेन्ट है लेकिन पंजाब और राजस्थान की पर-केपिटा आमदनी को देखें तो काफी अन्तर मिलता है । तो इस तरह से टैक्स के बोझ से पहले से ही काफी तकलीफ है । इसलिए हमें इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि कॉमन टैक्स-पेयर से कितना एक्स्ट्रेक्ट कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात, जो बात मैं कहना चाहता था वह देहात के लोगों के लिए पीने के पानी के संबंध में थी । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान गवर्नमेंट ने थर्ड फाइव ईयर प्लान का प्लान फ्रेम निकाला है । उसमें शहरी लोगों के लिए वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं । उनके लिए जो अब तक स्कीम्स मन्जूर की हैं राजस्थान गवर्नमेंट उसमें २७ लाख शहरी जनता के लिए, ६, ३१, ००,०००)रु० शहरी जलप्रदाय योजनाओं के लिए खर्च कर रही है । इसके विपरीत देहात में रहनेवाले १,३०, ००, ००० आदमियों के लिए हमारे सेकिण्ड फाइव इयर प्लान में केवल १, ६० ००,०००) खर्च किये जा रहे हैं । इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांव के लोगों के लिए पानी की जो व्यवस्था है । वह शोचनीय है रेगिस्तान के इलाकों में ऐसे गांव हैं जिन गावों के लोगों को पानी लाने के लिए पूरा दिन खर्च करना पड़ता है । इसके साथ साथ मैं इस बात को मानता हूं कि शहर के लोगों को सुविधा हो इससे मेरा कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि गांव के लोगों को कितनी दूरी से पानी लाना पड़ता है उन लोगों के लिए अब तक पर्याप्त व्यवस्था नहीं करना एक वैलफेअर स्टेट के लिए बहुत बुरी बात है । पीने के पानी जैसी आवश्यक वस्तु के लिए १० वर्षों में हम अब तक कुछ नही कर सके हैं, हालांकि हमारे वित्त मंत्री महोदय और दूसरे मंत्री महोदय कह सकते हैं कि हमने पीने के पानी की योजना के लिए एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है । अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वह गवर्नमेंट के अन्डर कन्सीडिरेशन है । लेकिन जैसा कि प्लान फ्रेम इसमें बतलाया गया है उसके अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक भी हम राजस्थान के गांवों के

(श्री भीमसेन)

लोगों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं कर पायेंगे । जहां तक स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान फ्रेम निकाला है उसमें यह नहीं है । मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि पानी की जो समस्या है उसके लिये राजस्थान सरकार को निश्चित तौर से ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे प्रत्येक गांव के लोगों के पीने के लिये पानी की तृतीय योजना को लेने तक व्यवस्था हो सके ।

दूसरा सुझाव मेरा यह था, अध्यक्ष महोदय, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पंजाब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेरिमेन्टल ट्यूबवैल सेक्शन की सहायता से जिस तरह से ट्यूबवैल बनाने का प्रयत्न किया है उसी तरह से हमारी राजस्थान सरकार को भी कदम उठाना चाहिए । जैसा परीक्षण राजस्थान सरकार ने जैसलमेर में किया है वैसा ही परीक्षण अन्य ऐसे इलाकों में जहां पानी की कमी है बड़ी भारी तादाद में करना चाहिये । इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि होगी ।

अध्यक्ष महोदय, यह संतोष का विषय है कि सन् ५१-५२ में राजस्थान स्टेट बाहर से ५०-६० हजार टन अनाज मंगाती थी लेकिन अब खाद्यान्नों के संबंध में हमारी स्टेट सरप्लस हो गई है । इस स्थिति तक राज्य सरकार के अच्छे परीक्षण से और अच्छे प्रयत्न से पहुँच पाये हैं । यह हमारे लिये और सरकार के लिये खुशी का विषय है ।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता प्रकट की है कि राजस्थान स्टेट पर कर्जा बहुत हो गया है । अध्यक्ष महोदय, किसी डवेलपिंग स्टेट के लिये कर्जा लेना शुभ लक्षण है । यह हो सकता है कि जो कर्जा ले रहे हैं उसे ठीक तरह से खर्च करें । जिन योजनाओं के लिये हम इन्वेस्टमेन्ट कर रहे हैं वह ठीक रिटर्न पैदा करते हैं या नहीं, यह देखने की बात है । उधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेट्स ने भी बहुत सा लोन पब्लिक से लिया है । उत्तर प्रदेश ने १ अरब, ६ करोड़, ४६ लाख रुपये पब्लिक से उधार लिये हैं । उसके मुकाबले में हमारी स्टेट ने केवल ६ करोड़ रुपये ही पब्लिक से लिये हैं । इसी तरह से दूसरी स्टेट्स की तरफ देखें तो यह कोई चिन्ता का विषय नहीं है और यह जो पैसा ला रहे हैं वह ऐसे काम में खर्च कर रहे हैं जिससे रिटर्न मिल रहा है । इस तरह से मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे राजस्थान में काफी प्रगति हो रही है । यदि हम सन् ५१से लेकर ६०-६१ के बजट को देखें तो हमें मालूम होगा कि ५१-५२ में हमारा खर्चा १५ करोड़ रुपये था लेकिन आज हम उससे तिगुना खर्चा करने की स्थिति में हैं । १६५०-५१ में हमारा केपिटल एक्सपेन्डिचर केवल २ करोड़, ५० लाख रुपये था लेकिन अब हम इसमें २७ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं । इस तरह से राजस्थान निश्चित तौर से प्रगति कर रहा है । दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हमारी स्टेट आनेवाले कुछ ही वर्षों में खड़ी हो सकेगी ऐसी हमारी स्थिति हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि नगर सामुदायिक विकास योजना के बारे में राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि नगरों में भी कम्युनिटी डवेलपमेन्ट प्रोग्राम शुरू करेंगे । यह एक उचित कदम है । आज तक शहरों

(श्री भीमसेन)

में रहनेवाले जितने लोग थे वे कहते थे कि शहरों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, गांवों में इतना पैसा खर्च करते हैं, यह आलोचना का विषय भी दूर हो जायेगा और साथ ही साथ गांववाले शिकायत करते थे कि जो भी योजनाएं शुरू करते हैं कॉलेजेज़ खोलने की, बिजली लगाने की, सड़कें बनाने की वे सब शहरों से शुरू की जाती है लेकिन शहर के लोगों से कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं लेते और गांवों में चाहे स्कूल बनावें, सड़कें बनावें या और योजनाओं को लागू करें उनमें गांवों के लोगों का पैसा खर्च होता है। लेकिन अब शहर के लोगों को भी कम्युनिटी डवेलपमेन्ट के लिये हिस्सा देना पड़ेगा। इस तरह से यह नगर सामुदायिक विकास योजना अच्छी चीज़ है। लेकिन इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार की ऐसी मंशा है जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताया, हर एक नगरपालिका के सभापति को जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, यह निश्चय किस तरह से लिया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आया जब कि नगरपालिकाओं के अध्यक्ष ८ हजार जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरी ओर एम.एल. एज, एम. पी. ज. वगैरह व पंचायत समितियों के प्रधान ६०-७० हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मुकाबले में ८ हजार का प्रतिनिधित्व करनेवाले को जिला परिषदों में कैसे प्रतिनिधित्व दिया जायगा? इनको जिला परिषद् में बैठ कर पंचायत समितियों का बजट सेंकशन करने का अधिकार होगा लेकिन नगरपालिकाओं का बजट जिला परिषदों के सामने नहीं आता। तो जिस आदमी का पंचायत समिति से संबंध नहीं है उसको जिला परिषद् या पंचायत समितियों में प्रतिनिधित्व दें तो यह उचित नहीं है, यह विचार करने की बात है।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों या कम्युनिटी डेवलपमेन्ट सेन्टर्स पर जो खर्चा कर रहे हैं उसमें से ८० प्रतिशत प्रशासनिक खर्चा होता है। इस संबंध में मेरा निवेदन है और जैसी मेहता कमेटी ने सिफारिश की है कि कम्युनिटी डवेलपमेन्ट प्रोग्राम्स में जितने आदमी जरूरी हों, चाहे वे कोऑपरेटिव के लिये हों, चाहे एज्युकेशन, मेडिकल आदि किसी भी विभाग से संबंधित हों, गांवों से संबंध रखने वाले जितने लोगों को सर्विसेज़ में भर्ती किया जाय उस समय ऐसे आदमी रखे जाय जिनका रूरल बायस हो। लेकिन हमारे यहां आज तक इस क्षेत्र में जितनी भर्ती हुई है उनमें ज्यादातर लोग शहरों से आये हैं। इस बारे में सरकार यह निर्णय ले कि आइन्दा रूरल बायस के लोगों को ही लेंगे।

इस तरह से मैंने संक्षेप में कुछ बातें बजट के संबंध में बताई। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स और बजट जैसे ड्राइ और शुष्क सब्जेक्ट को हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बहुत रोचक और साहित्यिक भाषण के साथ उपस्थित किया उसके लिये मैं उनको बधाई अवश्य दूँगा। लेकिन साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जनता की जो आशाएं थी और जो बहुत बड़ी आशाएं लगाये बैठे थे उन पर हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण से और बजट

Page No.57

(श्री रघुवीरसिंह)

भाषण से बहुत हद तक तुषारापात हो गया। वास्तव में स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम प्रगति कर रहे हैं, यह ठीक है कि हो सकता है आइन्दा आनेवाला समय बहुत अच्छा समय होगा और राजस्थान समृद्धशाली बन जायेगा। लेकिन जब हम हमारी वर्त्तमान स्थिति की ओर दृष्टि डालते हैं तो यह नज़र आता है कि आज मंहगाई ऐसी निगलने को तैयार बैठी है जिसके कारण जनता की कमर टूट चुकी है।

टीक है अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी और राजस्थान सरकार ने बजट को बैलेन्स कर लिया, घाटे का बजट था उसको टैक्स लगा कर बैलेन्स्ड कर लिया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, एक कर्मचारी, एक अधिकारी जिसकी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, मंहगाई बढ़ी है वह अपने बजट को किस तरह से बैलेन्स करेगा ? अच्छा हो करोड़ों के बजट को एग्जामिन करने के बजाय वित्त मंत्रीजी १०० रुपये पानेवाले तनख्वाह का बजट बना कर पेश करते और बतलाते कि वह इस प्रकार से गुज़र कर सकता है और इस प्रकार से अपने बजट को बैलेन्स कर सकता है। तो यह है क्या ? मैं तो कहता हूं कि जितनी ईमानदारी सरकार बतती है उसके कर्मचारी भी उतनी ईमानदारी बर्तते हैं। सरकार का बजट घाटे में गया तो सरकार ने टैक्स लगा दिये। लेकिन कर्मचारी क्या करें? उनके सामने तो एक ही रास्ता रह जाता है, उसको आप कहते हैं भ्रष्टाचार। वे भ्रष्टाचार न करें तो क्या करें ? बाल बच्चों के साथ भ्रष्टाचार करें या अपने साथ भ्रष्टाचार करें। उसके सामने तो एक ही रास्ता है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि एक विशेष सर्किल बन चुका है। हम आशा करते हैं कि उपज बढ़ायेंगे, हम आशा करते हैं कि हम प्रगति करेंगे, हम आशा करते हैं कि हम तरक्की करेंगे, हम आशा करते हैं कि आनेवाले जमाने में समृद्धिशाली बन जायेंगे लेकिन तरक्की करने के लिए, प्रगति करने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए आवश्यकता है शक्ति की, बल की और उस बल और शक्ति का ह्रास दिन पर दिन होता चला जा रहा है। खाने को अन्न नहीं मिलता। २० तारीख के बाद, मेरे ख्याल से आम तौर से जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिनकी बंधी हुई आमदनी है उनकी यह दशा हो जाती है कि इससे कर्जा मांगें, उससे कर्जा मांगें। २० तारीख के बाद यह स्थिति आ जाती है। नतीजा क्या होता है कि उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति और बल कम होता चला जा रहा है। बच्चों, जो आइन्दा आनेवाली जनरेशन है की स्थिति यह है कि उनको पूरा फीडिंग नहीं मिलता है, आधे पेट रह जाते हैं, उनको दूध के दर्शन नहीं होते, घी के नाम पर डालडा कभी कभी मिलता है, वार त्यौहार। मैं निवेदन करता हूं कि हम समझते हैं कि हम प्रगति करते हैं, हम समझ बैठे हैं कि हमने प्रगति कर ली है, यह मेरे ख्याल से गलत साबित हो रही है क्योंकि हम में प्रगति करने की शक्ति रही नहीं। क्यों नहीं रही ? मंहगाई इतनी हो गई है कि मानसिक और शारीरिक शक्ति पैदा हो ही नहीं सकती। आप देख लीजिये आपके कर्मचारियों की क्या हालत है ? अगर आपको मंहगाई दूर करनी है तो आवश्यकता किसकी है ? आवश्यकता इस बात की है

Page No.58

(श्री रघुवीरसिंह)

१.५१. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि ईमानदारी के साथ उपज की जाय और ईमानदारी के साथ उसका वितरण हो, ये दोनों बातें नहीं हो रही हैं, न तो ईमानदारी के साथ उपज बढ़ाई जा रही है और न ईमानदारी के साथ वितरण होता है। जो भूखा है वह भूखा आदमी न ईमानदार हो सकता है और न शक्ति लगा सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हमारे वित्त मन्त्री को तो चाहिए यह था कि हमारे सामने जिस तरह इन्होंने अपना बजट बैलेन्स किया है उसी प्रकार से जनता के बजट को बेलेन्स् करते।

अपने यहां की भारतीय संस्कृति के अनुसार जो टैक्स लगाने का सिद्धान्त है उसको सूर्य नारायण की उपमा दी गई है। उनका काम क्या है ? उनका काम यह है कि जहां अधिक जलराशि होती है वहां से जल खींचते हैं और जहां जल नहीं है, वहां बरसाते हैं। अर्थात् जहां अधिक अर्थ है, वहां से धन को खींच कर जहां लोग भूखे हैं उनके पास पहुँचायें। यह आपकी टैक्सेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। हम देखते हैं, सरकार की क्या पॉलिसी है सरकार की टैक्सेशन की पॉलिसी ऐसी हो रही है जो हरएक की पॉकेट को टच करती है, कोई बच नहीं सकता, गरीब से गरीब भी बच नहीं पाता........

श्री उपाध्यक्ष : वह कौनसा ग्रह है जिसकी उपमा दी जा सकती है।

श्री रघुवीरसिंह : अब तो राहु और शनि दो रह गये हैं। (

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : सूर्य नारायण घड़े से लेते हैं, नदी से लेते हैं।।

श्री रघुवीरसिंह : घड़े से सूर्य नारायण पानी लेने लगें और बरसाने लगें तो अकाल जैसी स्थिति हो जायेगी, लोग भूखे मरने लगेंगे। सूर्य नारायण पानी समुद्र से लेते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अपने यहां जो टैक्सेशन का नया तरीका निकाला है, यह जो टैक्सेशन है, जिसे आप समझते हैं कि इस साल आमदनी अधिक हुई है वह है पैसेन्जर टैक्स। मैं समझता हूं कि यह टैक्स ऐसा है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबको इफेक्ट करता है। उसी प्रकार आपका सेल्स टैक्स है। ये दोनों आपके टैक्सेशन के तरीके हैं ये असैद्धान्तिक हैं और मेरा निवेदन तो यह है कि ये ऐसे हैं जिनको आपको तत्काल बन्द कर देना चाहिए। इसके अलावा नया टैक्स ला रहे हैं, सरचार्ज के नाम से....

श्री उपाध्यक्ष : There is a prompting for you.

प्रोम्पटिंग हो रहा है उधर से, आपकी याददहानी के लिए।

श्री रघुवीरसिंह : धन्यवाद है उनको। उनको भी दुःख है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, सब जगह एक सी बात निकलती है। Wise men think alike. इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह सरचार्ज का नया टैक्स लगाया है इसके लिए कहा है कि १० लाख की आमदनी होगी। सम्भव है १० लाख की आमदनी हो, ५ लाख की आमदनी हो,

(श्री रघुवीरसिंह)

८ लाख की आमदनी हो लेकिन एक हैरेसमेंट का रास्ता खुल जायेगा। जिस प्रकार से शुरू में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स आया, उसके बारे में सरकार ने पांच वर्ष, छः वर्ष, आठ वर्ष के हैरेसमेंट के बाद में महसूस किया कि इससे अधिक लाभ नहीं हुआ, इससे जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। अब मेरा ख्याल है कि एक दिन आवेगा, आप महसूस करेंगे कि यह जो नया तरीका टैक्सेशन का निकाला था यह लाभप्रद नहीं हुआ। इससे जनता को हैरेसमेंट हुआ। अब जिनको हैरेसमेंट हो चुका है एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के कारण उसके लिए यह कर देते कि फर्स्ट अप्रेल को यह डिपार्टमेंट बन्द हो जायेगा और बन्द हो जायेगा तो जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, वे फाइल हो जायेंगे और जिन पर फैसले हो चुके हैं, उनके ऊपर इम्पोज्ड पेनल्टी राइट ऑफ हो जायेगी, तब तो कोई बात होती, तब समझते कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स खत्म होने से लोगों को राहत मिली है। लेकिन जब पुराने केसेज चलते रहेंगे और केसेज चलते रहेंगे तो दफ्तर भी चलेगा और दफ्तर चलेगा तो उसका खर्चा उसी प्रकार होता रहेगा। तो मेरी समझ में नहीं आया कि कहां बचत की जा रही है? उसी तरह से सरचार्ज का प्रश्न कहां रह जाता है, जब आपने सीलिंग लगा दी और सीलिंग भी इतने लो लेवल पर लगाई गई है, आपने ३,६०० की आमदनी पर सीलिंग किया है, उसमें से सरचार्ज कहां से लेंगे, यह मेरी समझ में नहीं बैठता? काश्तकारों को तो आप मिनिमम लेवल पर ले गये, तो कोई कारण नहीं कि सरचार्ज के लिए क्या मियाद रखेंगे, कहां से सरचार्ज काश्तकार देगा, कौन कौन इसमें आवेगा। तो सिवाय इसके कि लोगों को हैरेस किया जाय, उनसे रिटर्न मांगी जायगी और हर रिटर्न देने में वे फेल होंगे तो उन पर पेनल्टी लगानी पड़ेगी, एक तरफा डिग्री होगी। जैसे कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में हुआ, राजस्थान के लोग न तो उससे वाकिफ थे और जब वाकिफ नहीं थे तो उनको नोटिस दिये गये और उनको पता नहीं था कि किस तरह से पैरवी करें, कहां जायं। आखिर में यह हुआ कि लोगों के ऊपर, जिनकी कुछ भी आमदनी नहीं थी, नेग्लीजेबल आमदनी थी, उनके ऊपर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स थोप दिया गया। अब जब वे अपील करते हैं तो उनको कहा जाता है कि पहले आपके ऊपर जो असेसमेंट हो चुका है, असेसमेंट की रकम जमा कर दीजिये और उसके बाद में फिर अपील देखी जायगी। अब बतलाइये अगर उसके पास असेसमेंट की रकम देने को होती तो वह अपील क्यों करता? एक नया तरीका असेसमेंट का निकाला गया। काश्तकार ने कर्ज़ा लिया और मुकदमे के अन्दर भी रकम खर्च की। उसके बाद दो-चार साल में फैसला हो तब उसको कुछ रकम मिले जितना तो सूद का जमा हो गया। इसलिए, मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूं कि मैं नहीं कह सकता कि मेरी समझ का फेर है या कुछ वित्त मन्त्रीजी ने इसमें जागीरदारों के साथ कोई रियायत की है। मुआवजे का एक करोड़ का रुपया इसमें से कम किया गया है........

श्री उपाध्यक्ष : समझ का फेर ज्यादा हो सकता है।

श्री रघुवीरसिंह : साफ कह दिया जाय तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं नहीं समझता कि जो बोन्ड्स मिल रहे हैं, अब तो जागीर खत्म हो चुकी, वह प्रश्न पैदा नहीं होता। अब प्रश्न रह गया है कि बोंड्स कब जल्दी से जल्दी मिलें ? अब एक करोड़ रेवेन्यू बजट में से कम किये हैं तो यह तो नहीं होगा कि बोंड्स डिले हों। वैसे तो देखा जाय जब आपने जागीरों की आमदनी रेवेन्यू बजट में पकड़ी है तो कोई कारण नहीं है कि मुआवज़े की रकम कैपिटल बजट में डाली जाय। यह समझ में नहीं पड़ता। खैर मुआवजा मिलने से मतलब है, चाहे कैपिटल के हैड से दीजिये, चाहे रेवेन्यू हैड से दी जाय.......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह तो मिलेगा, मुआवजा जरूर मिलेगा।

श्री रघुवीरसिंह : धन्यवाद, Thank you very much.

श्री उपाध्यक्ष : Then you conclude.

श्री रघुवीरसिंह : मैं निवेदन कर रहा था........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पेंडिंग केसेज हैं, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स........

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह ऑफिस में डिस्कस कर लेना। अब तो भाषण करने दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने जानकारी दी।

श्री उपाध्यक्ष : शुभ लक्षण हैं। माननीय सदस्य जितने पोइन्ट्स चाहें उतने कुबूल होंगे अभी।

२ म० प०

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : समय बच जाय ताकि....

श्री रघुवीरसिंह : तो क्या ये सब फाइल हो जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखें, इतनी रियायत नहीं देंगे।

श्री रघुवीरसिंह : अगर वित्त मंत्री यह आश्वासन दे दें कि यह सब फाइल हो जायेंगे तो मैं उनको धन्यवाद दे दूं और सदन का समय भी बच जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सोच रहे हैं कि क्या सरल तरीका होगा।

श्री रघुवीरसिंह : सरल तरीका यही होगा कि सबको फाइल कर दें, न आपके पास रहें और न हमारे पास रहें, फायदा क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : फरमाइये आप।

श्री रघुवीरसिंह : तो मैं निवेदन करूंगा कि यह सरप्लस बजट १५ लाख का बताया गया है। यदि इस प्रकार का पूरा पालन हो जाय तो मैं वित्त मंत्रीजी को कांग्रेच्युलेट करूंगा। पर देखते यह हैं कि २५ लाख की कटौती यहां और ३५ लाख की बढ़ौती, वह कागजों में ही बनती है। अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने एडीशनल ग्रान्ट्स

(श्री रघुवीरसिंह)

पास की हैं वे इस बात का सबूत हैं कि हमारी बजट पर निगाह नहीं रहती है और इसका रिजल्ट यह होता है कि हमारा योजनाबद्ध एक्सपेन्डीचर नहीं होता।

माननीय उपाध्यक्ष, एक बात मैं यह निवेदन करूं कि यह हमारा बजटिंग टाइम है वह राजस्थान जैसे देश के लिये जो प्योरली एग्रीकल्चरल स्टेट है बिल्कुल उचित नहीं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा।

श्री रघुवीरसिंह : अभी तो मैं बोल रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष, मैं तो एक ही बात अर्ज करता हूं....

श्री श्रीभानसिंह : The name has been called by the Chair and the Hon'ble Member should now be asked to take seat.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is not dignified to yield the floor now..

श्री उपाध्यक्ष : वैसे माननीय सदस्य खुद बड़े सरल स्वभाव के हैं, समझते हैं।

श्री रघुवीरसिंह : एक बात अर्ज करना है, वह यह है कि हमारा बजटिंग टाइम बड़ा खराब रखा है। खास करके एग्रीकल्चरल स्टेट के लिये यह टाइम बड़ा खराब है बजटिंग का। अप्रेल के महीने में ग्रान्ट्स पास करके भेजते हैं तो नतीजा यह होता है कि अगस्त के महीने में बैल तकावी, बुलोक तकावी, ट्रैक्टर तकावी बांटना शुरू करते हैं। अगस्त के महीने में तकावी लेकर कोई कहां बैल जोतेगा कहां ट्रैक्टर लगावेगा? इसलिये अच्छा हो कि बजट का टाइम बदल दिया जाय, ऐसा समय बजट का हो कि अप्रेल-मई में हमें ग्रान्ट्स मिल जायं। बस यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष, १९६०-६१ का जो बजट वित्त मंत्रीजी द्वारा पेश किया गया है वह घाटे का बजट है। पर इस बजट को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि हमारा प्रान्त तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछली पंचवर्षीय योजना में १०५ करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान था। उसमें १०१ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। पिछले वर्ष के प्लान में २४ करोड़ रुपया था उसमें से २३ करोड़ रुपया खर्च किया है। इस वर्ष का जो २८ करोड़ रुपया है वह भी खर्च हो जाने की उम्मीद है।

इसके अलावा हमारा राजस्थान पहले अन्न के प्रश्न पर स्वावलम्बी नहीं था अब अन्न उत्पादन का जहां तक सवाल है अन्न के विषय में हमारा प्रान्त स्वावलम्बी बन गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा ८.१२ लाख टन का अतिरिक्त, एडीशनल टार्गेट था उसको पूरा करने में हम १२ लाख टन तक पहुँच जायेंगे।

इसके अलावा सड़कों का कार्य भी काफी संतोषजनक है। पिछली पंचवर्षीय योजना में हमारे जिले में सड़कों का कार्य

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

नहीं हुआ था पर अब पिछले दो-तीन साल में देखा है कि हमारे यहां कई सड़कें बन गई हैं और इस वर्ष के बजट में भी सड़कों के लिए अच्छा प्रोविज़न है। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं।

शिक्षा का जहां तक प्रश्न है राजस्थान का फॉर्मेशन जब हुआ उस समय १३५ लाख का शिक्षा का बजट था वह अब बढ़ कर ९ करोड़ का हो गया है। इस विषय में भी सरकार धन्यवाद की पात्र है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने इतनी दिलचस्पी और उत्साह दिखाया है। खास तौर से हमारे मुख्य मंत्रीजी की तो शिक्षा के विषय में यह नीति रही है। झुंझुनूं जिले में जब मंत्री मंडल की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मैं यह ऐलान कर सकता हूं कि किसी भी स्थान पर ९ वीं कक्षा में १५ लड़कियां हैं और स्कूल के लिये भवन है तो वहां लड़कियों का हायर सेकिन्डरी स्कूल खोल सकता हूं। पर इस विषय में विशेष रियायत देनी चाहिये क्योंकि जहां १५,२० लड़कियों का सवाल रहता है वहां भवन निर्माण के लिये लोग सुविधा नहीं जुटा सकते। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि भवन निर्माण सम्बन्धी शर्त को स्त्री शिक्षा के मामले में हटा दिया जाय। यदि बिल्कुल नहीं भी हटाया जाये तो आधा तो जरूर कर दिया जाय।

एक बात, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि ढाई हजार नई प्राइमरी स्कूलें खोलने का, १०० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाने का, ३७ मिडिल स्कूलों को हायर सेकिन्डरी स्कूलों में बदलने का जो इरादा सरकार का है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि दो-दो तीन-तीन हायर सेकिन्डरी स्कूल्स दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह मिडिल स्कूल्स तो हर जिले में खोली जाय, ऐसा करते समय किसी जिले को नग्लेक्ट नहीं किया जाय।

जल प्रबन्ध का जहां तक प्रश्न है, देहाती क्षेत्रों में पिछले साल ६० लाख रुपया खर्च किया गया। हमारे जिले का जहां तक प्रश्न है पीने के पानी की काफी समस्या हल हो गई है। पर माननीय उपाध्यक्ष, वहां एक ऐसी तहसील है जहां पानी खारा है और अभी तक लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं होता। झुंझुनूं जिले का उत्तरी इलाका है वहां पर लोगों को अभी तक मीठा पानी पीने को नहीं मिलता, वहां पीने के मीठे पानी की सुविधा नहीं है इसलिये सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देकर वर्षा के जल को इकट्ठा करना चाहिये और बड़े बड़े कुण्ड आदि बनाने का प्रावधान करना चाहिये। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से झुंझुनूं जिले में एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल के तरीके को काम में लेने के लिये एक मशीन आई थी। उसने तीन ट्यूब वैल खोदे थे। उसकी रिपोर्ट का अभी तक हमें पता नहीं। राजस्थान सरकार के पास रिपोर्ट भेज दी थी। हमने पूछा पर पता नहीं चला कि उनकी क्या रिपोर्ट है। उनमें से खुदा हुआ एक कुंआ ऐसा है जो बहुत अच्छी तरह काम में लाया जा रहा है। पिलानी में बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट की जितनी संस्थाएं हैं इसी कुंए से उनको पानी सप्लाई किया जाता है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जब वह कुंआ सक्सेसफुल हो गया तो और भी कुंए सक्सेसफुल हो सकते हैं और भी ट्यूबवैल लगाये जायं

Page No.63

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। इससे जहां लोगों को पीने के पानी की सुविधा होगी वहां अन्न उत्पादन में भी योग मिलेगा।

बिजली उत्पादन का सवाल है वहां मैं सरकार के रुख की आलोचना करती हूं। हालांकि मैं उन खुश किस्मत एम. एल. एज. में से हूँ जिनके यहां सबसे पहले भाखरा की बिजली पहुँची है। पिलानी में भाखरा की बिजली उपलब्ध हुई है। पर मैं यह कहना चाहती हूं कि ईश्वर जिन पर कृपालु हैं उन्हीं पर सरकार भी कृपालु होती है। पिलानी में भाखरा की बिजली उपलब्ध हुई है अवश्य, पर वहां भाखरा की बिजली बिड़ला एज्युकेशनल ट्रस्ट्स में और बिड़ला बन्धुओं के ही काम में आ रही है, पिलानी कस्बे की सड़कें और गलियां अब भी अंधेरी हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वह बिजली जो वहां पर विशेष नागरिकों को ही उपलब्ध हो रही है उसका उपयोग जनसाधारण को भी कराया जावे।

इसके अलावा जो बिजली पिलानी से झुंझुनू को आवेगी बीच में जितने भी ग्राम पड़ते हैं, मैं चाहती हूं कि सरकार को चाहिये कि उन स्थानों को भी बिजली दी जावें क्योंकि यदि हम उनको बिजली नहीं देते हैं तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिये जो लोग बिजली लेना चाहते हैं और जो गांव सड़क पर हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन कस्बों को भी बिजली दें जो लोग लेना चाहते हैं।

इसके अलावा हमारे जिलों में एक खास समस्या हो रही है और खास कर मेरी तहसील में कि वहां पर २००-३०० कुंए ऐसे हैं जिनका पानी सूख गया है। पहले इन कुओं से सिंचाई होती थी। ये कुंए कोटली नदी के किनारे २ थे। अभी तो बांध भी नहीं बना है। परन्तु क्या बात है पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी हुई है कि उन कुओं का पानी सूख गया है। इसलिये एक बोरिंग मशीन वहां भेजी जावे जो सबसिडाइज्ड रेट पर उन कुओं को खोदने का कार्य करे।

राजस्थान केनाल पर कोलोनाइजेशन हो रहा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि झुंझुनूं जिला ऐसा जिला है जहां पोपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है और लैण्ड पर काफी प्रेशर है और कुछ लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं उनके पास ज़मीन नहीं है। इसलिये उन लोगों को विशेष रियायत करके वहां पर बसाने की सुविधा दी जावे।

एक बहुत बड़ी बात जो राजस्थान सरकार के ध्यान में है और मैं फिर उसकी ओर राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि व्यास नदी पर पौंग नामक जगह पर जो बांध बनाने की योजना है उसको तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में शुरू करना चाहिये।

एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स को एबोलिश करके जो सरचार्ज लगाया है उसका मैं विरोध करती हूं। वह इसलिये कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से ३ या, ४ या ५ प्रतिशत जनता पर ही असर पड़ता था मगर इस सरचार्ज से ५० प्रतिशत लोगों पर इसका असर पड़ेगा और हमारे यहां पर कहीं कहीं ऐसा इलाका है जहां दो-तीन साल

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

में एक आध समय अच्छी फसल होती है और लोगों को इससे बहुत परेशानी होगी। लैन्ड रेवेन्यू बहुत ज्यादा है इसलिये ५० पर्सेन्ट पर यह सरचार्ज लग जावेगा और इससे किसान वर्ग में बड़ा असंतोष फैलेगा और इसका असर सब लोगों पर पड़ेगा। इसलिये मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय को इतना तो ५० रुपये की जगह १०० तो कर ही देना चाहिये।

(हर्ष-ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी के संकेतों पर न चलें।

श्रीमती सुमित्रा देवी : राजस्थान सरकार ने जनतन्त्र की जड़े जमाने और प्रजातन्त्र को पनपाने के लिये जो लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का कदम उठाया है इसके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है,लेकिन यह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक पब्लिक का पूर्ण सहयोग न मिले और सरकार का सही मार्ग-दर्शन नहीं हो। इसलिये विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिये सब को सहयोग देना होगा। इसके अन्दर जो पंचायत समितियों में दो महिलाओं का को-ऑप्शन रखा है इसके लिये सरकार को खास तौर से मैं बधाई देती हूं। दो महिलाओं के आने से जहां महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने का मौका मिलेगा वहां राजनीति में भाग लेने का भी उनको मौका मिलेगा।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, १९६०-६१ का बजट माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने सदन में प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर को धन्यवाद देते हुए उनको बता दूँ कि आपने इस बजट को ३४ पृष्ठों में

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री हरिप्रसाद यादव : आपने इसका ३४ पृष्ठों में उल्लेख किया है। इस ३४ पृष्ठों की किताब में १०८ मदों में करते हुए आपने हमारे राजस्थान को खुशहाल बनाने का वादा किया है। माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले मैं भारत मां की भूमि को भारत माता कहते हैं और जगत जननी भी कहते हैं, तो सबसे पहले मैं भारतमाता के विषय में अर्ज करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! भारत माता का यह विषय नहीं है। बजट का विषय है।

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि को भारत माता कहते हैं, मैं यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री अर्जुनदास : (अश्रव्य)

श्री हरिप्रसाद यादव : हमारे राजस्थान की भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है जितनी कि हमारे माननीय वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री ने मान रखी है। हमारे राजस्थान के सेटलमेंट के आंकड़ों से यह आता होगा कि जहां भूमि पर यह सरचार्ज लगाया जा रहा है यह हमारे राजस्थान के उन गरीब किसानों पर एक बोझा लादा जा रहा है। बाकी राजस्थान में एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स देनेवाले वे जमीदार, जागीरदार और पूंजीपति जिनके पास हजारों

(श्री हरिप्रसाद यादव)

की तादाद में पूंजी थी वे आज १०० में से १० प्रतिशत रह गये। वे लोग इन्कम टैक्स लाखों की तादाद में देते थे। आज १०० में से ९५ प्रतिशत ज़मीन उन लोगों के हाथों में है जो हाथ से हल चलाते हैं और खुद कस्सी और खुदाला चलाते हैं। जो खुद परिश्रम करते हैं और जिनको राजस्थान में बुद्धिजीवी लोग या अन्नदाता के नाम से पुकारते हैं, ऐसे लोगों पर यह टैक्स लगेगा। ऐसी सूरत में आज के इस प्रजातन्त्र के युग में अन्नदाता को कष्ट देना और उसकी जमीन के लगान की दर से उस पर नया टैक्स लेना यह हमारी परम्परा के खिलाफ है। जब हम राजस्थान में २ अक्टूबर से भारत के प्रधान मंत्री हमारे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में मर्ज कर गये हैं

(हंसी)

तो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सही मतलब आज के युग में यह है कि जो अन्न पैदा करनेवाले किसान लोग हैं उनका सही माने का राज, राज किसानों और मजदूरों की जमात पर है और आज हम जितना राज करते हैं उन किसानों और मजदूरों पर जो कल कारखाने चलानेवाले मजदूर लोग जिनके लिये कल एक माननीय सदस्य जो बाली से आये हैं ने कहा कि राजस्थान की फैक्ट्रीज़ बन्द होने से मजदूरों को काम नहीं मिलता है। अगर हम जिस क्षेत्र से चुन कर आये हैं और जिनके वोट लेकर आये हैं उनका यहां पर सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उनके लिये सस्ते न्याय देने के लिये सरकार के सामने आवाज बुलन्द नहीं करते हैं तो फर्ज पूरा नहीं करते हैं। मगर जब हम सस्ते न्याय देने के लिये सदन में आवाज बुलन्द करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट चलानेवाले लोग पहले से ही बोल उठते हैं कि हम समझ गये तुम्हारा मतलब, 'भाई बैठ जाओ।'

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को रेवेन्यू से मतलब है। हमारे यहां राजस्थान में बहुत मिनरल्स हैं। हमारे यहां कई तरह के हीरे-पन्ने आदि की खानें हैं। हमारे राजस्थान की भूमि में लाखों करोड़ों का धन गड़ा पड़ा है। माइनिंग इंजीनियर लाखों रुपयों की कारें लेकर घूमते फिरते हैं तो क्या हम माइन्स पर टैक्स नहीं लगा सकते? क्या हम हमारे यहां पन्ने, जवाहरात पर कर नहीं लगा सकते लेकिन जो लोग शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित हैं, काम करते हैं उन लोगों को इस प्रकार के सरचार्ज टैक्स के नाम से बरी करते हैं। यह सरचार्ज नाम की बीमारी है। मैं इसको बीमारी समझता हूं। लेकिन यदि हमारे कृषकों पर यह टैक्स लगाया गया तो हमारे हर जिलों में हमारे रेवेन्यू ऑफिसरों को बीमारी पैदा हो जायेगी और किसानों को बहुत दिक्कत होगी और हमारे यहां पर बैठनेवाले माननीय सदस्यों के लिये भी नया काम बन जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर !! ऑर्डर !! प्रसंग में बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव: मेरा यह विषय है कि सरचार्ज को क्यों लगाया जाय? इसको नहीं लगाया जाय, यह सिर दर्द है। सदन के माननीय सदस्यों के लिए यह

(करतलध्वनि)

एक सिर दर्द है। यह सरचार्ज सिर दर्द

(श्री हरिप्रसाद यादव)

नाम का टैक्स है इसको नहीं लिया जाय, हटा दिया जाय।

दूसरा, निर्माण विभाग की ओर हम देखते हैं तो आज हमको चलने के लिये एक रास्ता भी चाहिये। हमारे राजस्थान के सब वर्ग के लोगों को चाहे शिक्षक हों, मजदूर हों, डॉक्टर हों, राजा हों, रंक हों, सब को चलने के लिये रास्ता तो चाहिये। तो आज भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे लिए जितनी सड़कों का निर्माण करना चाहिये था उसके लिये पैसा दिया, हमने यहां से मांग भी की थी। लेकिन रुपया मिला भी फिर भी पहली पंचवर्षीय योजना में हम कोई प्रगति नहीं कर पाये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ सड़कें बनीं। किन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेद के साथ यह कहूंगा कि पी. डब्लू. डी. की सड़कें इतनी खराब हैं कि कहा नहीं जा सकता। २० मील का टुकड़ा 'ए' और 'बी' क्लास के ठेकेदार को ठेके पर मिलता है। वह १५ मील तो बना देता है वह भी आगे से बनाता जाता है पर बीच में पीछे से गड्डे पड़ते जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! सवाल सड़कें खराब बनी हैं, यह नहीं है किन्तु बजट के आंकड़ों पर आइये।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर बजट कायका मंजूर करा रहे हैं?

(हंसी)

एक प्रश्न रख कर उत्तर ले रहे हैं। अभी एक्साइज़ पर भी आनेवाला हूं।

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह बता रहा था कि जहां ठेकेदार उन सड़कों को पूरी भी नहीं कर पाते और जहां गड्डे पड़ जाते हैं पीछे से गैंगवाले उन सड़कों पर धूल डालते नज़र आते हैं। यदि कोई जीप में जावे या साइकिल पर जावे तो उसका मुंह धूल से भर जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है।

अब मैं आपका सिंचाई विभाग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिंचाई विभाग का, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में काम होनेवाले बजट को रखा है। हमको इतनी किताबें, पोथे,

(हंसी)

पानड़े मिले हैं। इनको पढ़ा। जिस तहसील से मैं आया हूं। भूपालसागर तहसील में एक बड़ा तालाब है, वहां पर उससे पांच नहरें निकलती हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पांच ही नहरों को पक्का बनाने का लाखों रुपयों का प्रावधान था। लेकिन न मालूम वह रुपया कहां चला गया? ६०-६१ का बजट पेश हुआ है जब कि ५८-५९ का बजट हमारे हाथ, कलम से लिखा पढ़ी करके यहां पारित होकर गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और हमारी यहां की पांचों नहरें अभी तक कच्ची की कच्ची ही हैं, पक्की नहीं बनी हैं। जहां भोपालसागर हैंक की नहरों से १० हजार बीघा जमीन की सिंचाई होती है और वहां से २०-३० हजार मन........

(श्री हरिप्रसाद यादव)

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : जरा जल्दी जल्दी समाप्त करें।

श्री हरिप्रसाद यादव जिस बात को मैं कह रहा हूं-लाखों करोड़ों किसनों की आहों को लेकर आया हूँ।

वहां पर शुगर केन एरिया है। जो चाय सबेरे बनती है उसमें उसी शक्कर को पैदा करके हम मजदूर लोग देते हैं। शुगर केन एरिया में साहित्य बंटवाते हैं, हमको भारत सरकार की किताबें मिलती हैं कि शुगर केन के एप्रोच एरिया के लिये लाखों रुपया देंगे। लेकिन हमारी जो नहरें हैं वे ठीक नहीं बन सकती हैं। हम अन्न का अधिक उत्पादन करके देश में पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट चलाने वाले हमारे साथी सदन में भाषण देते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है, बाहर से अनाज नहीं लावेंगे। दुर्भाग्य से कहूं या सौभाग्य से हमारे सिंचाई मन्त्रीजी हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। हमारे भीखाभाई अनुपस्थित हैं....

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर !! ऑर्डर !! मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं कि आप अपनी भाषा पर कन्ट्रोल रखें। संयम से बोलें।

श्री हरिप्रसाद यादव : मुझे बड़ा दुख है कि हमारी पांच नहरें नहीं बनी। देश का डवेलपमेंट करना चाहते हैं, भोपाल सागर की नहरों को पक्का करने के लिए जो पैसा बजट में रखा गया वह पैसा दूसरी जगह खर्च करवा दिया।

एक माननीय सदस्य : कौनसे इलाके में खर्च करवा दिया ?

श्री हरिप्रसाद यादव : जयपुर, जोधपुर की नहरों में लगा दिया या डूंगरपुर एरिया में लगा दिया।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : यह जुल्म की बात है कि भला उदयपुर का पैसा जयपुर, जोधपुर में खर्च हो जाय।

श्री हरिप्रसाद यादव : सिंचाई विभाग का तो यह हाल है। माननीय वित्त मन्त्री महोदय के पास एक्साइज़ एन्ड टैक्सेशन विभाग था उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, यदि यह सरचार्ज की बीमारी एक्साइज़ विभाग पर डाल दी जाय तो इसमें किसी की भी दो राय नहीं हो सकती। एक्साइज़ के कई केसेज चल रहे हैं, इन्कम टैक्स के कई केसेज़ चल रहे हैं, लोगों के इन्सपेक्टरों और ऑफिसर्स के बगले बन गये, करोड़ों रुपया सरकार का वसूल नहीं हुआ। जो कृषक लोग, मज़दूर लोग खेतों में काम करनेवाले हैं उनसे रेवेन्यू की लाखों रुपयों की आय करना चाहते हैं, इसको एक्साइज़ से वसूल किया जा सकता है। एक्साइज़ टैक्सेशन का अजीब हाल है। कई केसेज अदालतों में चल रहे हैं। कई इन्सपेक्टरों के बंगले बन गये और बन रहे हैं। कई एक्साइज़

(श्री हरिप्रसाद यादव)

टैक्सेशन के असिस्टेन्ट कमिश्नर्स, इन्सपेक्टर्स वगैरह मालों माल हो गये लेकिन हमारी गवर्नमेंट का लाखों रुपया लोगों से वसूल नहीं हो रहा है। उदयपुर में सैकड़ों केसेज़ हैं। फतहनगर की मंडी का मैं सुनता हूं कि इतनी तम्बाखू पकड़ी गई, इतनी भट्टियां पकड़ी गई, इतनी शराब पकड़ी गई। सरकार एक्शन नहीं लेती है। सरकार को तो नज़र आते हैं ये भोलेभाले किसान। दो पैर रखने के लिए भी भूमि रहने देंगे या नहीं ? किसान जहां अन्न पैदा करते हैं उन पर तो और लगा दिये टैक्स और जहां एक्साइज़ वाले लाखों का घोटाला करते हैं उनको छूट ! माननीय मंत्री महोदय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पुलिस में काफी मामले चल रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : वे भी गैर-हाज़िर हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : चले तो गये। उन्होंने देखा कि एक्साइज़ का मामला है। हमारे नाथूरामजी साहब यहां हैं, हमारे दामोदरलालजी साहब यहां हैं।

(हंसी)

भूतपूर्व एक्साइज़ मंत्री भी उपस्थित हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि करोड़ों रुपया रिकवर करते....

(घंटी)

हुए भी नये नये टैक्स लगा रहे हैं। हजारों बीघा जमीनवाले जागीरदार थे जमीदार थे, जागीरदारियां और जमीदारियां समाप्त कीं। कानून में कई अमेन्डट्स किये अभी रेवेन्यू का अमेन्डमेन्ट पेश किया था और पास किया उस समय श्री जनार्दनरायजी नागर, जो मेरे मास्टर हैं वे मुझे आवेश में ले आये आखिर में कोई विशेष तरक्की हुई और वह पास हुआ। सेटलमेंटवाले कानून लागू नहीं करते हैं, प्रस्ताव पेश किया है।

यह हमने प्रस्ताव पास किया शुगरकेन एरिया को जिसने काम में नहीं लिया उनसे जमीन छीनकर भूमिहीन किसानों को दी जाय। बड़े बड़े फार्म्स जिन्होंने बना रखे हैं उनसे भी जमीन लेकर भूमिहीनों को दी जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस काम को छोड़े तब ना।

श्री हरिप्रसाद यादव : अब मैं वित्त मंत्री महोदय ने जो समाज कल्याण की ओर प्रकाश डाला है उस पर भी कुछ कहूंगा। समाज कल्याण उन अभागी जनता से संबन्ध रखता है जिस जाति में से मैं भी आया हूं, महात्मा गांधी जिसको हरिजन कहा करते थे। हरिजन नाम उसका होता है जो हरि का भक्त होता है चाहे वे उपाध्यक्ष महोदय हों, चाहे मंत्री महोदय हों, चाहे मिनिस्टर महोदय हों...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! आर्डर !!! आपका भाषण समाप्त हो गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

मैंने आपसे कई बार निवेदन किया है कि जब भी आपको बोलने का अधिकार दिया जाता है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। इस बारे में मैं आपको कई बार चेतावनी दे चुका हूँ कि आप भाषा पर संयम नहीं रखते। इसके लिए कहीं भविष्य में मुझे कोई कड़ा रुख अख्तयार न करना पड़े।

(विराम)

श्री मदनसिंह ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल का बजट जो हमारे वयोवृद्ध वित्त मंत्री महोदय ने रखा है, जिन्होंने स्पीच दी है इससे पहले एक प्रकार का वातावरण बन रहा था वह ऐसा बन रहा था कि बजट बहुत अच्छा होगा, इस प्रकार की आवाज उठ रही थी। बजट चूंकि सीक्रेट होता है अतः वित्त मन्त्री महोदय के भाषण से पहले उसका आउट होना मुश्किल है, फिर भी वातावरण ऐसा हो रहा था कि बजट बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने जब सुना तो यह खयाल किया, यह बात कैसे है ? फिर समझ में बैठी कि मिनिस्टरों की संख्या बढ़ी है इसलिये पहले ही ऐसा वातावरण बना दिया गया कि बजट अच्छा होगा और नहीं तो उसको किया जायेगा, इस तरह से पहले ही यह ग्राउन्ड तैयार किया गया। लेकिन जब बजट हमारे सामने आया उसको अगर सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाय तो मैं समझता हूं बजट के सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। बजट में जो आंकड़े होते हैं वे एक प्रकार से सेट-अप से होते हैं। उसमें रुपयों का हेरफेर हो सकता है या कुछ कमी बेशी भी हो सकती है। जहां पहले सिर्फ सरकार का १६ करोड़ रुपया खर्च होता था उसमें ४८ पर्सेन्ट रकम डेवलपमेंट वर्क्स के लिए हुआ करती थी ; उस समय करीबन सात करोड़ रुपया विकास के कार्यों के लिए लगाया जाता था आज जब कि ४५ करोड़ का बजट है उसके मुकाबले आज सोशल वर्क्स पर बहुत कम खर्च हो रहा है। जहां हमने टैक्सेज़ बढ़ाये तो हमारा फर्ज होजाता है कि जिन से हम टैक्स ले रहे हैं तो उनके सोशियल वैलफेअर के लिये भी हमें ज्यादा खर्च करना चाहिये इससे सारी जनता को सन्तोष हो सकता है। केवल बजट के आंकड़े बढ़ाने से ही सन्तोष नहीं हो सकता बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वे आज नहीं कह सकते आज जहां ३० करोड़ रुपया खर्चा होता है वहां ४५ करोड़ का खर्चा कैसे हो गया ? आज इस बजट से राजस्थान के कॉन्ट्राक्टर्स को तो जरूर खुशी हुई क्योंकि This is a budget meant for contractors and not for public. उनको जरूर खुशी हुई है। ४५ करोड़ का बजट है। खूब धाप धाप कर खायेंगे, खूब हाथ साफ करेंगे। रुपया बढ़ाने से कोई बजट की तारीफ होती है, यह बात नहीं यह सिद्धान्त की दृष्टि से अच्छी चीज़ नही है। बजट में अच्छे ढंग की व्यवस्था करके अच्छे ढंग से खर्च करने की स्कीम्स होती हैं, उस पर तारीफ होती है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े नेताओं के जरिये जो कुछ भी प्रेरणा हमको मिलती रही है उसके साथ साथ और जो देश के लिये व्यवस्था दे रहे हैं वे कांग्रेस के तो सबसे बड़े नेता हैं ही लेकिन हमारे

(श्री मदनसिंह)

देश के प्रधान मन्त्री होने के कारण पं० जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश की सरकार को बराबर इस बात का इशारा किया है कि आज जो हमारे देश में पीस टाइम होना चाहिये वह नहीं है । हमारा देश कुछ ऐसे विदेशों से घिरा हुआ है, न मालूम किस समय हमारे पर आर्थिक संकट आ सकता है । इतना बड़ा बड़ा बजट हम बना रहे हैं न मालूम किसी समय देश पर संकट आजाय तो फिर रुपया कहां से लायेंगे ? या तो फिर वैसी हालत में लोगों के मकान छीनने पड़ेंगे या लोगों की जो व्यवस्था जमी हुई है उसको खत्म किया जायगा । इस बजट में ज्यादा खर्चा बताया गया, करीब ४५ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, मैं समझता हूं पहले से कम खर्चा करके और सुचारू रूप से काम चलाते तो बजट को अच्छा समझा जा सकता था । जो भी माननीय मन्त्री महोदय विराजमान हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब घर का बजट बनाते हैं तो कितना दिमाग लगाते हैं ? अगर कहीं गरारे का कपड़ा ज्यादा चला जाय तो दर्जी की शामत आ जाती है लेकिन उस तरह से जहां करोड़ों रुपया जनता का आता है उसका बजट बनाते हैं उसमें उतना विचार नहीं करते । मेरा तो यह मानना है कि कम खर्चे में ज्यादा अच्छी व्यवस्था आप कर पाते तभी बजट को ठीक कहा जा सकता था ।

अब मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा । शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं । इस शिक्षा की व्यवस्था जिस प्रकार की हो रही है वह ठीक नहीं है । चाहे आप कितनी ही स्कूलें खोलें जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया आज गावों की शिक्षा अच्छे लोगों के हाथों में नहीं है । जहां विदेशी शिक्षा का ढांचा है, जहां पिछड़ी हुई कौम है, जहां शिक्षित लोगों की बहुत कमी है वहां हमें शिक्षकों के रूप में अच्छे लोगों को भेजना चाहिये । आज वहां अध्यापक भेजे जाते हैं जो मिडिल पास मैट्रिक पास होते हैं वे लोग जाकर उन अनपढ़ों के बीच शिक्षा का प्रसार करते हैं उनसे उनको क्या शिक्षा मिल सकती है ? उनको आज अच्छा अनुभव नहीं हो सकता । इसलिये मैं समझता हूं दो-तीन बजट सेशन में भी इस बात पर प्रकाश डाल चुका हूं अगर वहां बुजुर्ग मास्टर भेजे जायं तो अच्छी शिक्षा मिल सकती है और उसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है । आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर एम० एल० ए० और राजकर्मचारी अपने बच्चों को गावों में शिक्षा नहीं देते क्योंकि वे जानते हैं कि गांवों की शिक्षा अच्छी नहीं । अगर गांवों की शिक्षा अच्छी होती तो ये लोग अपने बच्चों को शहरों में नहीं पढ़ाते । आज जहां जहां भी मिशनरीज़ काम कर रही है वहां पर शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध है वहां पर शिक्षा के लिये बच्चे जायेंगे वहां ज्यादा शिक्षा मिलती है, वहां चरित्र निर्माण होता है, शिक्षा दीक्षा की रीति ठीक है । आज हम गांवों में जो गुरू कहलाते हैं उनकी हालत देखते हैं जो तीन तीन दिन तक मुंह नहीं धोते (हंसी) जिनके बाल बिखरे हुए हैं वे बच्चों को शिक्षा देते हैं यह हालत गांव की शिक्षा की है । तो उनसे क्या प्रेरणा मिलेगी, ऐसों से क्या प्रेरणा लेंगे ? आप लाखों,

Page No.71

(श्री मदनसिंह)

करोड़ों खर्च करिये पर जिन व्यक्तियों को सुधारना है, जो पिछड़े लोग हैं अगर उनको हम सुधार पाये तो आपकी शिक्षा का उपयोग है। शिक्षा का आपका वह स्तर आजावे जिस स्तर पर हमारे नेता लोग आते हैं तो समझ सकते हैं कि कुछ उपयोग हुआ है। आपने बजट में रकम रख दी पर इस तरह खर्च नहीं करने पर विरोध करते हैं तो विरोध करना आपको बुरा भी लगता है, परन्तु कहना जरूरी है। जैसी शिक्षा आप देना चाहते हैं वैसी शिक्षा हो ही नहीं रही है। अब शहर के लोगों को तो मालूम नहीं होता क्योंकि वे लोग गांवों में जाते नहीं, बजट सुनते हैं कि पांच सौ स्कूलें गांवों में खुलेंगी और इससे जान लेते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब गांव वाले भी जल्दी ही हमारे बराबर आ जावेंगे। चलो अच्छी बात है। पर वह शिक्षा गांवों में दी नहीं जाती। पैसा व्यर्थ जाता है। तो इस तरह शिक्षा पर जितना खर्च होता है फिजूल हो रहा है। इससे तो वही पहले वाली उनकी शिक्षा अच्छी थी कि खाती, कुम्हार वगैरह अपने अपने कर्म करते थे और ऐसी ही शिक्षा अपने बच्चों को प्रेक्टिकली घर पर ही देते रहते थे तो कम से कम घर का कामकाज चलाने लायक तो बन ही जाते थे। उनकी अपनी घर की यह व्यवस्था ही उत्तम थी।

आप कहेंगे कि विरोधी दलवाले हैं। हम तो इसी तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार लाखों रुपये खर्च करती है डवेलपमेंट के कामों पर और हम भी मानते हैं कि डवेलपमेंट की और कई बातेंचीतें हुई हैं। कुछ सुधार हुआ है, यह कहेंगे। पर जो सिद्धान्त की खराबियां हैं उनको दूर नहीं करेंगे तो यह खर्चा सही ढंग से नहीं होगा। इसलिये शिक्षा के सम्बन्ध में इतना ही अर्ज कर देता हूं कि शिक्षक आप अच्छे रखें ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। नहीं तो इतना पैसा अगर आप शहरों में शिक्षा में खर्च करते तो कुछ लाभ तो यहां जरूर होता। टैक्निकल शिक्षा पर खर्च करते तो शहर वालों को ही फायदा होता। पैसे से किसी को लाभ तो होता।

अब रहे दूसरे छोटे मोटे सवाल कि उनको तीन-तीन महीनों से तनख्वाह नहीं मिलती। मकान नहीं मिल रहे। तो इनमें डिले हो सकती है। आखिर इसमें समय लगता है। एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। मकान खड़े नहीं हो सकते, सारी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो सकती।

दूसरी बात, पुलिस के सम्बन्ध में रक्षा के सम्बन्ध में कहनी है। मैं समझता हूं कि कोई भी मिनिस्टर यह नहीं चाहता होगा कि पुलिस के कर्मचारी बेईमान व बदमाश हों या ऐसी चीज़ हो। पर जो पुलिस की तारीफ हुई राज्यपाल महोदय के भाषण में और यहां भी थोड़ा इशारा इस तरफ हुआ कि वाकई में डाकुओं पर काबू किया और यह हर एक विरोधी दल के नेताओं को भी मान लेना चाहिये कि यह हुआ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): एक नेता नहीं मानते श्री भैरोंसिंहजी।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : हमारे नेता नहीं मानते इसका कारण है । डाकुओं को खत्म किसने किया ? पुलिस ने नहीं किया । आज जो आई. जी. पी. हैं उनकी वजह से यह हुआ है नहीं तो इनसे पहले भी वही पुलिस थी, तीन तीन और चार चार आई. जी. बाहर से आ गये पर वे यह काम नहीं कर सके ।

श्री उपाध्यक्ष : ये आई. जी. पुलिस के हैं या नहीं हैं ।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): पुलिस के हैं या बाहर के हैं आई. जी. पी. ?

श्री मदनसिंह : आप क्या चाहते हैं ? कहें ।

श्री उपाध्यक्ष : Oder ! Oder !! This is a special Tribute to I. G. P.

श्री चन्दनमल वैद : ये आई. जी. साहब को खास ट्रिब्यूट देना चाहते हैं ।

श्री मदनसिंह : यह आई. जी. पी. का काम हैं कि वे इस तरह की व्यवस्था करें । इसलिए आज प्रजातन्त्र में एक व्यक्ति पर आधारित होना कोई अच्छी बात नहीं है । इसलिये मैं इसे कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानता । आज पुलिस में बदमाशी आ गई है, करप्शन आ गया है, इसलिये आम तौर से सारी पुलिस का सामान्य ढांचा जब तक ठीक तौर से नहीं बैठेगा तबतक यह कहना कि लॉ और आर्डर ठीक हो गया है, उचित नहीं है । इसके लिये होम मिनिस्टर साहब ने प्रोमिज़ भी किया है पर मैं समझता हूं कि जब तक वे लोगों को ऐसे लोगों को कड़ी सजा नहीं देंगे तब तक यह नहीं होगा । होम मिनिस्टर साहब को भी दुख हो रहा है, आई जी. पी. साहब को भी दुख हो रहा है क्योंकि वे इनके लिए अपने से नीचे के लोगों पर भरोसा करते हैं, खुद नहीं देखते और नीचेवाले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से पनाह दे रहे हैं । इसलिए ये चीजें सहनी पड़ रही हैं । इसलिए वे मोटे-मोटे केसों में सजा देने का नाम लेना नहीं चाहते और जब तक ऐसा करेंगे नहीं तबतक भ्रष्टाचार पुलिस से निकलने से रहा अब मैं उनके नाम बतलाऊंगा तो वे ही चीजें आवेंगी जिससे वे नाराज होते हैं । नाम बाद में भी दिये जा सकते हैं और मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो कहीं नहीं जाऊं, मैं मिनिस्टर महोदय के घर तक दस बार चला जाऊंगा अगर नाम बताने पर ही वे कुछ करना चाहें तो ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी राजकर्मचारियों के लिए शराबबन्दी है । उनके लिए आॅर्डर है । वित्त मन्त्री महोदय भी महसूस करते हैं कि पुलिस के कई अफसर लोग और उनके नीचे वाले भी शराब पीते हैं । शराब बन्द नहीं हो सकती । यह सबको मालूम है । इसी से ये सब अव्यवस्थाएं होती हैं । महिलाओं के सम्बन्ध में जैसा श्री भैरोंसिंहजी ने कहा कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं उनके साथ पुलिस का इतना दुर्व्यवहार हो रहा है तो यह सब शराब के कारण है । अफसर लोग शराब पी लेते हैं उनको नीचे के लोग शराब पिलाते हैं और कहीं कहीं ऐसी भी शिकायतें हैं

(श्री मदनसिंह)

कि पुलिस वाले स्वयं शराब निकालते हैं। ये अफसर इनमें शामिल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बार बार अफसर के सम्बन्ध में कहना एवं उनके नाम का उपयोग करना ठीक नहीं है। इससे कथन का महत्व चला जाता है इसलिये आप इससे वंचित रहें तो अच्छा है।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर पकड़ मोटी है तो महत्व जावेगा नहीं। अगर सच्चाई और मैरिट्स हैं तो महत्व जावेगा नहीं और अगर चला जावेगा तो गांवों में इसे रोकने का प्रयत्न किया जावेगा। आज भी गांव....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके भाषण के इस अंश पर व्यवस्था नहीं देना चाहता था इसलिये मैंने दूसरा तरीका अख्तियार किया। बाकी यह प्रासंगिक नहीं है।

श्री मदनसिंह : गांवों में यह देखा जाता है कि पुलिस के शराब के अड्डे जमे हुए हैं और यहां तक भी हो रहा है कि गांव के लोग उन अफसरों के शराब में धुत होने पर बैल्ट और पजामे तक उतार लेते हैं।

('शेम-शेम' की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था है कि इस प्रसंग पर आप न जावें। भाषण की, बजट की नीति तक ही सीमित रहें, ऐसी आशा करता हूं।

श्री मदनसिंह : जिस स्थिति के बारे में मैं कह रहा था वह यह कह रहा था कि होम मिनिस्टर साहब कहां तक पहुँच सकते हैं अगर यह स्थिति नहीं रूकी तो अन्यथा तो यह शिकायत रहेगी और इसलिये मैं कह रहा हूं कि गांवों में जो थानेदार हैं उनसे उनके पजामे और बेल्ट तक गांवों के लोग खोल कर ले जाते हैं वे आगे भी ले जाते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे दुख है। आप भाषण के इस अंग पर नहीं जावेंगे। रीति नीति बजट की जो है उसके सम्बन्ध में इस समय कहेंगे।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आपकी कि किसी भी व्यवस्था को भंग करने की न तो मेरी नीति रही है न मैंने आज तक ऐसा कभी भी किया है, न चेष्टा ही की है। जब राज्यपाल महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपने पूरा सहयोग दिया है, किन्तु मैंने जो व्यवस्था दी है उसका भी आदर करेंगे।

श्री मदनसिंह : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कहा गया था कि डिटेल में मत जाओ, उस वक्त बोला भी नहीं था, सोचा बजट के समय डिटेल में कहूंगा। पर मैं क्या समझूं कि उस व्यवस्था में और आपकी इस व्यवस्था में कहां विरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर निवेदन करूं कि वह व्यवस्था भी उचित थी और यह भी। आगे कट मोशन की स्थिति आने वाली है, आप उस वक्त डिटेल में कह सकते हैं। आपसे इस समय सदन अपेक्षा करता है कि आप सिद्धान्त की बातों पर इस बजट पर बहस करेंगे, जिससे सदन को प्रकाश मिल सके।

Page No.74

श्री मदनसिंह : कट मोशन के वक्त ऐसी व्यवस्था हो गई तो बड़ी मुश्किल होगी।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें मैं बड़ा सरल रहूंगा।

श्री मदनसिंह : उन अफसरों का बाद में नाम लिया जावेगा अगर आप ऐसा आश्वासन उस समय कहने का दिलाते हैं तो ।

श्री चन्दनमल वैद : पुलिस पर ऐसा कोई कट मोशन नहीं है ।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सड़क निर्माण के सम्बन्ध में बहुत सी चीजें कही जा रही हैं। मैं समझता हूं कि जितना विश्वास हमें दिया गया था कि ये ये सड़कें बन ज वेंगी उनमें उलटफेर हो रहा है इसलिये हमारी जनता में यह अविश्वास हो रहा है जैसे मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी देखें। वहां आज से नहीं, जयपुर के महाराज के शासन काल से उसी सड़कों के टुकड़े हैं जिसके लिये हर पंचवर्षीय योजना से विश्वास दिलाया गया कि रींगस लाडनूं होते हुए डाइरेक्ट दिल्ली और जोधपुर की ओर जाने वाली सड़क बनवा दी जावेगी फिर भी आज इतने विश्वास दिलाने के बाद भी मुझे दुख है कि वह सड़क नहीं बनी। यही नहीं उल्टे जब मिनिस्टर महोदय वहां खाटू पहुंचे तो कहा गया कि आपके क्षेत्र से जब तक कांग्रेसी नहीं आवेगा यह सड़क निर्मित नहीं होगी। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर महोदय के स्तर का जो व्यक्ति हो वह जाकर हमारे एरिया में यह कहे कि जबतक कांग्रेस के आदमी को वोट नहीं दोगे यह सड़क नहीं बनाई जावेगी यह उनके लिए अच्छी बात नहीं है। अगर इधर उधर के नेता कहते हों तो कोई चिंता नहीं लेकिन एक मिनिस्टर से यह आशा नहीं कर सकते कि वह यह बात एक जगह जाकर कहें कि खाटू और रींगस की सड़क जब बन सकती है कि जब वहां से कांग्रेसी केन्डीडेट को वोट दिया जाये। हालांकि, वहां की जनता ने कहा कि इस सड़क के बनाने के लिए हम स्वयं ३०,००० देने के लिए तैयार हैं और इस पंचवर्षीय योजना में यह सड़क बने। पर उन्होंने तो कहा कि जब भी कांग्रेस का व्यक्ति इस क्षेत्र से जीतेगा ....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बड़ा दुख है कि भाषण में अप्रासंगिक बातें हों, इससे बड़ी मुश्किलें आती हैं कि किसी माननीय सदस्य ने सदन के बाहर कोई बात कही थी तो वह सही है या गलत, फिर उन्हें यहां नहीं ला सकते। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप प्रासंगिक तरीके से ही चलें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी): उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात कही जाये और उसका प्रमाण हो तो यहां क्यों नहीं रखी जा सकती ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! कुछ प्रमाण हों, फिर भी सदन के बाहर भाषणों पर यहां अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता। मेरी व्यवस्था है कि सदन की परम्परा और अन्य सदनों की परम्परा यह है कि बाहर जो स्टेटमेन्ट प्रकाशित होते हैं उनका उपयोग प्रायः सदन में नहीं किया जाना चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यहां सदन में क्यों नहीं उनका रेफरेन्स लाया जा,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सकता। मंत्री जी वहां जाते हैं और इस प्रकार की........

श्री उपाध्यक्ष : इसमें पहला प्रश्न तो यह है कि कोई स्टेटमेन्ट सदन से बाहर हुआ या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि सदन के बाहर हुआ तो उसकी प्रमाणिकता क्या है ? और वह सदन के प्रांगण पर आ सकता है या नहीं और इन सभी प्रश्नों को सामने रखते हुए मैं यह निर्णय दूंगा कि वह प्रांगण पर नहीं आ सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : यही तो मैं कहना चाहता हूं, वह आ क्यों नहीं सकता ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं एन्टीसिपेशन के प्रश्न पर कोई व्यवस्था नहीं देना चाहता लेकिन जो कुछ माननीय सदस्य उस स्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं जो कि हमारे सामने नहीं है इसलिए उस पर कोई प्रकाश डाला नहीं जायगा।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : जहां तक परम्परा के बारे में व्यवस्था दी है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। पर कोई मन्त्री ने बात कही हो और अखबार में आई हो और उसके लिए प्रमाण दिया जाये तो वह सुननी चाहिए।....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर !! मैं चाहूंगा कि व्यवस्था के बारे में कुछ न कहें।

श्री दयाकृष्ण विजय : हमारा प्रश्न तो इस मामले में है कि मंत्रीजी बाहर जाते हैं और कोई बात कह आते हैं, तो उसके लिए यहां डिस्कस किया जा सकता है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर प्लीज़!! मैंने और सारे प्रश्नों को खुला छोड़ा है। एक प्रश्न जो अभी सदन के सामने आया है उसके बारे में व्यवस्था दी है।

श्री होतीलाल : आपने कहा कि सदन के बाहर की चीज़ न कहें। लोक सभा के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि अभी कृपलानी जी ने स्टेटमेन्ट ....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! आॅर्डर प्लीज़!! मैंने व्यवस्था देते समय केवल एक प्रश्न को छोड़कर आगे आने वाले प्रश्न को बांधा नहीं है। मैंने, जो प्रश्न अभी सदन के सामने चला है उसके बारे में व्यवस्था दी है, और दूसरे आने वाले प्रश्न अलग स्थिति रखते हैं। हां, आरम्भ रखिये।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्योंकि व्यवस्था दे दी है और सदन की जितनी मर्यादा है, मैं भी सदन के लिए नया आदमी हूं और कुछ सीखता जा रहा हूं। मैं कहता हूं ऐसी बातें तो कम से कम मंत्रियों की तरफ से न आयें। फिर मैंने नाम भी नहीं लिया है और क्यों इसके लिए व्यवस्था दे दी है तो मैं नाम भी नहीं रखूंगा। मैंने किसी एक मिनिस्टर के लिए नहीं कहा है........

श्री चन्दनमल वैद : आपने तो यह कह कर सारे मिनिस्टरों को ही बांध दिया है।

श्री मदनसिंह : तो क्या नाम लिया जाये ?

श्री चन्दनमल वैद : अगर चार्ज लगाते हैं तो फिर नाम भी बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपने भाषण के आधार पर ही चलिये ।

श्री चन्दनमल वैद : पर आपने तो सब को बांध दिया....

श्री उपाध्यक्ष : Will not interrupt the Honble Member please.

श्री मदनसिंह : अगर आप कहते हैं बांध दिया तो भी ठीक है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के विषय में यह कह रहा था, वहां लोगों को विश्वास नहीं आता कि सड़क बन ही जायेगी। जब कि निर्माण कार्य के लिए इस प्रकार से राशि बताते जाते हैं और स्कीम बताई जाती है कि इतनी सड़क बनेगी और फिर भी यह कहा जाता है कि काम उनके माफिक नहीं होगा तब तक नहीं बनेगी। तो प्रजा के ऊपर यह तो बड़ा भारी अन्याय है। फिर भी मैं नाम नहीं लूंगा....

श्री चन्दनमल वैद : नाम क्यों नहीं लेंगे, क्या आपके पति हैं ?

श्री मदनसिंह : मेरे नहीं तो और किसी के तो हैं। इसलिए भी नाम नहीं लेना चाहिए। जहां तक पति और पत्नि का संबंध है तो उसे तो वही बंद कर सकते हैं जो कि केवल उनका नाम नहीं सुनाना चाहते। इसलिए मैंने बन्द कर रखा है।

श्री चन्दनमल वैद : वह हिन्दू पतिव्रता नारी की तरह चलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनके प्रति आदर है। इसके अन्दर क्या मुश्किल है ? आरम्भ रखिये।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिन चीजों को सदन के अंदर रखना चाहिए और इस तरह से माननीय सदस्य बीच में पति पत्नि की बातें कहते हैं तो यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है। मैं कहता हूं कि उनको शर्म आनी चाहिए, he should be ashamed of himself.

उपाध्यक्ष महोदय, कन्सोलिडेशन के विषय में काफी लिखा गया है मैं समझता हूं कि कन्सोलिडेशन में कुछ एक ऐसी घटनायें हो चुकी हैं जिनके विषय में मैं समझता हूं न तो माननीय मंत्री महोदय को कोई रिपोर्ट मिली है और न मैं समझता हूं उनको इस चीज का ज्ञान ही है कि जितने भी लैंड कन्सोलिडेशन हुए हैं उनमें खातेदारी राइट्स ८० पर्सेन्ट चले गए हैं। और वह इस कारण से चले गये हैं कि जिन लोगों को जमीन मिली है वह रहन वालों के नाम ही हो गई है और ओरीजनलों जिनके नाम थी उनकी खातेदारी खत्म हो गई और इस वजह से वह राइट्स चले गए इसलिए मैं समझता हूं कि जैसी कन्सोलिडेशन की स्कीम थी कि जिनकी जमीन है उनको कन्सोलिडेट करके गांवों में अच्छी व्यवस्था होकर खेती होगी तो जो ओरीजिनल मालिक थे वह खत्म हो गए हैं इसलिए इसकी इन्क्वायरी करायें तो मालूम होगा कि दो तीन जगह ऐसी घटना हो गई हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): क्या बताया आपने कन्सोलिडेशन से खातेदारी कैसे खत्म हो गई ?

श्री मदनसिंह : होना नहीं चाहिए, कानून नहीं है। लेकिन ऐसी बातें हो चुकी हैं

(श्री मदनसिंह)

वह ऐसी हुई हैं कि जहां पर खातेदार हैं जैसे किसी ने दूसरों के नाम पर रहन रखी है तो रहन रखनेवालों के ही नाम खातेदारी में रख दिए गए हैं और वह खातेदारी खत्म हो गई। यह देखने में बिल्कुल ठीक नहीं दीख रहा है। यह हो चुका है इसलिए आपको इत्तला दे रहा हूं........

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए किसानों के पास बहुत से तरीके हैं दुरुस्त कराने के। इसमें आप बतायें कन्सोलिडेशन का क्या कसूर है? तो उसके तो दो तीन मौके मिलते हैं। फिर कन्सोलिडेशन का बेसिस तो लैंड रेकॉर्ड के ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी सूचना गलत होगी या अगर ऐसा है तो दरख्वास्तें दें दुरुस्ती की।

३ म. प.

श्री मदनसिंह : कन्सोलिडेशन स्कीम का कुसूर है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें रुपया खर्च होता है और जो सही चीज़ होती है वह नहीं होती और इसकी जगह भी बता सकता हूं कि यहां ऐसी चीजें हुई हैं, जो आपके नगर में हुई हैं और लोग दुखी हैं।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, सोल्जर्स के सम्बन्ध में कहूंगा। इनके सम्बन्ध में जो व्यवस्था राजस्थान में है वह भी कोई ठीक ढंग से विशेष काम की है ऐसा नहीं है। विशेष खर्चा बजट में रखा है। आज देश गम्भीर खतरे की स्थिति में से गुजर रहा है, चीन हमारी सीमाओं पर आ गया है। उपाध्यक्ष महोदय, चीन के सम्बन्ध में जब कुछ थोड़ी गर्मागर्म बात चल रही थी तो उस सम्बन्ध में थोड़ा हमें विचार हुआ था कि हम कम से कम इसके लिये तैयार तो रहें। इस पर हमारी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो वे सोल्जर्स साफ यह कहने लगे कि हम किसके लिये मरें? हमारी तो यह दशा है आज। आज सरकार हमें सता रही है। तो हमने कहा कि देश के लिये। पहले पैसे के लिये मरते थे तो अब देश के लिये मरो। उन्होंने अपनी हालत बताई। पन्द्रह पन्द्रह सालों से से जिन जमीनों पर हमारा कब्जा था उस पर फैसला हो चुका है, वे गोचर भूमियों के नाम से हमसे छीन ली जा रही हैं या नेताओं की शिकायतों पर हमें उन पर से बेदखल किया जा रहा है। मैं इसके लिये रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि इस तरह इनकी काफी जमीनें छीनी जा रही हैं और इसके लिये काफी लोगों में असन्तोष है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जब भी उनको कहा जाता है तो वे साफ कहते हैं कि हम अपने बाल बच्चों को भूखों छोड़ कर आर्मी में नहीं जावेंगे। वे आज सरकार की इस तरह की कार्यवाहियों से साफ नट रहे हैं। तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। देश में आज रक्षा को लेकर हलचल मच रही है और दूसरी तरफ देश के लिये मरनेवालों की यह हालत है। इसके लिये राज्यपाल के अभिभाषण में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। ऐसी चीज का उल्लेख होता तो अच्छा होता।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जानना चाहता हूं कि उनसे जमीनें वापिस छीनी जा रही हैं, ऐसी अगर कोई भी मिसाल हो मुझे बताएं।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : आपको मिसाल बताई और उसको आपने घोटाले में डाल दिया है। कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने बताया भीलवाड़े का एक केस। वह केस मैंने देखा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर यह तरीका दुरुस्ती कराने का है या शिकायत करने का है तो यह मेरे खयाल से ठीक नहीं है। वह जमीन उनको अलॉट ही नहीं हुई थी।

श्री शिवचरणदास : उस केस के लिए मैंने काफी बातें आपके सामने रखी थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह केस मैंने अच्छी तरह देखा है। उसमें जमीन अलॉट ही नहीं हुई थी। उनसे लेना वाजिब था। तो भी हमने कहा कि और हम जमीन देने को तैयार हैं। बाकी और केसों में आप ध्यान में ऐसी बात लावेंगे तो जरूर एक्शन लेंगे।

श्री शिवचरणदास : आपको उस केस में काफी समझाया गया था कि अलॉट की हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !! आप आरम्भ रखिये।

श्री मदनसिंह : प्रश्न यह है कि राजस्थान में आज बजट में सोल्जर्स के लिये कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये थी। कम से कम सौ केस तो ऐसे मेरी नजरों में हैं। मैंने लिस्ट मंगाई है। पर मैंने यह बात आज इसलिये कही है कि देश आज संकट से गुजर रहा है। देश की सुरक्षा के लिये आज सिपाहियों की जरूरत है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। इसलिये मैंने तो सुझाव दिया था कि बजट में इसका भी प्रोविज़न होता तो उनको खुशी होती।

उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग में भी यह है कि आयुर्वेद विभाग में जैसी गवर्नमेंट की रुचि होनी चाहिये वैसी नहीं है। खर्चा तो बढ़ाया है पर जैसी मदद होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। वैद्य भी यह समझ बैठे हैं कि जैसी भी अच्छी, बुरी नई, पुरानी जैसी भी दवा मिले गावों में लोगों को दे देते हैं। तो दवाइयों की भी व्यवस्था गांवों में ठीक नहीं है। गांवों में सब व्यवस्था हो जाती है, दवाखाने खुल जाते हैं दवाइयां पहुँच जाती हैं पर वैद्य नहीं पहुंचते। वैद्य पहुँचते हैं तो दवा नहीं पहुंचती, कभी कभी दवा और वैद्य दोनों पहुंचते हैं तो दवा पुरानी पहुँचती है, नई नहीं होती और वैद्यक में नई दवा जो गुण करती है पुरानी नहीं करती। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिये। आज आयुर्वेद में इसी कारण वह चमत्कार नहीं रह गया जो पहले था और जो आज एलोपैथी की दवाइयों में है। उनका संगठन और व्यवस्था अच्छी है। उनमें यही कारण है कि अमुक अमुक दवा इस तरह से इस तारीख तक इस्तेमाल कर ली जानी चाहिये, बाद में उसका असर नहीं रहेगा। तो यही बात वैद्यक में भी है पर ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिये अच्छे ढंग की जड़ी बूंटियां हों तो मैं समझता हूं कि आयुर्वेद में काफी तरक्की हो सकती है।

आखिर में, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी व्यवस्था माननी है इसलिये ऐसी चीजें जो मुझे रखनी तो थीं पर नहीं रखूंगा और मैं समझता हूं कि चेयर की ऐसी व्यवस्था होजी है तो न मैं कट मोशन में रखूंगा और

(श्री मदनसिंह)

भी स्ट्रिक्ट चेयर हो तो असेम्बली में भी नहीं रखूंगा । ऐसा रहना है जिसमें सबकी खराबियां और बुराइयां हों तो भी मैं नहीं रखूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : विशेष आधार पर, विशेष नियमों के आधार पर ।

श्री मदनसिंह : दूसरी बात स्वायत्त शासन मन्त्री से निवेदन करनी है । गांवों में जब भी आप अपने कदम रखें या आप स्वयं पधारें तो सारी व्यवस्था को देख सकते हैं । ऐसा हुआ कि एक मन्त्री महोदय हमारे वहां पधारे । पता नहीं लग पाता कि कहां रहते हैं, कहां ठहरते हैं । एक दम से हमारे गांव में आ गये लोगों से पूछा कौनसे मन्त्री महोदय आये हैं तो कहते हैं कि वे आये हैं जो नेहरूजी के नीचे बैठते हैं । हमने कहा हमारे यहां तो बद्रीप्रसादजी पधारनेवाले थे । वहां की व्यवस्था कुछ डांवांडोल थी, नया औषधालय भी बना था, उनको उसकी ओपनिंग सेरेमनी करने के लिये इन्वाइट किया था । यह नेहरू जी के नीचे बैठने वाले मन्त्रीजी कहां से आ गये ? (हंसी) फिर मालूम हुआ कि सारण साहब थे । मैंने तब कहा कि नेहरूजी के नीचे तो नहीं बैठते हैं पर उनके नीचे बैठते होंगे । वह पधारे और कुछ स्वागत में उनके कमी पड़ गई या क्या हुआ, आपके आने की बात थी इसलिये ज्यादा तैयारी की थी । स्वागत भी जैसा होना चाहिये था वैसा हुआ । तो वह बजाय आयुर्वेद के भवन के उद्घाटन के एक जमीन पड़ी थी, मुझसे तो सम्बन्ध नहीं, पर मेरे जितने भाइयों की जमीनें थीं उनमें से थी, उस पर जाकर आपने फरमाया कि अब मैं यहां आ गया हूँ । अब यहां किसी की तलवार बन्दूक नहीं चलेगी । कब्जा करो, डरो नहीं, जाकर कब्जा करो । किस को किस पर तलवार चलानी थी या बन्दूक चलानी थी, वह किसकी कहां जमीन कब्जे करनी है....

श्री चन्दनमल वैद : यह तो कुछ स्पष्ट नहीं कहते हैं ।

३.८ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति पदासीन)

श्री सभापति : आपका भाषण जारी है । आप कहिये ।

श्री मदनसिंह : तो मैं यह कह रहा था कि मिनिस्टर लोग वहां जिस कार्य के लिये जाते हैं वह कार्य नहीं करके दूसरे ही कार्य शुरू कर देते हैं । मैं समझता हूं कि इस ढंग से उनका व्यवहार हुआ और गांव भी फिर मुकाबला करने लग गया तो गांव ज्यादा हैं, मिनिस्टर कम हैं । इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये था और जिन मिनिस्टर महोदय के लिये कह रहा था वे श्री सारण हैं । स्टेज पर चढ़ कर यह कहा "आज कोई रजपूताई है जिन्दा तो मेरा आकर मुकाबला करे, मैं यह जमीन नहीं छोड़ूंगा । वह जमीन पट्टेशुदा है । आज भी पट्टेशुदा है यह तो मुकाबले की बात है, कर सकते हैं या नहीं; पर हमें उस वक्त दया जरूर आ जाती है; मिनिस्टर हैं, अच्छा नहीं रहेगा । इसलिये आज भी उनका कब्जा उस जमीन पर है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : आप जिनका कह रहे हैं वे डिप्टी मिनिस्टर हैं ।

श्री मदनसिंह : मैंने, सभापति महोदय,

(श्री मदनसिंह)

पहले ही कह दिया कि बद्रीप्रसादजी के नीचे बैठने वाले....

(हंसी)

ऐसा व्यवहार अगर मन्त्रीजी का रहा तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा व्यवहार नहीं है और उसमें अच्छी बात नहीं लगेगी। वहां एक और भी घटना यह हुई कि वहां हमारे एक वेटरनरी डॉक्टर हैं उनकी कुछ शिकायतें थीं। इसके लिए डेपुटेशन भी गया। उनके खिलाफ सबसे मोटी शिकायत यह थी कि गाव के जो जो सूअर होते हैं भंडसूअर जिनको कहते हैं उनके सब बच्चों को खा जाते हैं यह भंगियों की शिकायत थी।

(हंसी)

तो ये डॉक्टर गये हैं जानवरों को बचाने, पर हमारे सारे सूअर खा जाते हैं। उनकी यह भी शिकायत थी कि बाहर गांव में जब जाते हैं तो रजिस्टर में टूर पर गये हैं यह लिख देते हैं। यह शिकायत की। मिनिस्टर कन्सर्न्ड को भी शिकायत की। उस पर यह हुआ कि ट्रान्सफर हो जाना चाहिये; उनको ट्रान्सफर ऑर्डर दिया और हमारे वह मन्त्री महोदय, जो हमारे बद्रीप्रसादजी के नीचे बैठते हैं उनका टेलीफोन होता है और ट्रान्सफर कैन्सिल हो जाता है। ऊपर से ऑर्डर आता है कि सारण साहब की सिफारिश है उनको नहीं हटाया जावे! फिर वह कैंसिल हुआ। ऐसे करके आठ नौ बार ट्रान्सफर के लिये डिपार्टमेंट ने लिखा और आठ नौ बार ही श्रीसारण साहब ने टेलीफोन करके उसको रुकवाया ....

एक माननीय सदस्य : तब तो वे काफी इन्फ्लुन्शियल हैं?

श्री मदनसिंह : इन्फ्लुन्शियल तो हैं ही। मुझे उनसे डर नहीं है क्योंकि मैं तो अपनी गायें, भैंसे ऐसे बेढंगे आदमी के पास भेजता नहीं हूं जो मेरा कुछ बिगाड़ सकें। लेकिन ये लोग इस तरह से हस्तक्षेप करते हैं तो ४५ करोड़ तो क्या ८० करोड रुपये खर्च करके भी फायदा नहीं कर सकते। मिनिस्टरों का इस तरह का ढंग है। पक्षपात करके चाहे जैसा करलें ऐसे तो रुपयों का दुरुपयोग ही होगा। इसे मैं अच्छी परम्परा नहीं समझता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से से कहता हूं कि आपके नीचे बैठनेवाले जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उन पर कंट्रोल रखें। अगर वे गांवों में जाकर इस तरह का पक्षपात करते हैं तो यह अच्छी परम्परा नहीं होगी।

सभापति महोदय, मुझे चेयर से आदेश हो गया था कि मैं कुछ मिनिस्टरों और अन्य काण्डों के बारे में आज न कहूँ इसलिए मैं मजबूर हूं अन्यथा ऐसे ऐसे घोटाले होते हैं जो मिनिस्टरों की तरफ से नहीं होने चाहिये। यदि ये नहीं रुकेंगे तो मेरे लिये तो कोई बात नहीं है लेकिन गांवों में अगर किसी ने उनका जबाब दे दिया तो राजस्थान में गंदी मिसाल होगी कि मिनिस्टरों के साथ ऐसा वर्त्ताव करते हैं। ऐसे मिनिस्टरों की जरूरत है तो उनको घर बैठे तनख्वाह दे सकते हैं। ऐसे मिनिस्टर है जो कभी कहते हैं कि हम नेहरूजी के नीचे बैठते हैं हमारा स्वागत करो नहीं तो दांता में अस्पताल नहीं खोलेंगे। ऐसे लोगों के हाथ से बजट बनता है तो कौन विश्वास करेगा? लोग सोचेंगे कि आखिर किसके

(श्री मदनसिंह)

हाथ से बजट बना है, कौन रुपये खर्च करेगा ? जिनके हाथ में बागडोर है, ऐसे लोगों के हाथ में इतने रुपये हैं तो ईश्वर ही मालिक है। मैंने मामूली सी मिसालें दी हैं, गवर्नमेंट की निशानी है।

मैं वयोवृद्ध वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत जबर्दस्त राहत दी है काश्तकारों को। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स पर विचार करके उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जिन पर लग रहा है उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो ठीक है सूखा सा धन्यवाद है। हमने दिया आपने लिया, क्योंकि सीलिंग पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स नहीं लगेगा लेकिन काश्तकारों को परेशानी थी। मैंने पिछले सेशन में भी कहा था तब राजस्व मन्त्रीजी ने फरमाया था कि दिक्कत है लेकिन वह इतनी बड़ी दिक्कत है कि काश्तकार लोग अकाउन्ट नहीं रख सकते और नियम यह है कि अगर ठीक ढंग से अकाउन्ट नहीं रखा जाय तो गवर्नमेंट उचित समझे वही कर लगा दिया जाय। यहां पर किसी माननीय सदस्य ने बताया था कि कम लोगों पर इसका असर पड़ता है लेकिन सारे काश्तकार इसके नीचे आ गये, सबको नोटिस सर्व हो गया; राजस्थान में इतने ज्यादा केसेज़ हैं जिन पर वित्त मन्त्रीजी को विचार करना पड़ेगा कि उनको किस प्रकार तसल्ली दी जाय, कैसे हो सकता है ? इसलिए जितने केसेज़ हैं, पेन्डिग हैं उनके लिये स्पेशल कमेटी बैठा कर उनका क्या हो सके, उस पर विचार करें तो रिलीफ मिलेगी, नहीं तो एक वर्ष आप कानून बनायेंगे, दूसरे वर्ष उसमें तरमीम करेंगे और ६४-६५ में माफ कर देंगे और कहेंगे कि माफ कर दिया। इसलिए माफ करने का जो फायदा हो सकता उसका लोगों पर उतना असर नहीं होगा। इस चीज के लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं कि समाप्त कर दिया लेकिन ठीक ढंग से व्यवस्था बैठाई जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह (बैर) : Mr. Chairman, Sir, one thing that strikes me in this Budget, Sir, is an appeal of the Finance Minister for more sacrifices. Sacrifices of the people made during the last decade unfortunately have not been appreciated. It seems that the people will have to wait for many more years. If there would have been control on the huge wastage of expenditure then I am sure that the deficit which is visualised this year of 74.26 lakhs could easily be covered and no new taxes would have been necessary. What is the nature of the new taxes, Sir ? A surcharge has to be levied on the Land Revenue which is expected to yield 10 lakhs, slight change in the Excise rates to yield 7 lakhs, Stamps and court Fees to yield 3 lakhs, Sales Tax to yield 45 lakhs. This Sales Tax. Sir, is broken out into several taxes. Simplification of the rate structure of Sales Tax is to yield 35 lakhs, adoption of Metric system in petrol to yield 4 lakhs. This is in addition to the new taxes which may be levied by the Central Government over the people of Rajasthan. The majority of the masses, Sir, who have to bear, are the agriculturists. Therefore, I

(राजा श्री मानसिंह)

again term that this Budget is anti-agriculturist. The declaration of the Finance Minister, Sir, to abolish the Agricultural Income Tax is no relief. Our income from the Agricultural Income Tax was about 3 lakhs only. This was from the people whose number was not very large. But in view of this. the Government wishes to levy a new surcharge on land revenue which wile ffect indiscriminately the majority of the agriculturists to yield a further income of rupees seven lakhs. To realise taxes, Sir, in the words of the Finance Minister the assessees are put to considerable hardship and harrassment. But what is the guarantee that there will not be any harrasment to the masses now?

On the point of Decentralisation on which we have already discussed quite enough in this House, I should lik e to say that the standard of efficiency which is visualised is at to how many more taxes the Panchayat Samitis can levy on the people. Poor people do not know how many taxes they have to pay. But they have to pay, so that the desciples of Mahatmaji may rule on Lakshmi. There is no major development work, which is ever completed without vast embezzlement, and the accused are never punished. This has now become a national characteristic. This is the enviable progress of which my friends are proud. I am sure, if we are able to stop the huge wastage and control the expenditure then some development work can be carried out without levying now taxes.

In the Head G.A.D. there is an expenditure increase of about 34 lakhs over the expenditure of 58-59. Another example,Sir,of budgetted wastage is an increase under the Head 'Ministers'. On an item of telephone charges for an increase of 2.5 Ministers, there is a budgetted increase of 75 thousand rupees. Apart from such budgetted wastage, Sir, there were many unbudgetted expenditure which are thrust on the people. The inauguration of Decentralisation at Nagaur where about 3 lakhs rupees were spent on constructing a new Aerodrome and remodelling a Circuit House so that a prominent desciple of Gandhiji could meet the poor peasants of Rajasthan in rich circumstancs. I would like to know, Sir, what is the actual expenditure that the Government has incurred on this occasion including the T. A. and D. A. The only excuse is given, Sir, that that occasion was of national importance. I would like to know whether the inauguration of Chambal Project which is to take place on the 15 th of this month has to be treated of the same importance? In fact the Congress creates these occasions to use the influence of the Prime Minister to get votes for their party.

Another budgetted expenditure that is thrust by the Government is of holding the Cabinet Meetings in Districts. The expenditure in no way benefits the

(राजा श्री मानसिंह)

rural masses. The majority of the time of the Cabinet Ministers in the Districts goes in meeting the party organisation where their own matters are discussed and where haphazard opinions are expressed against the Officers. This is all in preparation, Sir, to the coming General Elections. The people will have to pay more taxes to strengthen the party through the Government.

We have a loss of Rs. 100 lakhs on account of Grain Trading Scheme in the past year which is a great setback. No explanation has been given why this loss should occur. The Government purchased this grain by hook or crook, stored under the supervision of the experts and disposed it at the higher rates, then where is the margin for loss ? In any case that scheme was not designed to suffer loss. No mention has been given about the wastage of private property. But I would like to say, Sir, that 2 crores 91 lakhs, 36 thousand 12 rupees and 4 pies are involved. What is the income of this Investment, Sir ? What is being done to recover this amount ? How much money is being invested ? These are some questions for which we would like to have an answer.

Sometime ago we passed a Ceiling Bill to take more land and to distribute the surplus land. Then the policy to maintain the huge farm at Suratgarh is against this policy. I understand Sir that the Government have offered land to the Centre to create farm at Suratgarh.

In addition to this, Sir, we were told in the address of the Hon'ble Governor that 232 Panchayat Samitis are reported to have their own agriculture farms. We are now told by the Hon'ble Finance Minister that the Government wishes to create 41 farms of 100 acres each by the end of the year 1960-61. What is the meaning of this, Sir ? It means one of the two things. It means that either the State has ample surplus agricultural land in which to create such farms, in which case there was no need for ceiling, or it means that the Government no longer wishes to distribute the land to the landless. Obviously, the policy of the Government should be that if the money and machinery are available-which are-to develop the under-developed agricultural land and then to distribute to agricultural farms irrespective of the fact whether they want to join Co-operative collective Farms or not.

The Congress, Sir, have succeeded in dividing the people according to Rural and urban Economy. They are following the same old policy of 'Divide and Rule'. If this is not the case, they must have the courage of their conviction to apply ceilings on industrial and urban incomes also. By saying so, Sir, I do not mean that I agree with this policy of ceilings., I

(राजा श्री मानसिंह)

am only suggesting a rope by which the Congressmen may hang themselves.

I would like to mention a few words about the abolition of Central Working Shop at Bharatpur. The position of this workshop is, Sir, that before merger of the State, vehicles were maintained in this workshop. After merger, it was handed over to the Agricultur Department. This workshop does some work of the Agriculture Department, but most of the work is undertaken for repairs of vehicles belonging to other Departments. I have tried to find out the reasons for abolition cf this work shop. The Agriculture Department says that since very little of their work is done at the workshop and since they are creating a new work shop at Jaipur, there is no need of having a workshop in Bharatpur. I agree. But there are many vehicles belonging to G. A. D. in the District Pool to Medical Department, Development Department, Police, Jails, Education, Forests and Animal Husbandry in the District. Where the vehicles of all these Departments will be serviced ? The District Headquarters is 120 miles from Jaipur. So all the vehicles which require repairs will be carried a distance of 120 miles, which itself must inlve a lot of expenditure for repairs at Jaipur. The Government should find a solution to this and hand over this workshop to any Department at Bharatpur so that the the vehicles of Government within that area can be serviced there.

Finally, Sir, I would like to say a few words which regardto the Forest Department. Under the Forest Department we have established a National Park and several Game Sanctuaries throughout the State. One such sanctuary is at Bharatpur called as Ghana Bird Sanctuary. This sanctuary is advertised throughout the world to entice the tourists and Bird lovers, to Rajasthan...

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : To 'attract' tourists, not to 'entice' tourists.

राजा श्री मानसिंह : In pre-merger days, this area was reserved for shooting. Since merger, this area was declared sanctuary, but unfortunately un-limited shooting still takes place there. The Central Government have sanctioned certain amounts for the development of this sanctuary. So, Sir, my plea is that when this area has been declared sanctuary, all shooting should be stopped or it should be declared as a reserve and no public funds should be spent in improving it.

Finally, Sir, I appeal to the Government to forego this Surcharge on the land reveuue. If the figures of the Hon'ble Finance Minister are correct, we shall have a surplus budget of 15.74 lakhs. So, if heforgoes

(राजा श्री मानसिंह)

this curcharge on land revenue, which is expected to yield about 10 lakhs, then we shall still have a surplus budget of 5.74 lakhs.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और जिस ढंग का बजट माननीय वित्त मन्त्रीजी ने पेश किया है मैं उन्हें मुबारिकबाद देता हूं। सभापति महोदय, बजट के महत्व को आंकते समय आंकड़ों का विश्लेषण करना उचित नहीं होगा और बजट को केवल इस दृष्टि से देखना कि यह बजट लाभ में है या घाटे में है, यह भी उचित नहीं होगा। बजट को देखते हुए दो बातों का उल्लेख करना होगा, पहला यह कि वह कितने साधन उपलब्ध कराता है और समाज पर उसका क्या असर पड़ता है ? इन दोनों दृष्टिकोणों से देखें तो यह बजट दोनों को अपनाता है। समाजवादी सिद्धान्त हमने अपनाया है, उस पर भी यह बजट आधारित है।

कुछ वर्षों पहले हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। गत कुछ वर्षों में जो आर्थिक स्थिति में स्टेबिलिटी आई है उसके लिये वित्त मंत्रीजी का स्वागत करना चाहिये। जैसा कि उन्होंने कहा है, "सेल्फ कन्टेन्ट, सेल्फ प्रोपेलिंग बजट है" : इसके बारे में माननीय सदस्यों की दो राय नहीं हो सकती।

हमारा यह बजट एक्सपेन्डिंग इकोनोमी का है, ५७-५८ में केपिटल लैंड रेवेन्यू है ३८ करोड़, ५८-५९ में है ५२ करोड़, ५९-६० में है ६४ करोड़ और ६०-६१ में है ७२ करोड़। तो ५७-५८ में जो हमारी लैंड रेवेन्यू केपिटल थी उससे ६०-६१ में डबल हुई है।

पब्लिक युटिलिटी और वेलफेअर डिपार्टमेंट्स के लिये ५१-५२ में जहां ७ करोड़ रुपया खर्च किया गया है वहां ६०-६१ में ४८ करोड़ से ऊपर पहुंचता है और इस तरह समाज कल्याण के कार्यों में कम से कम ७ गुना अधिक खर्चा रखा है। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा खर्चा जो हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में सरकार खर्च कर रही है, हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में सरकार प्रयत्न कर रही है, उसके लिये हम इसकी प्रशंसा करते हैं। पहले के बजटों में जो बजट एस्टिमेट्स होते थे और जो एक्च्युअल एक्सपेन्डीचर होता था उनमें बड़ा अन्तर रहता था पर अब हम वह फर्क नहीं देखते। इस बजट का मुख्य मुद्दा है, वह यह है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना का यह अन्तिम वर्ष है, यह सही है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में जो रकम दी गई थी, उसको कम खर्च कर सके पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १०५ करोड़ स्वीकृत धन-राशि में से १०१ करोड़ के करीब हम खर्च कर चुके हैं, इस हिसाब से ९६ प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। दूसरे बजटों के आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि पहले हमारे पांच करोड़ के साधन रखे थे पर अब धीरे धीरे १३ करोड़ रु० के साधन उपलब्ध किये गये हैं और प्लानिंग कमीशन इससे खुश हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपया अधिक दिया है। यह जरूर है कि अतिरिक्त आय जो ८८

Page No.86

(श्री सोहनलाल भटनागर)

लाख की रखी थी उसमें से बेटरमेंट लेवी और कृषि आय-कर से हमें आमदनी नहीं हुई पर पेसेंजर्स टैक्स से ३० लाख प्राप्त करने का हमारा टार्गेट था....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम नहीं है ।

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री सोहनलाल भटनागर : हां, तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बेटरमेंट लेवी में और सिंचाई की दरों में हमें प्राप्ति नहीं हुई, पर पेसेंजर्स टैक्स का ३० लाख रुपये का एस्टीमेट था उसमें ५३ लाख की रकम प्राप्त कर सके हैं । अब देखना यह है कि सिंचाई की दरें और बैटरमेंट लेवी जिनके बारे में प्रतिवर्ष कहा जाता है कि प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसके कारण क्या हैं ? ये दोनों किसानों से सम्बन्ध रखने वाले हैं । इसमें जो बोटल नेक्स हैं, किसानों को दिक्कतें हैं, उनको देखते हुए लगाना चाहिये । इस लिये सरकार से निवेदन है कि जिन कारणों से किसान एतराज करते हैं उन कारणों को मिटाने की कोशिश की जाय ।

गत वर्ष बजट में इकोनोमिक कट की बातों में ४० लाख रुपया रखा था, गत वर्ष के बजट में ३० लाख की बचत का रखा था पर वह इकोनोमी नहीं कर सके । इस पर विचार करना है कि प्रतिवर्ष शासन के खर्चे में कमी करना, इकोनोमी करना चाहते हैं पर वह कर नहीं पा रहे हैं । इसलिये जैसा कि बजट में बताया गया है तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में कमी की जायगी पर साथ ही साथ बड़ी बड़ी पोस्टों का क्रियेशन होता है, तो दूसरे भी इस तरह के कई बोटल नेक्स हैं, उन कठिनाइयों को दूर करेंगे तभी इकोनोमी कर सकेंगे ।

तीसरी मुख्य बात इस बजट में अतिरिक्त करों की है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में कोई विशेष कर मैं नहीं देखता कि जिनसे लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर अधिक भार पड़े, पर जो किसानों का नाम लेकर सरचार्ज की बात की जा रही है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं भी इस पर एतराज करता परन्तु कल लैंड रेवेन्यू सरचार्ज का बिल सर्कुलेट हुआ था उसमें देखते हैं कि जो ५० रुपया तक का लैंड रेवेन्यू देता है वह इससे मुस्तस्ना रहेगा । इससे ऊपर जो देता है, उसके ऊपर ही सरचार्ज कर लगेगा, यह समाजवादी समाज की स्थिति को बताता है कि जो देने की स्थिति में हैं वही दे । यह राजस्थान में हम पहली चीज देखते हैं ।

कोई फाइनेन्शियल कमीशन और टैक्सेशन कमीशन बैठे तो विदित होगा कि गत पांच वर्षों में काश्तकारों को काफी आमदनी हुई है और किसानों की टैक्सेशन केपिसिटी बढ़ी है और लैंड रेवेन्यू की दरें वही हैं । मैं यह नहीं कहता कि लैंड रेवेन्यू एक दम बढ़ा दिया जावे । आपने जो ५० रुपयों का रखा है अगर हम इस हिसाब को देखें तो मैं यह कहूंगा कि जो लोग कम से कम चाही लगान देते हैं वे कम से कम १।३ गिने जावेंगे । इस सिद्धान्त को देखें तो जिन लोगों के पास २५ या ३० बीघा जमीन होगी उनको यह टैक्स देना होगा । तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां बड़े होल्डिंग्ज़

(श्री सोहनलाल भटनागर)

की संख्या, अगर हम सीलिंग को देखें तो बहुत कम है । इसलिये हमारी आर्थिक योजना को बढ़ाने के लिये जो टैक्स है वह उचित है और नीचे से नीचे लोगों को लाभ इससे मिलता है, उनको भागीदार बनाया जावे । इसलिये मेरे ख्याल से यह ठीक है ।

एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को हटाने की बात का जहां तक प्रश्न है मैं इस मत का हूं कि इसको नहीं हटाया जाना चाहिये क्योंकि यह टैक्स equitable आधार पर है । अगर हम फाइनेन्शिल एनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो मालूम होगा कि लैंड रेवेन्यू के जो सिस्टम बताये गये हैं वह ऐसे सिस्टम से सबस्टीट्यूट करना चाहिये जो आमदनी और आर्थिक स्थिति पर आधारित हो । इससे भले ही दूसरे लोग खुश हों और खुशियां मनावें, लेकिन मैं यह कहूंगा कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स कभी भी छोटे लोगों पर लागू नहीं होता । इसलिये मैं, सरकार ने जो कदम उठाया है, उसके लिये यही कहूंगा कि यह उचित कदम नहीं है और मैं इसको उचित नहीं समझता । एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को समाप्त किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है ।

दूसरी बात सेल्स टैक्स के बारे में, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कहा गया है कि ४५ लाख की आय होगी । ८ के बजाय ४ केटेगरीज़ की जा रही है । मेरे ख्याल से यह इन्डाइरेक्ट टैक्स है और जब हमने इन्टर स्टेट कर को माफ किया था और उसके बजाय सेल्स टैक्स लगाया था वह उस समय की इन्टर स्टेट ड्यूटीज़ की दरों से कम है और अब भी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं । इस दृष्टिकोण से इससे भी कोई अधिक भार नहीं होने वाला है ।

दूसरी बात स्टाम्प एक्ट और कोर्ट फीस के सम्बंध में कहना चाहता हूं । जब कभी बजट हमारे सामने आता है उसमें कोर्ट फीस एन्ड स्टाम्प एक्ट में वृद्धि की जाती है । इससे लोगों को न्याय मंहगा मिलता है । मैं यह कहूंगा कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहां पर लोगों को सस्ता इन्साफ देने के लिये कोर्ट फीस और स्टाम्प की दरें हैं वे बहुत कम हैं । मगर जब हमारे यहां पर बजट पेश होता है तो हमेशा इसमें वृद्धि की जाती है और इससे लोगों को न्याय मंहगा मिलता है ।

अब मैं, माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि ५ प्रतिशत मिनिस्टीरीयल स्टाफ और १० प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी में कमी करने की बात कही गई है, मगर हमें इस बात की खुशी है कि एग्ज़िस्टिंग स्टाफ है उसको कम नहीं किया जावेगा मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे लोगों में किसी प्रकार की भावना पैदा करना है तो जितने ऊंचे-ऊंचे पद हैं उनको बनाने की भावना को समाप्त किया जावे । आज हमारे यहां और खास तौर से निर्माण विभाग में कई तरह के इंजीनियरों को, जो काबिल नहीं हैं और एस. डी. ओज़. जो भी नहीं बन सकते हैं उनको एग्ज़ीक्युटिव इंजीनियर बना देते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि कार्य के स्तर में गिरावट आती है । इसलिये यह जरूरी होता है कि नीचे वालों को तो कम करना चाहते हैं और अगर आप ऊपर वालों के नये नये पद बढ़ाते ही जावें, जैसे कि हम आज आई. ए. एस. के पदों को देखें

Page No.88

(श्री मोहनलाल भटनागर)

तो हमें मालूम होता है कि वे हर वर्ष द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ते ही जाते हैं। बी. डी. ओ. तहसीलदार के केडर के नीचे की तनख्वाह वाले उनकी जगह R. A. S. केडर को मुकर्रर कर रहे हैं। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर हम राजस्थान में लोगों में विश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं तो एडहोक या और कोई कट करें उसके बजाय ऊंचे पदों में किसी प्रकार का नया प्रावधान नहीं करें और उसमें कट करें तो ज्यादा उचित होगा।

दूसरी बात पब्लिक डेट के बारे में है। यह कहा जाता है कि वह ६६ करोड़ तक पहुँचता है। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि प्रति वर्ष इस डेट के चुकारे का प्रोविजन बजट में कर रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि कर्जे के कारण निराशा की भावना उत्पन्न होती जा रही है। मैं यह कहूंगा कि यदि हम योजनाओं को सफल बनाने की बातें करते हैं तो हमें उनको पूरा करने के लिये कर्ज लेना होगा और भारत सरकार अरबों रुपये इसके लिये लोन ले रही। मैं यह कहूँगा कि इसके साथ साथ असेस भी बनते जा रहे हैं। चम्बल, भाखरा आदि की योजना है। यह योजना सफल होने पर कई वर्षों में लाखों रुपयों की आय देने वाली है। तो यह कर्जा जो हम ले रहे हैं वह हमारे पर रहने वाला नहीं है। यह तो हमारे लिये असेस के रूप में होगा।

दूसरी बात प्रोडक्शन के बारे में कही गई है। मैं उन बातों को फिर से यहां पर दोहराना नहीं चाहता, जो मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण में कही हैं। मुझे एक बात का दुःख है कि कपड़े और शक्कर के बारे में हमारे जो टार्गेट थे उसमें कमी हुई है। हमने केवल सीमेन्ट के उत्पादन में ही वृद्धि की है, मगर कपड़े और शक्कर के कारखानों में जो पुराने चले आ रहे हैं उनमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। अगर हमें इन्डस्ट्रियलाइजेशन करना है और उनकी बातें करते हैं तो यह दो मुख्य चीजें हैं वस्त्र और शक्कर, जो हमारे मुख्य सामान हैं, उनमें यदि गिरावट हो तो हम नहीं कह सकते कि हम इन्डस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। हमें इस पर सोचना होगा कि हमारी इसमें क्या रूकावटें हैं? हमारे कपड़े की मिलें बन्द हैं। उसकी ओर इशारा किया गया है। यदि हजारों मजदूरों को मजदूरी देना है और इस व्यवसाय को बढ़ाना है तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना होगा और उनको सहायता दी जावे और इस व्यवसाय को बढ़ाया जावे।

दूसरी बात बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्षेत्रीय भावना को बताते हुए क्षेत्रीय भावना बताई कि उदयपुर में इतना रुपया खर्च किया गया और बीकानेर में इतना कम। माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़ों के जाल में पड़ना नहीं चाहता। मगर यह कहना चाहता हूं कि अलग अलग जगहों की अलग अलग परिस्थितियें होती हैं और अलग अलग मौके हुआ करते हैं। तो बीकानेर की आबादी कम है। इसके अलावा वहां पर माइनर इर्रिगेशन के साधन कम हैं। इसके अलावा हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना है कि जो इलाका सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाना है। इसलिये जो लोग पीछे रहते हैं उनके लिये अगर कोई ज्यादा खर्च कर दिया जाता है तो कोई एतराज नहीं होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जहां पर जैसा मौका होता है वहां

(श्री मोहनलाल भटनागर)

पर उसके अनुसार खर्च होता है । राजस्थान केनाल में बीकानेर में खर्चा किया जावेगा और जोधपुर में भी खर्चा किया जावेगा।

(गणपूरक घंटी के पश्चात पुनः)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां जैसी स्थिति होती है उसको देखते हुए खर्चा किया जाता है । आज बीकानेर में मेडिकल कॉलेज या राजस्थान केनाल बना है तो हमें इसके लिये एक प्रकार से गर्व होना चाहिये कि यह जो कुछ खर्च हो रहा है वह राजस्थान के एक हिस्से में हो रहा है । हमें इस दृष्टिकोण से अपनी भावना रखनी चाहिये। यह जो बजट है, इसमें जो मद है हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिये १॥ करोड़, वह मेरे खयाल से बहुत ही प्रशंसनीय है।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसी कॉन्स्टिटुएन्सी से हूं जो कि बिल्कुल पंजाब से लगी हुई है और उसके पास पंजाब के जिले महेन्द्रगढ़ और हिसार हैं । साथ ही मेरा क्षेत्र पंजाब और राजस्थान दोनों को मिलाता है। विशेष तौर से ऐसी बातें वहां देखी जाती हैं कि जब किन्हीं दो व्यक्तियों में कम्पीटीशन हो या पंजाब और राजस्थान का कम्पीटीशन हो, तो ऐसी सूरत में पंजाब सरकार ने जो अपने क्षेत्र में विकास के कार्य किये हैं और जो राजस्थान सरकार ने मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य किये हैं उनमें बड़ा फर्क है । मैं जिस कॉन्स्टिटुएन्सी से आया हूं वहां पर राजस्थान सरकार की तरफ से कोई तवज्जोह नहीं दी जा रही है और कोई विकास का कार्य-सड़क या दूसरे कार्य जो भी हैं वे नहीं हो पा रहे हैं। इससे यह देखा जाता है कि हमारी सरकार किस प्रकार प्रगति कर रही है और पंजाब सरकार किस प्रकार प्रगति कर रही है। अभी असेम्बली में राज्यपाल महोदय भाषण देने आये थे तो हमने देखा कि कितनी सजावट हुई, ऐसे ही गवर्नमेंट होस्टल में जब कोई केन्द्र से मंत्री आता है या कोई और बात होती है तो विशेष सजावट की जाती है और जब वह चले जाते हैं तो वह सजावट नहीं रहती और साधारण स्थिति में सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह से राजस्थान में बहुत से टूरिस्ट्स स्थान हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया गया है ताकि कोई फॉरेन से टूरिस्ट आये तो देख सके कि कहां क्या हो रहा है। जैसे रूस से पहले खुश्चेव और बुलगेनिन आये और उनको सभी स्थान दिखाये गये, ऐसे ही आइज़नआवर आए और उन्हें हिन्दुस्तान के सभी विकास के कार्य दिखाये गए। ऐसे ही खेतड़ी कॉन्स्टिटुएन्सी राजस्थान और पंजाब से मिलती है वहां कोई भी काम राजस्थान सरकार की तरफ से होते हैं, वे सबसे बड़े काम माने जाते हैं । वह एक ऐसा प्रान्त है जहां इस तरह का जिला हो और वहां कोई काम नहीं हो तो वह राजस्थान के लिए दुख की बात है और राजस्थान में जितने विकास के कार्य हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से बाहर से आने वाले देख नहीं पाते हैं। पंजाब के गांव वाले यही कहते हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है । इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि खेतड़ी कॉन्स्टिटुएन्सी करीब १२० मील लम्बी है और वहां एक सड़क के अलावा और कोई सड़क नहीं है और वह सड़क भी....

श्रीमती सतवंत कौर (करणपुर) : तीन सड़कें बनी हैं ।

श्री शीशराम ओला : नहीं हैं ?

श्रीमती सतवंत कौर : अब की बार बजट में है, देख लीजिए ।

श्री शीशराम ओला : मैं तो यह बता रहा हूं सिर्फ एक सड़क है और वह भी खेतड़ी रियासत की पहले की है, नीम का थाना से चिड़ावा को और यह खेतड़ी ठिकाने से पहले थी । अब खेतड़ी में, जैसा अभी एक माननीय सदस्य श्री घासीराम ने बताया था कि पंजाब में सड़कें हैं, बिजली है और भी दूसरे कार्य हैं और राजस्थान में पंजाब से आने वाला जो दाखिल होता है तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि वह राजस्थान में दाखिल हुआ है या नहीं, उसको अंधेरा नजर आ जाता है तो मालूम हो जाता है कि राजस्थान आ गया है और झुन्झुनू जिला ऐसा जिला है कि जिसको राजस्थान का त्रावनकोर कोचीन कह दें तो कोई गलती नहीं होगी । वहां का हर किसान, हर आदमी, हर मजदूर यह मानता है कि हम पोलिटिकली राजस्थान मे बहुत आगे हैं । वे सारी बातें समझते हैं । वे दिन में खेत पर काम करके रात को बातें करते हैं कि हमारे यहां क्या काम हो रहे हैं और हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है । इस तरह से मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय से कि वह खेतड़ी के लिए जहां दो स्टेटों की सीमा मिलती है वहां विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए और सड़कों की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ।

दूसरा, मेरा कहना यह था कि खेतड़ी एक ऐसी जगह है कि जहां सिंचाई के लिए बांध आदि बनाने का बहुत भारी स्कोप है, वहां बहुत से बांध बांधे जा सकते हैं और उनके द्वारा बहुत सी जमीन में सिंचाई हो सकती है । वहां की जमीन बहुत फरटाइल है । अगर वहां पर एक बार ही बारिश हो जाती है तो उससे धनिया तक पैदा हो जाता है और जमीन वहां की बहुत उपजाऊ है । अगर वहां कोई बांध बांध दिया जाये तो अच्छा है । यदि पानी रोका जाये और बांध बांधा जाये तो हमारी अन्न की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है । मैं तो यह भी कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाये तो गंगानगर के बाद दूसरा नम्बर खेतड़ी का हो सकता है, यदि पानी की व्यवस्था हो जाये ।

तीसरी बात मुझे स्त्री-शिक्षा के बारे में कहनी है । अभी सुमित्राजी ने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी मुख्य मंत्री जी आश्वासन दे आये थे कि १५-२० लड़कियां हों तो वहां स्कूल खोल सकते हैं । वह तो ठीक है, लेकिन झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट में यह स्थिति है कि झुंझुनूं जिला ऐसा है कि जहां देहाती लड़कियां एम० ए० तक हैं, जैसे उदाहरण के लिये सुमित्राजी हैं । दूसरे जिले ऐसे नहीं होंगे जहां किसानों के घर में जन्म लेने वाली लड़की एम० ए० हो । मेरा मतलब है कि झुंझुनूं जिले में लड़कियों की तरफ विशेष रुचि रहती है । इसके लिए आज तक गवर्नमेन्ट हाई स्कूल हमारे खेतड़ी में नहीं है, ठीक है, बिड़लाजी की है या किसी भी सेठ ने बनवाई हो, लेकिन गवर्नमेन्ट ने स्त्री शिक्षा के लिए झुंझुनूं में कुछ भी नहीं किया । इसलिये मैं कहता हूं कि वहां तत्काल ही लड़कियों के लिए हाई स्कूल

(श्री शीशराम ओला)

बनाना चाहिये । मैं आपको बताऊं कि हाई स्कूल के लिये वहां मकान भी मिल सकता है और साथ ही वहां की जनता कन्ट्रीब्यूशन के लिये भी तैयार है । सुमित्राजी ने ५० पर्सेंट के लिए कहा, बहुत अच्छा सुझाव था लेकिन इसके लिए गवर्नमेन्ट मजबूर है तो इसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है । हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि वहां मकान तैयार है ! हम लोग तो सब तरह से तैयार हैं । सिर्फ वहां स्त्री-शिक्षा के लिये हाई स्कूल सरकार की तरफ से नहीं है, इसलिये जहां डिमाण्ड हो वहां स्कूल खोले जायें ।

चौथी बात मेरी यह है कि झुंझुनूं जिला में कोई कॉलेज सरकार की तरफ से नहीं है । ठीक है, पिलानी में है, मुकन्दगढ़ में है. दूसरे सेठों के इन्स्टीट्यूशन्स हैं लेकिन कोई गवर्नमेन्ट कॉलेज नहीं है । खेतड़ी एक ऐसा स्थान है कि जहां कि एक हाई स्कूल है और उसके इर्द-गिर्द बिवाई, गोरुआ आदि तीन-चार जगहों पर हायर सेकन्डरी स्कूल है, पर खेतड़ी में अभी तक हाई स्कूल है उसको हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं बनाया गया है और २५ मील के एरिया में कोई प्राईवेट या गवर्नमेन्ट कॉलेज नहीं है, जो विद्यार्थी वहां से हाई स्कूल पास करके जाते हैं उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिये खेतड़ी में कॉलेज खुलना बहुत जरूरी है ।

अब मैं इर्रिगेशन को लेता हूं । ट्यूब वैल सारे ही झुंझुनूं जिले में हैं । पानी का सर्वे किया गया था तो सुमित्रा जी ने बताया कि तीन ट्यूब वैल के लिए एक्सपेरीमेन्ट हुआ था, एक तो चिड़ावा में दूसरा पिलानी में है और तीसरा एक कहीं और है । पिलानी का ट्यूब वैल बहुत अच्छी मात्रा में पानी दे रहा है । उसमें इतना पानी है कि उस पानी से बहुत तादाद में सिंचाई हो सकती है और वह पानी खत्म होने वाला नहीं है । वहां पानी अच्छी तादाद में है और वहां की सारी जमीन कम्पेरेटिवली दूसरी जगह से अच्छी है । इसलिये वहां ट्यूब वैल का प्रबंध हो जाये तो झुंझुनूं जिले की सिंचाई की जो कठिनाई है वह दूर हो सकती है और वहां के किसान बड़े समझदार और बुद्धिमान हैं और जो आज गवर्नमेन्ट स्कीम्स पर इतनी बड़ी राशि खर्च कर रही है वह सारी स्कीमें झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट की हालत बदल सकती है, अगर राजस्थान सरकार चाहे तो, इस तरह से समझदार किसान झुंझुनूं जिले में बसते हैं ! अगर वहां पानी का प्रबन्ध हो जाय तो वह जिला राजस्थान के सामने एग्ज़ाम्पल रख सकता है और वहां इस तरह से अच्छे ढंग से खेती हो सकती है । बिजली के बारे में भी सुमित्राजी ने कहा....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप उनका नाम कितनी बार लेंगे ?

श्री शीशराम : उसमें क्या एतराज है ?

श्री सभापति : आप उनके क्षेत्र का नाम लें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री शीशराम : तो मेरे कहने मतलब यह है कि चार मील के एरिया तक के जो गांव हैं उनको बिजली मिल जाय तो बहुत

Page No.92

(श्री शीशराम)

ठीक रहेगा क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जो बिजली लेना चाहते हैं, वे उससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। केवल सड़कों पर पड़ने वाले गांवों को ही बिजली न देकर तीन-चार मील के एरिया में जो भी गांव हों उनको बिजली देने का निर्धारित कर दें तो ज्यादा उचित होगा। यह भी मिल कैसे जाय ? बिजली के लिये तो हम हर साल चिल्लाते रहते हैं और आश्वासन भी दिया जाता है कि इस २६ जनवरी को आ जायगी, लेकिन दूसरा प्लान खत्म होने आया है अभी तक बिजली आने के आसार दिखाई नहीं देते हैं। पिलानी में बिजली है लेकिन उसका सरकार का कोई एहसान नहीं है, वह तो बिड़लाजी का खुद का कन्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिस लाइन को बिजली राजगढ़ से मिल रही है उसके लिये सरकार को बधाई दें, ऐसी बात नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने झुंझुनूं जिले में बिजली देने के लिये क्या कुछ किया है ?

अब, लैन्ड रेवेन्यू पर जो सरचार्ज टैक्स लगाया है वह बिल्कुल अटपटा सा है और वह गलत तरीका है। यह तो ठीक है कि टैक्स तो लगेगा ही जब कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले समितियां बनीं थी, जिला परिषद् बनी, एक टैक्स लगाया वह किसानों पर लगा। उसको आप सेल्स टैक्स के रूप में समझ लीजिये लेकिन यह जो है झुंझुनूं जिला एक ऐसा जिला है जिसमें लगान वन थर्ड था वहां बन्दोबस्त हुआ उसके अनुसार जो कुछ भी काश्तकारों के खेतों में पैदा होता था उसके अनुसार अब छठा हिस्सा देना पड़ता है। डबल तो वहां पहले से ही है और इस तरह से हर साल आप कुछ न कुछ टैक्स बढ़ाते जाते हैं, वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जब कि वहां पर पहले से ही ज्यादा है। इधर हमारी सरकार ने भूमि को सुधारने के लिए किसानों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी है या फिर ज्यादा अन्न पैदा करने के तरीके अपनाये हों। खेत वही, बैल वही, जमीन वही है परन्तु आदमी ज़रूर बढ़ गये हैं, लेकिन उस खेती के लिये पानी और बिजली का प्रबन्ध नहीं किया, टैक्सेज वे नहीं और ज्यादा बढ़ गये हैं। मैं तो आज मजदूर और किसान में फर्क नहीं मानता। मजदूर को तो यह श्योरिटी है कि डेढ़ रुपया, दो रुपया जो भी कुछ उसकी मजदूरी है, वह तो मिल ही जायगी लेकिन किसानों को श्योरिटी नहीं। आज जयपुर में जो पांवर हाउस है अगर वह खराब हो जाता है और बिजली बन्द हो जाती है तो यहां के लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि केरोसिन का प्रबन्ध नहीं रखते, उसी प्रकार किसान वर्षा पर आधारित रहता है अगर बरसात नहीं होती है तो उसके लिये अन्धेरा ही अन्धेरा है। वह खाने के लिये अनाज पैदा नहीं कर सकता, उधर मजदूर तो जो रुपया डेढ़ रुपया कमाता है उसको उतने की तो श्योरिटी रहती है वह मजे से खाना खा लेता है लेकिन यह किसान के लिये नहीं, अगर वर्षा नहीं होती है तो वह भूखा रह जाता है, आज किसान को मैं मजदूर से भी ज्यादा गरीब मानता हूं और किसान पर आये दिन टैक्स लगाये जा रहे हैं जो उचित नहीं है। जिनके घर पर मोटर है उन मोटर रखने वालों पर अधिक टैक्स लगाइये लेकिन

(श्री शीशराम ओला)

इस तरह का टैक्स किसानों पर लगाना उचित नहीं है । आज झुंझुनू जिले का करीब ३८ हज़ार का लगान होता है उनमें से पांच प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो पचास प्रतिशत से भी कम लगान देते हैं, ९५ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो ५०॥ प्रतिशत से भी अधिक लगान देते हैं। पचास रुपये से अधिक लगान देने वालों की संख्या ९५ प्रतिशत है जिनको दो लाख रुपये से भी अधिक टैक्स देना पड़ता है सवा छः रुपया सैकड़ के हिसाब से । इस प्रकार से आप दस लाख रुपये की आय करना चाहते हैं, उसमें से दो लाख रुपया तो आप केवल झुंझुनू जिले से ही वसूल करते हैं । बाकी रह जाता है आठ लाख का टैक्स वह दूसरे जिलों से लेते हैं, इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि झुंझुनू जिले में बन्दोबस्त फिर से कराया जाय, शुरू से ही उस जिले में काफी लगान है । आपको चाहिये कि उसके मुकाबले उसके पास के जिले चुरू को देखिये, उसके मुकाबले बहुत कम लगान वहां है आप उसको भी चूरू जिले से एडजस्ट करें, एक खेत है जो इस कुरसी के पास उनका लगान कुछ है, दूसरा खेत उस कुरसी के पास है उस खेत को उससे दुगुना तिगुना लगान देना पड़ता है । शामली नाम के एक गांव में तो २२ रुपया प्रति बीघा लगान है जो अन्इर्रिगेटेड जमीन पर, सब जिलों से ज्यादा लगान है । इस कदर जिस जिले में ज्यादा लगान है उस जिले पर और ज्यादा टैक्स न लगायें। इस सरचार्ज टैक्स का मैं घोर विरोध करता हूं, जो आप लैंन्ड रेवेन्यू पर लगाने जा रहे हैं नहीं लगाना चाहिये ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, हमारा १९६०-६१ का बजट सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है, उस पर मैं भी अपने थोड़े विचार प्रगट करना चाहती हूं । अंकों और आंकड़ों की दृष्टि से यह एक सन्तुलित बजट कहा जाता है और घाटे की ५८ लाख रुपये की राशि बड़ी चालाकी से करों के द्वारा प्राप्त करने की सोची गई है । जो कर लगाये हैं वे तीन तरह के हैं, बिक्री कर में से हमने बहुत सारी श्रेणियां कम कर दी हैं । सरचार्ज के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा बहुत कुछ कहा गया है, उनका मैं समर्थन करती हुई कहना चाहूंगी कि जब तक आपके यहां सैटिलमेन्ट द्वारा भू-राजस्व की दरें एक नहीं हो जाती हैं, सरचार्ज की वसूली में कठिनाई आने वाली है, क्योंकि भू-राजस्व की दरें सब जगह भिन्न भिन्न हैं । कई जगहों पर तो पहले से ही अधिक भू-राजस्व है, उसके साथ साथ अगर सरचार्ज और लगा दिया जायगा तो किसानों पर भार और बढ़ जाने वाला है, इसलिये सरकार को सरचार्ज लगाने से पहले जल्दी से जल्दी सैटिलमेंन्ट करवा कर सब जगह की भू-राजस्व की दरों का समानीकरण करने की कार्यवाही करनी चाहिये ।

डीज़ल ऑइल एक ऐसी चीज़ है जिस पर कर लगाया जा रहा है । इसका सीधा असर जनता पर बहुत आगे जाकर पड़ता है । जहां तक कर लगाने का सवाल है इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता । जब कि विकास की विविध योजनाओं को हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं, वैसी हालत में उसके लिये जो धन जुटाने का सवाल है वह धन करों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है । लेकिन करों को 'टैक्स'

(डॉ० चन्द्रकला)

के रूप में न लेकर हम 'जन सहयोग' के रूप में ले सकें तो ज्यादा अच्छा हो।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

सभापति महोदय, मैं कह रही थी कि कर लगाने में किसी का सिद्धान्ततः विरोध नहीं हो सकता पर तरीकों में जरा संशोधन करना जरूरी है। आज हम कर लगाते हैं तो लोगों को एक तरह का टैक्स सा और बोझा सा मालूम होता है और उस समय सरकार कठोर शासक के रूप में दिखाई देने लगती है। हमें इस भावना को बदलना है। यह भावना हम इस तरह से बदल सकते हैं कि उस कर का सबको समान लाभ दें।

आगे वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि अफीमचियों को छूट दे दी, इससे आय में वृद्धि हुई है। हमारे वित्त मन्त्रीजी गांधीवादी कहे जाते हैं, तो यह उनकी भावना ठीक नहीं। हम अपने विकास के साधनों के लिये जनता को मद्य सेवन करावें यह उचित नहीं है। हमें यह प्रलोभन छोड़ना पड़ेगा।

इसके बाद लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के कारण होने वाले भार का जिक्र किया गया। मैं नहीं समझती इससे खर्चे का भार क्यों बढ़ना चाहिये। क्या हम दो ढांचे रखने वाले हैं, बाहरी व्यवस्था चलाने के लिये और ढांचा और ऊपर की व्यवस्था चलाने वाला दूसरा ढांचा? एक तरफ तो पंचायत समितियों का ढांचा होगा और दूसरी ओर प्रशासनिक ढांचा। क्यों नहीं हम जिला परिषद् और लोकतान्त्रिक ढाचे की इकाइयों में इसको विलय कर दें? जिससे हमारा यह खर्चा बढ़ने के स्थान पर कम हो। आप पंचायत समितियों को लगान वसूली का काम जिस प्रकार सौंप कर राजस्व विभाग का बोझा कम कर रहे हैं उसी तरह और तरफ भी हमको सोचने की आवश्यकता है।

खाद्यान्न के सम्बन्ध में सन्तोष प्रकट किया वित्त मन्त्रीजी ने कि उत्पादन में हमने प्रगति की है। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूँ कि यह समाधान आपके बताने की अपेक्षा वे अधिक अच्छी तौर से बता सकते हैं जो रोज अपने सीमित साधनों से अपनी सीमित कमाई से बाजार में जाते हैं और अन्न जुटाते हैं, जीवन यापन के साधन जुटाते हैं। उनको भी महसूस होना चाहिये। आप हमारे बजाय उनको यह महसूस कराएं तो ज्यादा ठीक होगा। आज जनता को जरा सा भाव बढ़ने से भय लगता है। बाजार में जो महंगाई है उससे वे उल्टा महसूस कर रहे हैं। इसके कारण जीवन यापन उनका कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। यह विरोधाभास मिटाना आवश्यक है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है इसके लिये बोलने का काफी अवसर मिलेगा। पर मैं सरकार का अभिनन्दन करती हूं कि उच्चस्तरीय अध्ययन को उन्नत करने तथा मौलिक चिन्तन उत्प्रेरित करने के वास्ते चार पांच विशिष्ट प्राध्यापकों को जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हों और जिन्होंने अपने मौलिक चिन्तन द्वारा मानव ज्ञान को आगे बढ़ाने में योग दान दिया हो, आमन्त्रित करने का, उसका विचार है। इसके अलावा सरकार द्वारा अध्येताओं को दी जाने वाली कुछ फैलोशिप भी स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

(डॉ० चन्द्रकला)

उद्योगों के सम्बन्ध में हमारी सरकार के कर्णधार थोड़े और उद्योगरत हों तो ज्यादा अच्छा है। यह हमारी आय का दूसरा बड़ा साधन है।

वित्त मन्त्रीजी ने यह भी बताया कि हमारे कपड़ा मिल के मजदूर बेकार हैं उनको विस्थापित किया गया है। देश के विभाजन से आये हुए विस्थापितों को हम बड़ी मुश्किल से स्थापित कर पाये हैं। इनको भी जल्दी से जल्दी पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि इनके लिये भी हमारा कर्तव्य है।

जहां तक चिकित्सा का सवाल है इसके बारे में बहुत बड़ी राशि रक्खी है, यह खुशी की बात है। पर इसको एक अच्छे सुनियोजित ढंग से खर्च करने की योजना नहीं है। हम हास्पिटल, डिस्पेन्सरियां, हैल्थ सेन्टर काफी खोलने की ओर ध्यान दे रहे हैं जिससे जन साधारण को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। मैंने कई बार इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है कि मैटरनिटी और चाइल्ड वैलफेयर की ओर काफी ध्यान देना चाहिये, पर इस ओर कोई ध्यान दिया हो, ऐसा नहीं लगता। जो जनरल चिकित्सा सबको मिलती है वही उनको मिलती है। मैंने यह सुझाव दिया था कि हरेक हैल्थ सेन्टर और डिस्पेन्सरी में एक शिक्षित दाई अवश्य हो जो जच्चा बच्चा की मदद कर सके।

आयुर्वेद की ओर सरकार ने ध्यान दिया है परन्तु प्राकृतिक चिकित्सा का नाम आता है तो समझा जाता है कि यह भी कोई दवा करने का तरीका है जिसमें उपवास, हवा, धूप, आदि का उपयोग किया जाता है। लेकिन यह मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, वरन् एक पूरी जीवन पद्धति है जिससे आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होता है। इस तरह की प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार जहां रहता है वहां जन स्वास्थ्य को हम आगे बढ़ा सकेंगे। पर इसकी ओर हमने ध्यान बहुत थोड़ा दिया है। इसलिये प्राकृतिक चिकित्सा की ओर भी ध्यान देना चाहिये। अभी इसका नाम बजट में आया है इसलिये मैं समझती हूं कि आगे इसकी भी योजना बनने वाली है। इस आशा के साथ वित्त मन्त्रीजी को मैं बधाई दे सकती हूं। मितव्ययता के बारे में कुछ कहा गया। पर मैं निवेदन करूं कि यह हमारा योजना सफल नहीं हो सकती। जहां मन्त्री महोदयों के लिये करने धरने की बात आती है तो अपनी असफलताओं को मन्जूर करके छुट्टी ले लेते हैं और जनता से मितव्ययता की आशा करते हैं। हम चीटी को मारते हैं और हाथी को पालते हैं। जनता पर मितव्ययता के नाम पर बीसों टैक्स आप थोप देते हैं पर अपने पर कुछ अंकुश नहीं रहने देना चाहते। हम ढाई मन्त्री और नहीं बढ़ाते, तो क्या बिगड़ जाता, इससे हम हजारों छोटे वर्ग के कर्मचारियों को राहत दे सकते थे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : हजारों रख सकते थे ?

डॉ० चन्द्रकला : छोटे छोटे चालीस-चालीस, पचास-पचास की तनख्वाह वाले हजारों नहीं तो सैंकड़ों तो रख सकते थे। तो

(डॉ० चन्द्रकला)

मितव्ययता को हमें सच्चे अर्थों में लेना चाहिये। चपरासियों और छोटे छोटे कर्मचारियों को आप निकालते हैं, पर जिनसे खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ता है उन अफसरों और बड़े बड़े मन्त्रियों की ओर ध्यान नहीं जाता आपका। इस तरफ हम कोई मितव्ययता नहीं कर पावेंगे। आप सचमुच मितव्ययता की ओर जाना चाहते हैं तो पहले आप आदर्शवान वान बनिये। अपने से ऊपर से चलिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): एक महिला मन्त्री और होने वाली हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जनता से त्याग और सहयोग की बातें की जाती हैं, पर वस्तुस्थिति को देखने से इन्कार करते हैं। हमारी सारी योजनाएं ऊपर से चलती हैं। हमारी सारी जन शक्ति उपेक्षित पड़ी है। मैं तो सभापति महोदय, बार बार यही कहना चाहती हूं कि जब तक हमारी यह जनशक्ति उपेक्षित पड़ी रहेगी तब तक हजारों के बजट भी बनें तो भी हम सफलता की ओर नहीं जा सकेंगे। आप की प्लानों से और इन अफसरों की स्कीमों से ये योजनाएं सफल नहीं होंगी, वे योजनाएं तो तब बढ़ेंगी जब १।। करोड़ जनता यह महसूस करेगी और उसमें तन मन से सहयोग देगी। पर इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। अन्त में मैं कहना चाहती हूं की आंकड़ों और अंकों की ओर हम ध्यान रखकर चलते है इससे ही हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जन शक्ति को भी विकसित और जागृत करके हमें चलना चाहिये।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, आज दो दिन से बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। बहुत से माननीय सदस्य, महानुभावों ने बजट को प्रगतिशील बताया समाजवादी समाज की रचना में आगे बढ़ने का द्योतक बताया माननीय सभापति महोदय, वास्तव में कोई बजट जनता के लिए समाजवादी भी समाज की रचना का द्योतक है इस बात के लिए कोई स्केल हो, किस प्रकार से हम बजट को प्रगतिशील कह सकते हैं, समाजवादी ढंग का कह सकते हैं, इसका कोई नाप होना चाहिये? माननीय सभापति महोदय, वास्तव में बजट में टैक्सेशन की पॉलिसी अपनाई गई है, साथ ही २५ लाख की बचत करने के लिए फोर्थ क्लास के स्टाफ और मिनिस्टीरियल स्टाफ पर बन्धन लगाया गया है आगे रखने के लिए, उन सब बातों से मुझे यह भान हो रहा है कि वास्तव में हमारा बजट समाजवादी दृष्टिकोण के विपरीत है। इसको समाजवादी दृष्टिकोण का हम तब ही कह सकते हैं जब कि बजट में आम जनता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाय, छोटे लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाय। माननीय सभापति महोदय, इस बात की इस बजट में कमी है।

जहां तक मैं समझ पाया हूँ कोई भी बजट प्रगतिशील तब ही कहा जा सकता है जब कि उस राज्य के अन्दर ऐसी व्यवस्था की जाय कि मंहगाई पर रोक हो, साथ ही साथ प्रोडक्शन, चाहे वह एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो या इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, बढ़े। उसको प्रगतिशील बजट कह सकते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि बजट में यह कहा गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन आज फिर भी मंहगाई बदस्तूर चालू है, मंहगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रोडक्शन का बढ़ना, मंहगाई का दिन प्रतिदिन बढ़ना, व्यक्तिगत संपत्ति का न घटना और जो व्यक्तिगत

(श्री मोहरसिंह)

शोषण आज हो रहा है वह घटे तब ही उस को प्रगतिशील बजट कहा जा सकता है। साथ ही साथ प्रदेश की बेकारी मिटे तब ही प्रगतिशील कह सकते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इस दृष्टिकोण को इस बजट में नहीं अपनाया गया है। जहां तक पॉलिसी का सवाल है, इन्डस्ट्रियल लोन में भी समाजवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया। लैंड पॉलिसी है उसमें भी अब तक समाजवादी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुए हों यह नहीं कह सकते। वास्तव में इन्डस्ट्रियल पॉलिसी और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल पॉलिसी, लैंड रिफार्म्स के सम्बन्ध में हम पुराने सिद्धान्तों को, जिनके लिए बार-बार कहा जाता था, जिनके लिए बार-बार जोर शोर से नारे लगाये जाते थे वह सारा दृष्टिकोण आज भूल चुके हैं। जहां तक लैंड रिफार्म्स पॉलिसी का सम्बन्ध है मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि हमारे राज्य का दृष्टिकोण ग्राम राज्य है, ग्रामों का उत्थादन हम करना चाहते हैं। आज आपकी पॉलिसी यह है कि जमीन पर अधिक से अधिक प्रेशर बढ़ाया जाय लेकिन यह पॉलिसी आखिर में सही बैठेगी, मैं नहीं समझ रहा हूं। दूसरे देशों में इन्डस्ट्रीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं, वहां पर भी जमीन पर प्रेशर कम है और जमीन पर प्रेशर कम होगा, साथ ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तब ही किसानों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है। लेकिन यह दुहाई देते हैं कि भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध हो इसलिए जमीन पर प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन यही सही रूप में पॉलिसी नहीं है। लैंड रिफार्म्स तब ही ठीक होंगे जब कि स्थिति में सुधार होगा। किस तरह से जमीन पर प्रेशर बढ़ रहा है आपने आंकड़े बताये, आज यह भावना पैदा की जा रही है कि जमीन के और छोटे २ टुकड़े हों।....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री मोहरसिंह : लेकिन सभापति महोदय....

श्री सभापति : कोरम नहीं है....

(गणपूर्ति हो जाने पर)

श्री मोहरसिंह : सभापति महोदय, मैं सरकार की जो लैंड रिफार्म्स पॉलिसी है उसके लिए कह रहा था कि वास्तव में जमीन पर प्रेशर बढ़ाने की नीति है वह आगे जाकर सही रूप में हो यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। होना क्या चाहिये कि ग्रामों में पूरक धन्धे हों, छोटे २ धन्धों के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन हो, इनके लिए ज्यादा से ज्यादा मनीरता जाय तो लैंड रिफार्म्स की पॉलिसी है, ग्रामों के उत्थान की पॉलिसी है वह काफी हद तक ठीक बैठ सकती है। इस तरह से वास्तव में ज्यादा से ज्यादा जमीन पर वजन बढ़ाये जाने से देश में जमीन की समस्या हल हो जावेगी मैं नहीं समझ सकता हूँ।

इसी तरह से हमारी इन्डस्ट्रियल पॉलिसी भी इसी प्रकार की है। उसमें भी हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है। वास्तव में आज भी पूंजीवाद का नज़रिया इन्डस्ट्रीज़ में चल रहा है और साथ साथ भूमि का सवाल है सीलिंग के जरिये से एक्ट द्वारा छूट देते हैं, जिन लोगों के पास पूरे साधन हैं उनके पास जमीन

(श्री मोहरसिंह)

इकट्ठी बदस्तूर हो जाना जारी रहेगा । इन सारी चीजों पर विचार करने के बाद हमारी पॉलिसी समाजवादी नहीं है, जनवादी दृष्टि-कोण की नहीं है और व्यक्तिगत शोषण से भरी हुई है । इस बजट को समाजवादी दृष्टि-कोण से दूर ही समझ रहा हूं ।

माननीय सभापति महोदय, वास्तव में हमारा जो इन्डस्ट्रियल दृष्टिकोण है वह भी दूषित है । आज हमारे इलाके में कितनी मिलें बन्द पड़ी हुई है इसकी रोजाना बातें सुनाई दे रही हैं । इनके लिए सही नजरिया होना चाहिये कि इनको जल्दी से जल्दी चालू करिये, बेकारी मिटावें, जो मजदूर बेकार बैठे हैं उनकी रोटी का इन्तजाम हो सके । जिस मिल मालिक की मिल है उसको फोर्स किया जाय कि वह चलाये, नहीं चलाते हैं तो गवर्नमेन्ट कब्जा करके उसको चलाये । टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? मजदूरों के प्रति गवर्नमेंट की समाजवादी दृष्टिकोण की पॉलिसी होनी चाहिये । नीचे की आम पब्लिक किस प्रकार से चल रही है? मजदूर सुखी नहीं है । वास्तव में समाज-वादी राज्य हम उसी को कह सकते हैं जिसमें जनता पूर्ण सुखी हो । जो मिल हैं और कारखाने हैं, उनमें मजदूरों के लिए गन्दा प्रबन्ध है, उन लोगों को दबाया जाता है, पैसे की बढ़ौतरी की बात करते हैं तो ताले लगा दिये जाते हैं, गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती नहीं, प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है ।

इन्डस्ट्रियल पोलिसी के लिए मैं दो-चार सुझाव आपके सम्मुख रख देना चाहता हूं । मिलों को, जो बन्द पड़ी हैं, उनको जल्दी चालू करवायें, नहीं करना चाहें तो गवर्नमेंट उन पर कब्ज़ा कर ले। जिन कम्पनियों में हमारा पैसा लगा हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट को मैनेजमेन्ट में शेयर करना चाहिए । कलेक्टर स्तर का कोई ओफिसर वहां पर मैनेजर या सेक्रेटरी नियुक्त करना चाहिये जिससे कि हमारी मनी का सदुपयोग हो, इलाकों में बेकारी न फैले । साथ ही साथ मजदूरों के लिए और गारन्टी देनी होगी । मजदूर कसूर करते हैं तो कसूर का भुगतान कर देना चाहिये, लेकिन उनको अलहदा नहीं करना चाहिये । एक यह मोटो बना लेना चाहिये कि मजदूरों को बेकार न रखें और उनको अलग नहीं किया जाय । इस तरह से मैं समझता हूं कि वास्तव में यही मजदूरों के लिए पॉलिसी हो, इन्डस्ट्रीज़ में सही समाजवादी दृष्टि-कोण हो ।

इस तरह से मैं देख रहा हूं, सभापति महोदय, कि किस प्रकार से जमीन के सुधार के नाम के ऊपर, मेरा खासकरके उन इलाकों के अन्दर घूमने का काम पड़ता है वहां पर जहां कि लैंड रिफार्म्स हुए हैं और जहां पर कि खासकर बारानी को चाही, नहरी जमीन के अन्दर तब्दील किया गया है, उन इलाकों के किसानों को जाकर देखा है कि किस तरह की असुविधा, संकट, परेशानी में आज वे हैं । वहां मौके पर जाकर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से पता लगेगा, सभापति महोदय, कि वहां किस प्रकार के लैंड रिफार्म्स की पॉलिसी से कई जगहों के अन्दर लोग दुविधा के अन्दर पड़े हुए हैं । खास तौर से गंगानगर इलाके के किसान हैं जहां पर कि कन्सोलिडेशन का सवाल है, खाते-दारी को बारानी के अन्दर दर्ज करने का सवाल है वहां किस तरह का दुःख है । शुरू

(श्री मोहरसिंह)

जिले के किसानों का सवाल आपके सामने है। दूसरी जगह की बात सुनने में आती है कि धारा १६ के अन्दर खेती का इन्तकाल चढ़ाये जाने में आज भी गड़बड़ी का डर है। वे नहीं चढ़ाये जाते हैं। इसमें कोलोनाइजेशन के कमान्ड के अन्दर आने की तैयारी बदस्तूर जारी है। कन्सोलिडेशन के सवाल पर रिश्वत जोरों से चालू है। बड़े बड़े अफसर मौके की, पास की, नहर के नज़दीक की, नाली के पास की ज़मीन को ट्रान्सफर करवा रहे हैं। गरीब लोग बेचारे दुःखी होकर रह जाते हैं।

इसी तरह से भूमिहीनों का मसला है। वहां वह नहीं किया जा सकता है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि वहां लैंड रिफार्म्स की पॉलिसी से जो कुछ परेशानी हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट को विशेष तौर से ध्यान इस नीयत से देना चाहिए कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुख और सुविधा मिले। वहां पर बारानी को नहरी जमीन के अन्दर बदल दिया जाता है, वह किसानों के लिए बड़ी संकटपूर्ण बात है। उनको किसी प्रकार की दिक्कत न आये, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, वहां पर टैक्स का जो सवाल है, जिसके ऊपर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार जाहिर किये हैं। उसके ऊपर ज्यादा बोलना पिष्टपेषण है, लेकिन उसका जबरदस्त काफी जनता का संबंध है कुल मिलाकर चाहे वह शहर के अन्दर रहें या गांव के अन्दर रहें, गरीब जनता पर उस टैक्स का असर पड़ता है। सरचार्ज के टैक्स का असर पड़ता है। इसलिए उस पर दो शब्द कहने की जरूरत है। वास्तव में राजस्थान एक खेतीहर प्रदेश है, इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते हैं। उसके अन्दर किसानों पर किसी प्रकार का टैक्स लगे तो वह हमारी पुरानी पॉलिसी, पुराने वायदों के खिलाफ पड़ता है। नासिक अधिवेशन में, हमने कल्याणकारी राज्य होना तय किया है, उसके बाद महात्मा गांधी ने रामराज्य का नारा दिया है। उसके बाद अवाड़ी अधिवेशन में समाजवाद का नारा दिया है, वह पॉलिसी इन तीनों के खिलाफ में बैठती है। वास्तव में इन सारी बातों पर विचार करके हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम लोग वास्तव में समाजवादी दृष्टिकोण अपनाकर नहीं चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, वह सरचार्ज टैक्स वास्तव में किसानों पर सीधा असर करने वाला है जहां कि हम पहले कहा करते थे कि जमींदारों को माफी देंगे, उनके लगान के अन्दर कुछ कमी करेंगे, कटौती करेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तरह तरह के टैक्स लगा रहे हैं और जो हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं। यह किसानों के लिए सुख सुविधा की चीज़ नहीं है। उसकी दलील में यह कहा जायगा कि किसानों का स्टेन्डर्ड कुछ ठीक हुआ है। उसके लिये जवाब है कि इसमें सरकार ने बहुत बड़ी बढ़ोत्तरी कर दी हो, यह चीज़ नहीं है। दुनियां की हालत के कारण किसानों के अनाज के भावों में कुछ तेजी की वजह किसानों की हालत ठीक है। इसके साथ साथ अनाज पैदा करने में किसानों को जिन चीजों को लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है वे उसी प्रकार से तेज होती जा रही है

(श्री मोहरसिंह)

जिसका नतीजा किसानों के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने के बजाय पहले से घटाने के लिए मददगार हो रहा है। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर इस प्रकार टैक्स लगाना, सरचार्ज लगाने से दूसरे मायने में गरीब जनता के ऊपर जिसमें ८० प्रतिशत किसानों की गिनती है उनके ऊपर इन्डाइरेक्ट असर पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि वास्तव में सही दृष्टिकोण से, समाजवादी दृष्टिकोण से, प्रगतिशील दृष्टिकोण से अलग जाकर जो पहले से दबे हुए हैं उनको और दबा रहे हैं, उनका शोषण बदस्तूर जारी है। आज खुले तौर से जो अमीर हैं वे गरीबों को दबा रहे हैं चाहे एग्रीकलचर के स्फिअर में हों, चाहे इन्डस्ट्री के अन्दर मज़दूरों के स्फिअर में हों, चाहे राज्य कर्मचारियों के स्फिअर में हों, कुल मिलाकर गरीबों पर ज्यादा वज़न डाल रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, चाहे टैक्स के ज़रिये से हो, चाहे मिनिस्टेरियल स्टाफ में ५ पर्सेन्ट कटौती के रूप में हों चाहे १० पर्सेन्ट फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के लिए जो चीज़ रही है उस रूप में हो। यह वास्तव में समाजवादी दृष्टिकोण के खिलाफ है। सभापति महोदय, हमें वास्तव में जो बहुत ज्यादा तनख्वाह वाले लोग है उनको लो करके और इसी तरह से दूसरी मदों में जो पैसा बरबाद होता है, जिस तरह से कि अभी अभी दौरे किये गये हैं, मिनिस्टर महोदयों के जो दौरे हुए हैं, केबिनेट के दौरे हुए हैं जिलों के अन्दर, उसमें किस प्रकार से लोगों ने बतलाया कि पैसा जबरदस्त खर्च किया गया है और मुश्किल से आप एक एक, दो-दो घन्टे लोगों से मिल सके। इसकी प्रणाली में सुधार करके पैसा बचायें। यह ठीक बात है कि मिनिस्टर मौके पर जायं और जाकर बात को देखें, लेकिन इस प्रकार से बहुत ज्यादा खर्च किया गया उसको बचाकर इस प्रकार से फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के स्टाफ के ऊपर जो बान्ध लगाया गया है वह नहीं लगायें। वहां पर शुद्ध हृदय से समाजवादी दृष्टिकोण सामने रखते बजट में तो मैं समझता हूं वास्तव में दूसरी बात होती। लेकिन सभापति महोदय, हम इन सारी चीज़ों को भूल गये।

अब आता हूँ जनता की सुविधा के लिए बनाए गए जन चिकित्सा वगैरह पर। इन सारे सवालों के ऊपर अगर मैं विचार करके बतलाऊं जिनको वाकई में न्यारे न्यारे रूप से बताना जो है वह वास्तव में वाद-विवाद के जनरल डिस्कशन की पॉलिसी के खिलाफ होगा मेरे खयाल से, इसलिए सभापति महोदय, इतना ही कह देना चाहता हूं कि वास्तव में जन सुविधाओं का जहां तक सवाल है वे गांवों के अन्दर गरीब लोगों को कम से कम मुहैया हो रही हैं, बहुत थोड़ी दी जा रही हैं। जिस वक्त आसोज और कार्तिक का महीना आता है, बाहर गांवों के लोगों को अनुभव है, कि जिस वक्त फसल के काटने का वक्त आता है उस वक्त किस प्रकार से मलेरिया गांवों के अन्दर फैलता है, लेकिन उस वक्त बचाने वाला कोई नहीं है। हर घर में ५-४ आदमी मलेरिया से पीड़ित रहते हैं। उन लोगों को समय पर न सम्हालने का नतीजा प्रोडक्शन पर पड़ता है। फसल समय पर नहीं कट

(श्री मोहरसिंह)

सकती है उसका नतीजा बहुत बुरा होता है । प्रोडक्शन के ऊपर उसका असर पड़ता है ।

इसी तरह से सभापति महोदय, और विभिन्न बातों पर भी अच्छी तरह से प्रकाश डाला जा सकता है, लेकिन समयाभाव के कारण आज इन चीजों का पिष्टपेषण नहीं करता हूं, सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि वास्तव में गरीब आदमी जो हैं उनके लिए सही समाजवादी राज्य वह होता है जो इन सारी सुविधाओं के साथ कम से कम खर्च की न्याय व्यवस्था का प्रबन्ध करे, सस्ता न्याय मिले जो कि हमारा कभी नारा था, कभी हमारा वायदा था, लेकिन उस दृष्टि को हमने न जाने कहां उठाकर रख दिया ? यह हमारे वित्त मन्त्री महोदय अच्छी तरह से सोच सकते हैं ।

४.३९ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

आज हमारी न्याय प्रणाली के अन्दर और भी खर्चीली व्यवस्था पनपती जा रही है । इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर हमको गरीबों को आराम देना है, गरीबों को इस चीज़ के अन्दर आराम देना है कि उन्हें सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके तो उसके लिए कोर्ट फीस को, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उसको कम कर देना चाहिये, खत्म कर देना चाहिए । साथ ही साथ इसके और इसलिये कि गरीब आदमी को सुख-सुविधा मिल सके, सरकार की तरफ से सरकारी पैरोकारों का इन्तज़ाम किया जाना चाहिये जिससे कि गरीब आदमियों के वादी और प्रतिवादियों के मामले वह मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अच्छी तरह से रख सकें । गरीब इन्साफ से मुस्तस्ना इसलिए नहीं रहे कि उसके पास पैसा नहीं हैं । अपील की अदालतें मूविंग होनी चाहिए ताकि वे इलाकों में जा जा कर, जिले के हैडक्वार्टर्स पर जा कर लोगों के मुकद्दमें तय करें तो मैं समझता हूं कि वास्तव में गरीबों को इन्साफ मिल सकेगा । नहीं तो न्याय का दरवाजा सब के लिए खुला है, मैं इस बात को मानता हूं और मंजूर करता हूं इसके बावजूद भी इसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं है, इसलिए वे अदालतों में नहीं जा सकते और मायूस होकर घर में बैठ जाते हैं । इसलिए गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, इस बात का ध्यान रहना चाहिये ।

इसके साथ ही जो शिकायत की चीज है वह यह है कि हमारा प्रशासन सस्ता हो और उसमें ढिलाई न हो । कई मामलों में उनकी सुनवाई नहीं होती इससे गरीब आदमी परेशान होते हैं । छोटे छोटे कार्यों में भी उनकी सुनवाई नहीं होती । मुझे खुद को अनुभव है । ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब को मालूम है । दो वर्ष पुराना छोटासा सवाल मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी का है । किसी की कॉन्स्टिट्युएन्सी और जिलों पर आना सही बात नहीं समझी जा सकती आज के जनरल डिस्कशन के समय प्रान्तीय चीजों की ओर ध्यान रखें उसके बजाय सारे स्टेट की ओर

(श्री मोहरसिंह)

दृष्टि जानी चाहिये किन्तु छोटी छोटी चीजों को मिला कर सारे राजस्थान की व्यवस्था का ढांचा बनता है। जहां एक इलाके में खराबी है तो इसी तरह के कई इलाकों में मिलाकर काफी बड़ी चीज बन जाती है और उनमें करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। इसलिये मैं इस बारे में कहना चाहता हूं। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब के पास चीज़ पहुंचाई गई, एसेम्बली में सवाल पूछे, मोटर टैक्स लगाया राज्य का खज़ाना भरने के लिये, उसका असर सारी जनता पर पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ इसका कितना इन्तज़ाम किया सड़कों वगैरह का? रेलवे लाइन के ऊपर से निकलने वाले लेवल क्रोसिंग वगैरह का इन्तज़ाम करवाया या नहीं? इन सारी चीजों पर दृष्टि डालते हैं तो कहना पड़ेगा कि बहुत ढिलाई है। प्रशासन में इतनी ढिलाई नहीं होनी चाहिये। वहां के लोगों ने शिकायत की। लोग आज भी तकलीफ महसूस करते हैं वह काम नहीं बना है। एक रेल्वे का डबल क्रोसिंग डाल कर लेवल क्रोसिंग करने का सवाल था। लेवल क्रोसिंग नहीं होने से बड़ा नुकसान होता था। मोटर वाले कहते थे कि इसके ऊपर से जाने से हमारे टायर वगैरह घिस जायेंगे इसलिये वे सवारियों को उतरने को कहते थे और आध-आध माइल तक लोगों को पैदल जाना पड़ता था। कई बार कहने पर भी यह काम नहीं हुआ। इसी तरह की और भी कई बातें इसके मुतल्लिक कही जा सकती हैं। जनता को सुविधा देनी चाहिये उनको आराम मिले इसके लिये प्रशासन को स्फूर्ति अख्त्यार करनी चाहिये, जल्दी काम बने ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में जो बजट है उसमें समाजवादी दृष्टिकोण का समावेश है नहीं, पर होना चाहिये और अधिक आगे बढ़ना चाहिये। इसके साथ ही विकेन्द्रीकरण जैसी चीज गवर्नमेंट ने की, इससे गांवों की तरक्की करने की ओर कदम बढ़ाया, साथ ही ऊपर की पॉवर पब्लिक के पास पहुंचे इस विचार का स्वागत करता हूं। इसमें कई कमियें हैं जो वास्तव में समय पर बताई जायेंगी, उनको दूर करने के लिये सम्बन्धित मन्त्रीजी विशाल हृदय हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और निवेदन कर दूँ वह यह कि जिस तरह से आज डिसेन्ट्रलाइजेशन का काम करके हमारे राजस्थान ने और प्रान्तों में पहल की, उसी तरह से बेकारी की समस्या को हल करने के लिये कदम उठाते तो और भी स्वागत योग्य होता। इन सारी बातों के साथ आगे कदम उठाना चाहिये, कुछ इस प्रकार की योजना चालू करनी चाहिये, कुछ रास्ता निकलना चाहिये कि जितने बेकार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिले उस वक्त तक उनके लिये कुछ भत्ते वगैरह का इन्तजाम किया जाय। मैं समझता हूं इससे बजट पर असर पड़ेगा लेकिन इसके लिये दूसरा रास्ता निकाल कर, कुछ संपन्न लोगों पर टैक्स लगाकर इसकी पूर्ति करनी चाहिये जिससे बेकार लोगों का फायदा हो सके और ऐसा बजट, मैं समझता हूं एक आदर्श बजट होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में हमारा दृष्टिकोण समाजवादी होना चाहिये और उसी के अनुरूप बजट बनाना चाहिये था और एक्शन में लाना चाहिए था।

श्री संपतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय....

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : आप समय का ध्यान रखें।

श्री संपतराज जैन : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान का ६०-६१ का संतुलित बजट पेश किया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन यह बजट जो पेश किया गया है संतुलित तौर पर यह ६५ लाख रुपयों के अतिरिक्त आय करों द्वारा बनाया गया है। सभापति महोदय, मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि राजस्थान विकास की तरफ अधिक से अधिक प्रगति कर रहा है, निर्माण के काम यहां पर दिन-ब दिन अधिक तादाद में हो रहे हैं ऐसी स्थिति में टैक्स जनता पर लगेंगे वर्ना पैसा आयेगा कहां से? लेकिन टैक्स लगाने से पहले यह देखना आवश्यक है कि राज्य की जो इन्कम है उसका ठीक तरह से उपयोग होता है या नहीं। आज जब देखते हैं तो साधन ऐसे हैं जिनको यदि बढ़ाया जाय तो टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े और दूसरी तरफ यदि प्रशासन में मितव्ययता करें तो बहुत कुछ बचत कर सकते हैं।

जहां तक आमदनी के साधन हैं उनकी तरफ ध्यान दें तो एक बात की तरफ निवेदन करना चाहता हूं जिससे राज्य की इन्कम बढ़ सकती है और कम से कम जो इस साल टैक्स बजट में प्रस्तावित हुए हैं उनको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभापति महोदय, राज्य में खनिज द्रव्य काफी तादाद में है, उसकी आमदनी होती है वह या तो लीज़ पर या रौयल्टी एक्सेस पर होती है। मैं निवेदन करूं कि जो हमारे यहां खनिज पदार्थ हैं, पत्थर हैं और दूसरी तरह के मेटल्स वगैरह हैं उनका ऑक्शन कर दें तो काफी आमदनी हो सकती है। इसके लिये एक व्यक्ति ने प्रार्थना की थी कि रामगढ़ मंडी में मोडक की खान से काफी तादाद में पत्थर निकलता है और हिन्दुस्तान के कौने कौने में जाता है और यह खान रोयल्टी, एक्सेस रोयल्टी पर दी है उससे २. ३ लाख रुपयों की आमदनी होती है। यदि ये खानें नीलाम कर दी जायं तो इन्हीं खानों से १५-२० लाख रुपये की आमदनी हो सकती है। अकेली रामगढ़ मंडी की खान भी ४-५ मील के इलाके में है। इनसे १०. १५ लाख की आमदनी हो सकती है। मैं समझता हूं आगे से इन खानों को ऑक्शन किया जाय तो काफी इन्कम इनसे होगी। इसी तरह से तमाम दूसरी खानों को भी ऑक्शन से दिया जाय, रॉयल्टी पर नहीं दिया जाय तो राजस्थान सरकार को अधिक इन्कम हो सकती है अब सवाल यह आता है कि क्या इस तरह से रॉयल्टी पर देने से पत्थर मंहगा हो जायगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पत्थर का भाव पहले ४ रुपये सैकड़ा था उसके ४०-५० रुपये कर दिये। इससे उनको बड़ा भारी मुनाफा हुआ और उन्होंने शेयर होल्डर्स को ३५ परसेन्ट मुनाफा बांटा है और इसके अलावा जो मैनेजिंग एजेन्ट्स हैं वे काफी तादाद में पैसा अपने पास रखते हैं वेतन के रूप में, अलॉउन्स, भत्ता आदि के रूप में। इसके अलावा भी ३५ परसेन्ट नफा शेयर होल्डर्स को बांटा है तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट यदि ऑक्शन करे तो क्या उससे राज्य की इन्कम नहीं बढ़ेगी? यदि ऑक्शन किया जायगा तो पत्थर के भाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पत्थर का भाव काफी बढ़ चुका है। राज्य सरकार को इससे काफी इन्कम हो सकती है।

(श्री सम्पतराज जैन)

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि मोटर विहिकल्स का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, लेकिन मैं निवेदन करूं कि सारे राज्य में मोटर बसें चलाना राज्य के लिये संभव नहीं होगा, केवल बड़े बड़े रूट्स पर ही सरकार बसें चला सकेगी। जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण करे सरकार, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह होना चाहिए। मैं इसके साथ साथ निवेदन करूंगा कि बहुत से कच्चे रास्ते हैं, उनके ऊपर मोटर चलाने के लिए जनता की तरफ से दरख्वास्त की जाती है, काफी लोग मोटर चलाने के लिए तैयार हैं तो उनको परमिट नहीं दिये जाते हैं। इसके साथ साथ जिन रूट्स पर तीन-तीन, चार-चार बसेज़ चलती हैं, वहां सवारियों को भेड़-बकरियों की तरह ठूंसा जाता है। तीस चालिस सवारियों की बस होती हैं, लेकिन ५०–६० सवारियां भरते हैं। ऐसी सूरत में उन रूट्स पर और बसों को परमिट क्यों न दिये जायं ? ऐसी सूरत पर नये मार्गों के लिए परमिट दिये जायेंगे और पुराने मार्गों पर और मोटर चलाई जायंगी तो सरकार को काफी आय होगी। अभी राज्य सरकार ने एक करोड़ का कर कूंता है। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार नये परमिट दिये जायं और मुक्त हस्त से दिये जायं तो २० लाख, २५ लाख की रकम बढ़ सकती है। फिर नये कर लगाने की क्या आवश्यकता है ? अगर इसके बाद भी आवश्यकता पड़े तो कर बढ़ाये जा सकते हैं। इसके साथ ही मितव्ययता भी की जा सकती है। वैसे इस बजट में २० लाख की मितव्ययता करने का सुझाव दिया गया है लेकिन यह मितव्ययता चौथी श्रेणी के कर्मचारियों में कटौती करके की गई है। मैं समझता हूं कि अगर कटौती ऊपर की श्रेणी में की जाती है तो अधिक बचत हो सकती है। मैं इसके लिए उदाहरण पेश करूं। मेरा निवेदन है कि डिविज़न स्तर पर जितने कार्यालय हैं वे कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। न मैं सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के लिए कहता हूं लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स और डिप्टी कलेक्टर, एक्साइज़ एन्ड टैक्सेशन के लिए भी कहता हूं। इनके दफ्तर क्या काम करते हैं ...

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आपका मतलब यह है कि कोटा से डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर हटा दिया जाय ?

श्री संपतराज जैन: मैं निवेदन करूंगा कि इनका अनावश्यक खर्चा है। फिर कोटा तो क्या अगर जोधपुर से हटा दिया जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। कोटा अलग नहीं है, जयपुर अलग नहीं है, सब राजस्थान के अंग हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि कमिश्नर के दर्जे के कार्यालय हैं, ये अनावश्यक हैं। जो ये कार्य करते हैं वे जिले से हो सकते हैं, यह काम उनके द्वारा चलाया जा सकता है। डिविजन के ऑफिसर के पदों पर ७.२६ लाख रुपये का खर्चा होता है, वह कम हो सकता है। इसी तरह डिप्टी रजिस्ट्रार आफ कोऑपरेटिव्स की क्या आवश्यकता है ? इसी तरह डिप्टी कमिश्नर, टैक्सेज एन्ड एक्साइज़ के पद अनावश्यक है। इस तरह के पदों को खत्म किया जा सकता है....

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी मिनिस्टर भ आते हैं।

(हंसी)

श्री संपतराज जैन: डिप्टी मिनिस्टर का अलग काम है व डिप्टी कमिश्नर का अलग काम है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि नेशनल सेविंग्ज़, अल्प बचत योजना को कार्यान्वित करने के लिए हर एक जिले में ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि विधान सभा का हर एक सदस्य जानता है कि जिस रुपये से बचत सर्टिफिकेट खरीदे जाते हैं वह रुपया कैसे इकट्ठा किया जाता है। यह रुपया तहसीलदार की मार्फत और रेवेन्यू ऑफिसर की मार्फत दबाव देकर इकट्ठा किया जाता है। जब लैंड रेवेन्यू की रकम वसूल की जाती है तब यह रुपया इकट्ठा किया जाता है यदि कोई रजिस्ट्री कराने को आता है: तब इकट्ठा किया जाता है। इसलिए आपने जो ऑर्गेनाइज़र रख दिये हैं, इनकी आवश्यकता क्या है? जब यह काम तहसीलदार करता है, एस. डी. ओ. करता है तो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र रखने की आवश्यकता क्या है। इसी तरह से ये केन्द्र में, जयपुर में क्या काम करते हैं? जब डिविजन स्तर पर और अधिकारी रहते हैं, तो ये क्या काम करते हैं? इससे बचत हो सकती है। मैं समझता हूं कि वह होनी चाहिए। आज प्रशासन का खर्चा बढ़ता जा रहा है, हम देखते हैं कि जो जनता पैसा देती है वह प्रशासन में खर्च कर दिया जाता है। इसलिए इनको खत्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जिला स्तर पर जो कॉटन इन्सपेक्टर हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वे क्या काम करते हैं। जिला झालावाड़ में कॉटन इन्सपेक्टर का ऑफिस है। वहां न तो मैं ऑफिसर को देखता हूं और न कर्मचारी ही दिखते हैं। फिर कॉटन इन्सपेक्टर क्या काम करता है। इसी तरह और भी काफी बचत की जा सकती है। मैं पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर के लिए निवेदन करूंगा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हर एक जिले में होना चाहिए, यह सैद्धान्तिक बात हो सकती है। लेकिन ये कोई काम काज नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पद हटाये जा सकते हैं। इसके अलावा निवेदन करूं कि तहसील स्तर पर एक तहसील में चार-चार अकाउन्टेन्ट हैं, जब कि पहले दो-दो अकाउन्टेन्ट काम करते थे। आज चार-चार अकाउन्टेन्ट हैं, एक सप्लाई का, एक ट्रेजरी का, एक रेवेन्यू का, एक जागीर का। मैं नहीं समझता हूं कि चार चार अकाउन्टेन्ट की क्या आवश्यकता है, दो अकाउन्टेन्ट काम कर सकते हैं। यह ठीक है कि उनकी कटौती करके उनको खारिज़ न किया जाय, उनको दूसरे काम पर लगाया जाय। जो नये पद भरे जाते हैं, उनके ऊपर नये व्यक्तियों को न लेकर उन लोगों को वहां रखा जा सकता है। तो मैंने कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत कीं जिन पर विचार कर राज्य की आमदनी बढ़ा कर, प्रशासन के खर्च में मितव्ययता करके, रकम में बचत करके राज्य की इन्कम बढ़ाई जा सकती है और टैक्सेशन के अन्दर कमी की जा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस साल ६५ लाख के अधिक कर आपने कूते हैं। इतना रुपया कहां से वसूल होगा, यह सारा का सारा जनता की जेब से जायेगा।

(श्री सम्पतराज जैन)

१० लाख लैंड रेवेन्यू से, ७ लाख स्टेट एक्साइज़ ड्यूटी से, तीन लाख स्टाम्प्स एन्ड कोर्ट फीस से, ४५ लाख सेल्स टैक्स से और १० लाख रुपया सरचार्ज के द्वारा वसूल किया जायगा। वैसे ५० रुपया जो लैंड रेवेन्यू देता है उसको सरचार्ज देना होगा। मैं इसके साथ साथ निवेदन करूं कि लैंड रेवेन्यू है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैं कोटा डिविज़न की बात निवेदन करूं कि जो अन्याय अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, वह दूर नहीं हुआ है। वह क्या है? वह है कि काश्तकार राज्य से किसी से रुपया लेता है, सूद पर लेता है, तकावी लेकर, लोन लेकर, बाहर से रुपया लेकर कुआ खुदवाता है, जहां पहले एक फसल होती थी, उस जमीन को वह दो फसली करता है। उसमें पैसा आपका नहीं लगा, इर्रिगेशन के साधन आपने प्रस्तुत नहीं किये, तो उनसे आपको लेने का क्या अधिकार है? उस जमीन का डेवलपमेन्ट होने के बाद, चाही होने के बाद जो लगान तय हुआ है, वह पांच से सवा छः रुपये पर बीघा तक है। मैं निवेदन करूंगा कि कुआ हम खोदें, पैसा हम लगायें, मेहनत हम करें, और फिर उत्पादन बढ़ायें, उस पर लगान के तौर पर रुपया ले लिया जाय। उसको सरकार को लेने का क्या अधिकार है? क्योंकि इर्रिगेशन के साधन प्रस्तुत नहीं किये। अगर सरकार इर्रिगेशन के साधन प्रस्तुत कर देती है तो उसको लेने का अधिकार है। आप ब्याज लेते हैं लोन पर और फिर सवा छः रुपया पर बीघा लगान लें तो मैं समझता हूं कि काश्तकार पर अधिक भार डालना है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैं मांग करता हूं राजस्थान सरकार से कि कम से कम यह जांच कराई जाय कि कोटा डिविजन में जो लैंड रेवेन्यू चाही जमीन पर वसूल किया जाता है, वह वैज्ञानिक है या नहीं? अगर वैज्ञानिक नहीं है तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। वह अन्याय वर्षों से चला आ रहा है। अगर यह वैज्ञानिक है तो आप हमें समझा दीजिये, हम मान लेंगे। आप इर्रिगेशन के साधन प्रस्तुत नहीं करते हैं और पैसा लेते हैं। तो श्रीमान्, मैं निवेदन कर रहा था कि यह भू-राजस्व सरचार्ज लिया है, यह ५० रुपये अधिक लैंड रेवेन्यू देने वाले से लिया जायगा।

(समय-समप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति : एक मिनिट।

श्री संपतराज जैन : तो मैं निवेदन कर रहा था कि भू-राजस्व पर सरचार्ज है वह ५० रुपये जो लैंड रेवेन्यू के देता है, उस पर लगाया है। मैं समझता हूँ, जो १० लाख की आमदनी कूंती गई है, इसकी जगह २५ लाख रुपये की आमदनी होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि ५० रुपये के बजाय १०० रु० से ऊपर लैंड रेवेन्यू देने वालों से वसूल किया जाय। इतना कह कर, क्योंकि समय कम रह गया है और विषय बोलने के लिए काफी है, मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय........

Page No.107

श्री सभापति : एक मिनट रह गया है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि कोरम नहीं है शायद ।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही १५ मार्च के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्होत्तर ४ बज कर ५६ मिनट पर मंगलवार दिनांक, १५ मार्च, १९६०, के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, ११ मार्च, १६६०)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
	२३८६		
साहित्यिकों की पुस्तकों पर दिया जाने वाला पुरस्कार।		के लिये दिया गया ऋण।	
जन-सम्पर्क अधिकारी, डूंगरपुर, की रिक्त पद पर हुई नियुक्ति।		शिक्षकों की सीनियोरिटी का आधार।	
आर. सी. ए. इन्डस्ट्रीज़ धानकाफड बीकानेर को परमिट का लोहा न मिलना।		भरतपुर जिले में नमक उद्योग को फिर से जारी कराने की केंद्रीय सरकार को सिफारिश।	
गंगानगर क्षेत्र में एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा गेहूँ का क्रय-विक्रय।		पंचायत सोमेसर के सरपंच द्वारा दिये गये त्यागपत्र पर कार्यवाही।	
सेल्स एम्पोरियम, जयपुर, की बकाया रकम की वसूली।		साइकलों, सीने की मशीनों इत्यादि के निर्माण हेतु लोहे के कोटे का निर्धारण।	
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, अजमेर, की अदालत में गुम हुई फाइलों के मामले की जांच।		भीलवाड़ा में अल्प-आय-गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण।	
सरकार व तहसील सरपंचों की आज्ञा की अवहेलना करने वाले सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही।		सन् १६६०-६१ में खुलने वाले हायर सैकन्डरी स्कूल्स।	
टौंक जिले के सरकारी एवं प्राइवेट कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स।		गणगौरी बाजार जयपुर से फरार हुई लड़की का मामला।	
पाली तहसील में घरेलू उद्योगों		प्रान्त के पोलीटेक्निक स्कूल व जूनियर टेक्निकल स्कूल।	
		सरपंच, ग्राम पंचायत, पीपली के	

विरुद्ध हुई शिकायतों पर कार्यवाही।

संस्कृत भाषा के उत्थान की योजना।

सूअर और गधों की संख्या।

गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज, दौसा में, स्टाफ की कमी।

पुलिस विभाग में दरियों की खरीद।

रायपुरा विकास खण्ड में पंचायत समिति द्वारा सामान की नियमों के विपरीत एवं मंहगी खरीद।

इन्टर साइन्स, इन्टर आर्टस, बी. ए. तथा बी. एस सी. के प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति।

मिडिल स्कूल, पहाड़ी (जिला भरतपुर), को हाई स्कूल में परिवर्तित किया जाना।

नवयुग द्वारा न्यूज़प्रिन्ट का इम्पोर्ट।

लूणकरणसर व बीकानेर तहसीलों के पूंगल इलाके में पीने के पानी की कमी।

तहसील पंचायत, बैराठ, का पंचायत समिति बैराठ व शाहपुर में प्रतिनिधित्व।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री मंगलसिंह (६३), सदस्य, विधान सभा, को दिनांक २४ फरवरी से १८ मार्च, १९६०. तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखा गया विवरण

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री, ने इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८ की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), १९६०-६१ को सदन की मेज पर रखा।

आय-व्ययक (बजट) १९६०-६१ २४५४

प्रथम अवस्था-सामान्य वाद-विवाद

आय-व्ययक, १९६०-६१ पर आज भी सामान्य वाद-विवाद

जारी रहा जिसमें निम्नांकित सद-स्यों ने भाग लिया:-

१. श्री अनोपसिंह

२. श्री घासीराम यादव

३. श्री होतीलाल

४. श्री भीमसेन

५. श्री रघुवीरसिंह

६. श्रीमती सुमित्रा

७. श्री हरिप्रसाद यादव

८. श्री मदनसिंह

९. राजा मानसिंह

१०. श्री सोहनलाल भटनागर

११. श्री शीशराम ओला

१२. डॉ. चन्द्रकला

१३. श्री मोहरसिंह

२४. श्री सम्पतराज जैन

मंगलवार दिनांक १५ मार्च, १९६०, की कार्य-सूची

आय-व्ययक १९६०-६१

प्रथम अवस्था-अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ का उत्तर देखिये)

राजस्थान सरकार

मीरां पुरस्कार के नियम :

१. यह पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्न विषयों पर दिया जायगा :

१. काव्य । २. दृश्य काव्य । ३. आलोचना । ४. निबन्ध । ५. गद्य साहित्य : कहानी, उपन्यास, जीवन-चरित्र ।

२. प्रथम वर्ष में यह पुरस्कार निबंध पर दिया जायगा ।

३. पुरस्कार के निर्णय करने की विधि अंकों द्वारा होगी और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले लेखकों को पुरस्कार दिया जायगा ।

४. प्राप्तांक का स्तर कम से कम ६० प्रतिशत होना चाहिये । इससे कम प्रतिशत अंकों पर पुरस्कार नहीं दिया जायगा ।

५. पुरस्कार के लिये भेजी जाने वाली पुस्तक कम से कम २०० पृष्ठों की होनी चाहिये ।

६. मीरां पुरस्कार में सम्मिलित करने के लिये लेखक को अपनी प्रकाशित पुस्तक अथवा पांडुलिपि की कम से कम ४ प्रतियां अकादमी के कार्यालय में भेजनी होगी ।

७. पुरस्कार के लिये पुस्तकें भेजने की एक निश्चित तिथि अकादमी के कार्यालय द्वारा घोषित कर दी जायगी । इस तिथि के पश्चात् पुस्तकें स्वीकार नहीं की जायेंगी ।

८. पुरस्कार के सम्बन्ध में अकादमी का निर्णय अन्तिम होगा ।

९. निर्णायकों को प्रति पुस्तक १५ रुपये पारिश्रमिक दिया जायगा । किन्तु अधिक से अधिक ४०० रुपये दिया जायगा ।

१०. मीरां पुरस्कार हिन्दी भाषा में लिखे हुये ग्रन्थों पर दिया जायगा ।

११. यदि किन्हीं दो पुस्तकों पर समान अंक प्राप्त हुए तो पुरस्कार दोनों लेखकों में आधा आधा बांट दिया जायगा ।

१२. यदि किसी पुस्तक को अकादमी पुरस्कृत कर देती है और बाद में वह प्रकट होता है कि पुस्तक मौलिक नहीं है तो उस स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक परिणाम का दायित्व

उस पुस्तक के लेखक का होगा, अकादमी का नहीं।

१३. यदि कोई भी लेखक कन्वेसिंग अथवा अन्य कोई अनुचित क्रिया करता हुआ पाया गया तो पुस्तक के मूल्यांकन पर विचार न करते हुए पुस्तक अस्वीकृत करदी जायगी।

१४. मीरां पुरस्कार का निर्णय करने के लिये एक निर्णायक समिति होगी, जिसमें भारत ख्याति के तीन विद्वान् साहित्य मर्मज्ञ होंगे :

पुरस्कारों के नियम

१. अकादमी पुरस्कार निम्न विषयों पर प्रतिवर्ष दिये जायंगे :

१. काव्य २. दृश्य काव्य ३. उपान्यास एवं कहानी ४. आलोचना ५. निबन्ध ६. बाल एवं महिला साहित्य ७. विज्ञान दर्शन इतिहास पर क्रमश :

२. पुरस्कार के निर्णय करने की विधि अंकों द्वारा होगी और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले लेखक को पुरस्कार दिया जायगा।

३. प्राप्तांक का स्तर कम से कम ६० प्रतिशत होना चाहिये। इससे कम प्रतिशत अंकों पर पुरस्कार नहीं दिया जायगा।

४. यदि किन्हीं दो पुस्तकों पर समान अंक प्राप्त हुए तो पुरस्कार दोनों लेखकों में आधा आधा बांट दिया जायगा।

५. यदि किसी पुस्तक को अकादमी पुरस्कृत कर देती है और बाद में वह प्रकट होता है कि पुस्तक मौलिक नहीं है तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक परिणाम का दायित्व उस पुस्तक के लेखक का होगा, अकादमी का नहीं।

६. यदि कोई भी लेखक कन्वेसिंग अथवा अन्य कोई क्रिया करता हुआ पाया गया तो पुस्तक के मूल्यांकन पर विचार न करते हुये पुस्तक अस्वीकृत कर दी जायगी।

परिशिष्ट

राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा सन् १६५८-५६ में प्रदान किये गये पुरस्कार।

	लेखक	पुस्तक	विषय	राशि
१.	श्री परमेश्वर द्विरेफ	मीरां	काव्य	५०० रुपये
२.	श्री ठाकुर रणवीरसिंह	प्रताप	काव्य	५०० रुपये
३.	श्री उदयसिंह भटनागर	जागीरदार	नाटक	५०० रुपये
४.	श्री यदवेन्द्र शर्मा चन्द्र	खम्मां अन्नदाता	उपन्यास	५०० रुपये
५.	श्री रामचरण महेन्द्र	हिन्दी एकांकी	आलोचना	५०० रुपये

———————

राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा सन् १९५९-६०'में दिये जाने वाले पुरस्कार

मीरां पुरस्कार

	लेखक	पुस्तक	विषय	राशि
१.	डॉ० रामानन्द तिवारी, भरतपुर।	भारतीय संस्कृति के प्रतीक।	निबन्ध	२००० रुपये

अकादमी पुरस्कार

१.	श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, जयपुर।	अभिसार निशा	काव्य	१००० रुपये
२.	श्री भालचन्द्र गोस्वामी, जयपुर।	कहानी दर्शन	आलोचना	१००० रुपये
३.	श्री पूर्णचन्द मिश्र, रतनगढ़।	अनन्त की राह में।	विज्ञान	१००० रुपये

———

परिशिष्ट २

(कृपया आरांकित प्रश्न संख्या ३३५ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF OUTSTANDING DUES OF RAJASTHAN HANDICRAFTS EMPORIUM AT JAIPUR AS ON 30.1. 1960.

S. N.	Name of the Party.	Date since due.	Amount.	Remarks,
1.	Government Hostel.	25-10-55	30. 06	
2.	Shri Dev Raj Bajaj.	16—5-46	63. 12	
3.	Cornoation Exhibition, London.	25—1-53	1114. 94	
4.	Shri Amar Narain	6—6-49	37. 27	
5.	Layawant Fair, Bari.	52-53	449. 92	
6.	Central Marketing Office.	22—1-48	34. 77	
7.	Shri B. D. Ashraf.	20-11-47	103. 37	
8.	Marketing Officer, Jodhpur.	4—6-52	1350. 86	
9.	Marketing Officer, Bikaner.	26-10-52	1153. 69	
10.	Director, Social Welfare.	24—6-54	00. 25	
11.	Shri Jagannath Weaver.	7—6-48	23. 81	
12.	Industrial Museum.	8—7-53	769. 70	
13.	Shri Jay Narain Vyas.	6—2-53	32. 94	
14.	Officer I/C Ist Infantry.	9—8-48	11. 34	
15.	Collector, Jhunjhunu.	27—8-53	63. 25	
16.	Officer I/C London Exhibition.	1950-51	49. 97	

1	2	3	4	5
17.	Harwant Kaur	8-2-54	.06	
18.	Shri G. K. Kapoor.	31-10-49	43. 58	
19.	Handicrafts Emporium, New Delhi.	27-11-53	1993. 73	
20.	Labour Commissioner.	11—5-50	48. 28	
21.	Collector. Jhalawar.	1-12-54	.02	
22.	Shri Chandmal Jain.	9—9-50	125. 12	
23.	Shri Hari Chand.	7-12-51	15. 25	
24.	Shri Sant Parsad.	28—9-50	133. 69	
25.	Shri Vijai Singh.	21-11-50	7. 03	
26.	Shri Heera Lal Shastri.	27-11-50	28. 50	
27.	Supdt. Industries & Commerce.	3-4—51	75. 12	
28.	Executive Engineer, PWD.	17—5-51	00. 48	
29.	City Supdt. Police,	20-12-49	4. 75	
30.	Shri V. N. Kak.	17-12-51	163. 87	
31.	Shri S. N. Goyal.	12-12-54	78. 37	
32.	Shri Shahinghkar.	1—4-53	1. 00	
33.	Shri Hari Chand Golecha.	7-12-51	.09	
34.	Registrar, Govt. Secretariat.	12—8-52	6. 66	
35.	Asstt. Director (St.)	7—8-54	23. 62	
36.	Shri Richapal Singh.	24-11-52	34. 62	
37.	Shri Malkani (Bikaner)	17-12-52	5. 08	
38.	Shri G. S. Gupta.	10—1-53	21. 64	
39.	Mrs. Shah.	17-12-52	12. 50	
40.	Shri H. S. Bhatnagar.	27-12-52	5. 53	

Page No.117

	2	3	4	5
41.	Shri Kamal Kumar Bhatnagar.	27-12-52	1. 97	
42.	2nd Indian Trade Exh.	1956-57	294. 12	
43.	Cooperative Union, Delhi.	20-6-50	304. 53	
44.	Shri Y. Keshava Menon.	1952-	442. 52	
45.	Shri N. Saxana.	27-12-52	6. 94	
46.	Estate Officer, PWD.	12-12-55	48. 22	
47.	Shri A. K. Mathur.	24—4-53	20. 12	
48.	Shri Abaul Haq Sadiqui,	24—4-53	00. 44	
49.	Principal, M. College.	9--2-53	32. 00	
50.	Asstt. Director, Industries, Udaipur.	1956-57	1292. 27	
51.	Shri K. P. Dixit	25-3-53	4. 62	
52.	Shri N. B. Dadu.	25-3-53	3. 62	
53.	Shri T. V. Sabarmaniya.	9-2-53	1. 44	
54.	Capt. Subarmal.	26—3-53	2. 62	
55.	Shri S. D. Khanna.	9—2-53	18. 12	
56.	Shri D. Krishan Rao.	15—2-53	1. 00	
57.	Shri Guru Chara.	18—2-53	5. 87	
58.	Shri Poonam Chand.	28—2-55	131. 12	
59.	Shri R. N. Kaul.	9—3-54	24. 37	
60.	Marketing Officer, Jaipur.	14—4-53	450. 80	
61.	Principal Crafts School.	1955-56	33. 20	
62.	Shri Prabhu Ram.	9—5-53	146. 28	
63.	Shri G. L. Mehta.	12-10-54	10. 62	
64.	Raja Sahib.	2—8-54	126. 56	

1	2	3	4	5
65.	Director, Handicrafts Madras.	10—5-57	270. 80	
66.	Secretary, Industries & Supplies.	10—8-53	51. 00	
67.	All India Handicrafts Board, New Delhi.	10—8-53	00. 12	
68.	Shri S. N. Shukla.	20-5-53	38. 27	
69.	Suspence Account.	13—8-54	115. 91	
70.	Cooperative Union, Delhi (Manager)	4—5-53	518. 50	
71.	Mrs. Bilmoria.	10—8-53	6. 62	
72.	Organiser, Arts Hindaun. (Rural Arts & Crafts)	29—1-54	282. 69	
73.	Director, Backward Class.	18-12-53	181. 98	
74.	Cooperative Union, Delhi.	4—5-53	131. 23	
75.	Shri Mathura Das Mathur.	7—8-54	21. 25	
76.	Shri S. N. Mishtra.	12-10-54	24. 37	
77.	Shri Goswami. O. S. (Ind.) Secretariate.	25—1-54	16. 00	
78.	Director, Social Welfare	30—3-56	9. 18	
79.	Executive Engineer, P W D.	30—1-57	53. 53	
80.	Secretary, Economy Committee.	9—3-54	17. 50	
81.	Handloom Board, Bombay.	19-10-56	65. 00	
82.	A. D. J. C. Bharatpur.	25—9-56	00. 20	
83.	Manager, National Emporium, New Delhi.	7—8-53	577. 19	
84.	Sanganer Air Port.	16—4-57	249. 91	

1	2	3	4	5
85.	Children Museum, Bhavnagar.	15--4-57	108. 56	
86.	Handicrafts Emporium, Mt. Abu.	20--5-57	1558. 90	
87.	D. I. O., Kotah.	23--9-57	3168. 20	
88.	ADIC., Bharatpur.	28--9-57	2703. 87	
89.	D. I. O., Alwar.	12--8-57	731. 12	
90.	R. H. E., Ajmer.	29—9-57	5914. 03	
91.	Supdt. Patrolling.	6-11-57	37. 87	
92.	Director of Industries & Supplies.	10—5-57	261. 56	
93.	D. I. O., Jaipur.	4—1-58	8. 25	
94.	Director, Public Relation.	31—1-58	430. 17	
95.	Executive Engineer, PWD.	2—1-59	116. 21	
96.	Manager, Industrial Estate.	15—4-58	39. 10	
97.	Asstt. Director, Social Welfare.	10—5-58	162. 95	
98.	Manager, Handicrafts. Madras.	11—5-58	291. 80	
99.	Marketing Officer,(Proc.)	19—6-58	28. 23	
100,	Marketing Officer, (Sales)	18—7-58	6. 87	
101.	Asstt. DIC (Mak.)	9—1-59	256. 16	
102.	Dy. Director, Agriculture, Bhilwara.	26—3-59	240. 93	
103.	H. O., New Delhi.		1139. 38	
104.	Registrar, Govt. Secretariat.		6. 66	

	2	3	4	5
105.	All India Handicrafts Board, New Delhi.		152. 82	
106.	Indian Cooperative Union, New Delhi.		3. 71	
107.	The Supervisor, ICAR, Sheep & wool Development Scheme, Jaipur.	28—4-59	25. 40	
108.	Managar, C. I. Emporium, Hydrabad.	6—6-59	562. 47	
109.	Asstt. D I C (M & E).	10—8-59	8. 50	
110.	-do-	11—8-59	46. 01	
111.	-do-	7—9-59	158. 11	
112.	Commissioner, Ajmer Division, Ajmer.	5—9-59	85. 10	
113.	Head Master, Maharaja's Multipurpose Higher Secondary School, Jaipur.	1-10-59	19. 19	
114.	Head Mistress, Shrimati Kamla Neharu Memorial Higher Secondary School, Jaipur.	3-10-59	48. 22	
115.	-do-	28-10-59	13. 98	
116.	Director Public Relation.	13-10-59	95. 03	
117.	Executive Engineer, B& R, Jaipur.	15-10-59	599. 82	
118.	Dy. Director, Sheep & Wool, Jaipur.	15-10-59	99. 00	
119.	Executive Engineer, BSR Tonk.	28-10-59	201. 48	
120.	-do-	28-10-59	24. 78	

1	2	3	4	5
121.	Secretary, Canal Board, Jaipur.	9-11-59	15. 96	
122.	Director, Public Relation, Jaipur.	10-11-59	452. 02	
123.	-do-	2-12-59	1806. 24	
124.	Marketing Officer (D)	3-12-59	18. 00	
125.	Astt. Director, Handicrafts. Jaipur.	3-12-59	67. 48	
126.	—do—	26-12-59	27. 93	
127.	Director Pubic Relation. Jaipur.	9-12-59	261. 78	
128.	Director, Animal Husbandry, Jaipur.	26-12-59	88. 13	
129.	Forest Divisional Officer, Jaipur.	5—1-60	120. 55	
130.	Director, Public Relation, Jaipur.	9—1-60	173. 00	
131.	Director, Local Bodies, Jaipur.	12—1-60	62. 38	
132.	Asstt. Director, Social Welfare, Jaipur.	18—1-60	577. 89	
133.	Principal, Vatenary College, Bikaner.	20—1-60	38. 38	
134.	—do—	26—1-60	39. 45	
135.	Director, Animal Husbandry, Jaipur.	30—1-60	17. 83	
	Total....		37, 952. 31	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ का उत्तर देखिये)

टौंक जिले के प्राईवेट कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स की सूची

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	फार्म
१	२	३
१.	उनियारा	१. श्री सरदारसिंह, उनियारा।
२.		२. श्री गंगासिंह, उमर हिन्डोली।
३.		३. श्रीमती बुध कुमारी और रघवीन्द्र-सिंह दूनी।
४.	मालपुरा	४. श्री भंवर अशोक कुमार, सिंडौली।
		५. श्री सांवलसिंह पुत्र गुलाबसिंह दूधादेबिल
		६. श्री ठुकराम शेखावत, झारलीलाम्बा हरिसिंह।
		७. श्री ठा० खेमसिंह, दूधादेबिल।
		८. श्री कुशलसिंह, झाराली।
		६. श्री ठा० शार्दूलसिंह, पाडले।
		१०. श्री नवीन भारत इन्डस्ट्रीज, मालपुरा।
		११. श्री अशोक कुमार, डीग्गी।
		१२. श्री नारायणसिंह, डिग्गी।

———

परिशिष्ट

टौंक जिले में सन् १६५८-५६ व १६५६-६० में प्राईवेट कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स के मालिकों को दी गई धनराशि की सूची

क्रम संख्या	पंचायत समिति का नाम	धनराशि जिनको दी गई	दी गई धनराशि	
			५८-५६	५६-६०
१	२	३	४	५
१.	निवाई	१. श्री गिर राज सिंह ग्राम डांगर	–	३०००) रु०
		२. श्री हरी सिंह ग्राम डांगर थल	–	१०००) रु०
२.	मालपुरा	१. श्री राम सहाय पाटोदी मालपुरा	३०००) रु०	–
		२. श्री राम गिलोल पाटोदी मालपुरा	३०००) रु०	–
		३. श्री नारायणसिंह	२५००) रु०	–
३.	टौंक	१. श्री अमरसिंह ग्राम खलीलपुरा	–	४०००) रु०

———

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ का उत्तर देखिये)

List showing the name and addresses of the Manufacturing concerns, producing Cycles, Cycle parts, Sewing Machine, Wire Nails, nettings and nut & Bolts and Quota of Iron Steel allotted to each of the concerns during The year 1958-59 and 1959-60.

S. No.	Name of the party.	1957-58 958-159 1st.	2nd.	3rd.	4th	1959-60. 1st.	2nd.	3rd. & 4th.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Nil.					(In tons)		
	CYCLE PARTS.							
1.	M/s Ahemadji S/o Bhurji Pokhran House Inside Soj-ate Gate Jodhpur. (Hubs & Excle wheels.)	—	—	—	—	2	12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Chand Mal Surajmal Jalory Gate, Jodhpur. (Cycle Pumps & Handles.)	—	5	7	7	11	12	31
3.	National Industries, Gangori Bazar, Jaipur (Cycle Saddles.)	—	5	5	8	11	8	10
4.	National Cycle Works, Brahmpuri, Jaipur (Mudgaurd & Chains)	--	--	15	45	50	38	44
5.	National Industries Works, Kaj-or-ka-Bara. Ajmer (Cycle-Handles & Carriers.)	--	5	5	7	8	6	40
6.	R. C. A. Industries, Dhan-ka-Thar Bikaner. (Carrier & Stands).	—	3	3	7	7	5	10
7.	V.R. Iron Kursi Store, Near City Kotwali, Bikaner. (Cycle Stand.)	—	—	1	4	4	3	8
8.	Janta Cycle Seat Ind. Bus Stand Alwar. (Cycle Seats)	—	—	—	—	—	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Ajay Industrial Corp. Agra Bombay Road, Dholpur. (Cycle spare parts).	—	—	—	—	—	3	24
10.	M/s Excel Engineering Works. Shriji-ki-Mori, Jaipur. (Cycle Hubs.)	—	—	—	—	—	27	53
11.	M/s R. B. Khandelwal &Co., Opp. Haldiyon-ka House, Johari Bazar, Jaipur.	—	—	—	—	—	—	2
12.	M/s Adarsh Industrial Corp. Udaibhan ganj, Dholpur.	—	—	—	—	—	—	3
13.	Ashok Iron & Steel Works. Near Sugar Mills, Sri Ganganagar.	—	—	—	—	—	4	14
	(NUT & BOLTS)							
14.	Nokha Industrial Cooperative Society, Nokha.	—	—	—	—	—	2	Recommendation not recd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	The Ajmer Nut & Bolt Factory, Pipli Banglow No. 197 Beawar Rd. Ajmer.	—	—	—	—	—	—	2
	(PRODUCING CYCLES)							
16.	Rajasthan Cycle Parts & Jaipur (Cycle Assembling)	—	—	—	9½	12	25	47
17.	M/s R. S. Brothers Bakshji-ka-Chauk, Jaipur.	—	—	2	7	10	12	24
18.	Jaipur Cycle & Parts Ind. Jaipur.	—	—	—	—	10	18	26
19.	Rajasthan Cycle Industries Gangori Bazar, Jaipur.	—	10	30½	55	72	56	106
20.	Elite Engineering, Jodhpur.	18	18	20	20	20	20	42
21.	Laxmi Cycle Industries, Bharatpur.	—	—	—	—	—	—	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WIRE NAILS.					
22.	Ganeriwal Wire Nail & Pannel Pins Products. E-31, 'C' Scheme Ashok Nagar, Jaipur.	—	—	—	—	—	4	18
23.	Jain Steel Industries, Ganganagar.	—	—	—	—	—	4	18
24.	Fatehpuria Iron Industry, Sadulpur. (Churu).	—	—	2	2½	15	2	18
25.	Rajasthan Wire Nails, Mfg. Co., Bandri-ka Nasik, Jaipur.	—	—	—	—	—	4	18
26.	Rajasthan Wire&Shee Products-Nayapura, Kotah.	—	—	—	—	—	—	8
27.	Rajasthan Wire Industry Sadulpur, Distt. Churu.	—	—	—	—	—	4	Not recommended.
28.	Kaushik Engineering Works, Naya Shahar, Bikaner.	—	—	—	—	—	4	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Rajasthan Ispat Products, Dev- Niwas, Bhajanganj, Ajmer, (Wire Nail & Barbed Wired.)	—	—	—	—	—	—	50
30.	The Modern Industries,Polo victory, Jaipur.	—	—	—	—	—	4	Not recommended
31.	Rajasthan Iron & Steel Ind. Purani Abadi, Ganganagar.	—	—	—	—	—	4	,,
32.	Bhandari & Sons, 37-New Colony, Jaipur.	—	—	—	—	—	4	Not final
33.	Heera Lal Dhadda, Gopalji-ka-Rasta, Jaipur.	—	—	—	—	—	4	,,
34.	Orient Trading Co., Pali.	—	—	—	—	—	4	,,
35.	Haldiya Brothers, Alwar.	—	—	—	—	7	Not given	Not given
			SEWING MACHINES.					
36.	Asha Udyog, City Palace Road Gangauri Bazar, Jaipur,	—	—	—	—	5	,,	Not given

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	The Small Industries Coop. Society, Achrol Thakur Saheb ka Rasta, Jaipur.	—	—	—	—	--	10	19
38.	M/s Dayal Industries, Gangoli Bldg., Jaipur.	--	—	—	—	5	--	Not given.
39.	Jaipur Agencies, Tonk House ,Jaipur.	—	--	--	—	5	Not . . given. work not yet stated	
	WIRE NETTING.							
40.	Ashoka Wire Setting Industries, S.M.S. Highway, Jaipur.	—	—	—	12	18	6	106
41.	Jaipur Wire Netting Industry, Shriji-ki-Mori, Jaipur.	—	--	--	--	--	4	Not final
42.	Khandelwal Udyog Purani Basti, Bagroo-walon-ka-Rasta, Jaipur.	--	—	—	—	12	5	35
43.	Narendra Nath Amarnath, Raisinghnagar.	—	5	7	15	22	8	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	Rajasthan Wire Products, Adarsh Nagar, Ajmer.	—	—	—	—	—	5	5
45.	Rajasthan Wire Netting Industry, Neem-ka-Thana, Sikar.	—	—	—	—	5	3	Not given.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५१ का उत्तर देखिये)

पोलीटेक्नीक संस्थाओं की छात्र संख्या की सूची।

	संस्था का नाम	छात्र संख्या	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	योग
१.	पोलीटेक्नीक जालोर	१०३	६०	४३	१०३
२.	जोधपुर पोलीटेक्नीक	३७१	२३८	१३३	३७१
३.	उदयपुर पोलीटेक्नीक	१५३	१००	३९.१४	१५३
					६२७

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Education 'B' Dapartment

No. D. 15017/F. 20 (35) Edu/B/59 Dated 30-12-59

ORDER

It has been the policy of the Govt. to encourage the propagation of Sanskrit as the fountain head of most of Indian languages. With a view to implement this policy and to improve the conditions of Sanskrit Education, Government set up a committee in the year 1955 and most of the recommendations made by the committee have been implemented.

In order to advise the Govt. of Rajasthan from time to time for advancement of Sanskrit learning and spread its education it is desirable to have a Standing Advisory Body. A Rajasthan Advisory Board for Sanskrit Education is therefore, constituted as follows :—

1.	Shri L. L. Joshi, Chairman, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.	Chairman
2.	Shri Jaswant Singh, M. P., Bikaner	Member
3.	Shri Janardan Rai Nagar, President, Sahitya Akademi Udaipur	-do-
4.	Shri Devi Shankar Tiwari, Chairman, Urban Improvement Board, Jaipur	-do-
5.	Shri Mathuralal Sharma, Head of the History Deptt., University of Rajasthan, Jaipur.	-do-
6.	Shri Girdhar Sharma Chaturvedi	-do-
7.	Shri Bhatta Mathuranath Shastri, Jaipur	-do-
8.	Shri Motilal Shastri, Durgapura (Jaipur)	-do-
9.	Shri Kanhaiyalal Nyaya Acharya, Jaipur	-do-

10. Shri Chandra Shekhar Sharma, Principal, Sanskrit college, Jaipur -do-

11. Shri Kharagnath Mishra, Principal, Sanskrit College, Udaipur -do-

12. Shri Anandilal, Adhyaksha, Hindi Vibhag, Nathdwara -do-

13. Shri Rameshwar Ojha, Head of Sanskrit Deptt, Government College, Ajmer. -do-

14. Shri Nitya Nand Shastri, Chand Baori, Jodhpur -do-

15. Shri Vidya Dhar Shastri, Retd. Professor of Sanskrit, Bikaner. -do-

16. Dr. Mandan Mishra, Sanskrit College, Jaipur. -do-

17. Shri Bhanwarlal Shastri, Principal, Vithalnath Pathshala, Kotah. -do-

18. Shri Vardhi Chand Shastri, Jaipur. -do-

19. Shri Vishnu Dutta Sharma, Education Secretary -do-

20. Shri S. S. Saxena, Director of Education, Bikaner. -do-

21. Shri K. M. K. Sharma, Director of Sanskrit Education, Rajasthan, Jaipur. -do-

The non-official members of the board be treated as Class I officers for purposes of T. A. and D. A. in accordance with note 1 & 3 below Rule 10 of the Rajasthan T. A. Rules.

By order,

(Vishnu Dutta Sharma)

Secretary to the Government.

Copy of order No. F. 1 (19 16) Edu/B/56 dated 17.12.57 from the Secretary to the Government of Rajasthan, Education Deptt., Rajasthan, Jaipur to Education 'A' and 'C'.

The Governor has been pleased to order that persons who had passed Praveshika (Madhayama and Upadhyaya) Shastri and Acharya with English and other subjects according to the revised curriculum prescribed in 1954 might be equated with High School, Intermediate, B. A. and M. A. respectively for purpose of pay scales in Government service. They would also be eligible for appointment to ministerial, Subordinate, and Educational Services for which the qualification of High School, Intermediate B. A. and M. A. were prescribed.

Copy of order No. F. 4 (32) GA/A/58 dated 28th August, 1959, from the Chief Secretary to the Government of Rajasthan, General Administration Deptt. 'A', Jaipur, to the Director of Sanskrit Education, Rajasthan, Jaipur.

Sub : Recognition of Sanskrit Examination

In partial modification of the Education 'B' Department order No. F. 1 (19 16) Edu/B/56 dated 17.12.57 the Government have been pleased to recognise the Praveshika, Madhyama and Upadhyaya Shastri and Acharya Examinations with English and other subjects according to the revised curriculum prescribed in 1954 as equivalent to High School, Intermediate, B. A. and M. A. Examinations respeetively for purposes of appointment under the Rajasthan Government.

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम फर्म	दर
१.	कानपुर ड्राइंग एन्ड क्लोथ प्रिंटिंग कं० लि०, कानपुर	१. पुलिस विभाग के सीलबन्द नमूने के अनुसार ६ रु० ५० न० पै० प्रति दरी २. फर्म के (क) नमूने के अनुसार ७ रु० ७५ न० पै० प्रति दरी ३. फर्म के (ख) नमूने के अनुसार ५ रु० २५ न० पै० प्रति दरी ये दरें एफ. ओ. आर. जयपुर हैं, और इनमें अन्तर्राज्य बिक्री कर शामिल नहीं है।
२.	मनोहर प्रकाशन, जयपुर	८ रु० ६१ न० पै० प्रति दरी।
३.	जेल विभाग, राजस्थान, जयपुर राज्य	४ पौंन्ड ४ औंस वजन की दरी जिसमें २ से ४ औंस तक की घटत-बढ़त एफ. ओ. आर. राजस्थान की जेल १० रु० १३ न० पै० प्रति दरी तथा बिक्री कर यदि, कोई हो।
४.	काशा इन्डस्ट्रीज़, कानपुर	१. पुलिस विभाग के सील बन्द नमूने के अनुसार ६ रु० ४४ न० पै० प्रति दरी एफ. ओ. आर. जयपुर। २. फर्म के नमूने (क) के अनुसार ७ रु० ६५ न० पै० प्रति दरी ३. फर्म के नमूने (ख) के अनुसार ६ रु० ६४ न० पै० प्रति दरी

१	२	३
५.	मोतीलाल एन्ड कं०, जोधपुर	१. पुलिस विभाग के सीलबन्द नमूने के अनुसार ९ रु० ११ न० पै० प्रति दरी २. नमूना नं० १ के अनुसार ८ रु० ४१ न० पै० प्रति दरी ३. नमूना नं० २ के अनुसार ७ रु० ४१ न० पै० प्रति दरी इन दरों में बिक्री कर शामिल नहीं है।
६,	प्रेमनाथ भार्गव एन्ड कं०, जयपुर	राजस्थान द्वारा स्वीकृत नमूने के अनुसार ३ पौं० ६ औंस वजन की दर ६ रु० २० न० पै० बिक्री कर के अलावा, यदि लागू हो।
७.	इन्डस्ट्रियल वर्क्स, जयपुर	६ रु० १५ न० पै० प्रति दरी जिसमें सब कर शामिल हैं, एफ. ओ. आर. जयपुर माल गाड़ी द्वारा पूरे माल की डिलीवरी में ५ माह से अधिक लग सकते हैं।

———

परिशिष्ट [१९३१

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF POLICE,
RAJASTHAN, JAIPUR.

No. PHQ/Store/Cloth/7/59/1461 Dated. 18.3.59

TENDER NOTICE.

To :

Sealed tenders are invited for the following so as to reach this office by 30.4.59 upto 11 A. M. For each item separate tender on the prescribed forms will have to be submitted.

2. Full particulars and tender forms can be had from the office of the undersigned on payment of Rs. 5/- as tender fee for each item by Postal Order.

S. No.	Name of the articles.	Quantity to be purchased.
1.	Red turban cloth.	12,000 yards.
2.	Khaki cellular cloth.	50,000 yards.
3.	Khaki Drill	60,000 yards.
4	Ammunition boots.	15,000 pairs.
5.	Leather belt	2,000
6.	Khaki woolen socks.	35,000 pairs.
7.	Belt clasps	2,000
8.	Durries.	35,000
9.	Whistles.	2,000
10.	Mosquito nets	15,000
11.	Cheverons for Head Constables.	1,500

1	2	3
12.	Canes.	25,000
13.	Whistle cords.	2,000

Sd/- GOVERDHAN, I. P. S.
Inspector General of Police,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ का उत्तर देखिये)

विकास खंड रायपुर द्वारा खरीदे गए सामान की सूची

क्रम संख्या १	फर्म का नाम २	धनराशि ३	सामान ४
१.	राजपुताना स्टेशनरी मार्ट जोधपुर	१३२७.८१	स्टेशनरी
२.	मोतीलाल एण्ड कम्पनी, जोधपुर	१२३.००	स्टेशनरी
३.	साधना साहित्य सदन, जोधपुर	१६१.००	राजकीय प्रकाशन
४.	रीगल स्पोर्ट्स, जोधपुर	६६२६.५६	विद्यालयों एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए वस्तुएं ।
५.	फ्लाईंग स्पोर्ट्स, जोधपुर	६८५.००	विद्यालयों एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए वस्तुएं ।
६.	गवर्नमेंट प्रेस, जोधपुर	२६७.४२	स्टेशनरी के छपे हुए प्रपत्र (फार्म)
७.	खादी भंडार, जोधपुर	४६१.६५	वर्दियां
८.	किशननारायण एण्ड सन्स	८८.८१	तस्वीरें और मेज के ग्लास
९.	लोढा रबर स्टाम्प्स कम्पनी, जोधपुर	७.५०	मोहरें,
१०.	किताब घर, जोधपुर	०.२०	पुस्तक
११.	यंग फ्लाईंग स्पोर्ट्स, जोधपुर	३.५०	कपड़े के थैले
१२.	बाटवानी ब्रादर्स, जोधपुर	४२.२५	स्टेशनरी
१३.	बादारी प्रिंटिंग वर्क्स, जोधपुर	६.००	नेम-प्लेटें लकड़ी की

दुकानदार जिन्हें कोटेशन के लिए सूचना दी गई और जिन्होंने कोटेशन दिए उनकी सूची

१. राजपुताना स्टेशनरी मार्ट, जोधपुर।

२. सूरजराज एण्ड कम्पनी, जोधपुर।

३. राठी ब्रादर्स, जोधपुर।

४. मोती लाल एण्ड कम्पनी, जोधपुर।

५. साधना साहित्य सदन, जोधपुर।

६. रीगल स्पोर्ट्स, जोधपुर।

७. फ्लाईंग स्पोर्ट्स, जोधपुर।

८. बी. ए. ग्रान्ड स्टोर्स, जोधपुर।

९. आर. के. एण्ड कम्पनी, जोधपुर।

१०. खादी भण्डार, जोधपुर।

११. किशननारायण एण्ड सन्स, जोधपुर।

१२. लोढा रबर स्टाम्प एण्ड कम्पनी, जोधपुर।

१३. किताब घर, जोधपुर।

१४. यंग फ्लाईंग स्टोर्स, जोधपुर।

१५. वाटवानी ब्रादर्स, जोधपुर।

१६. बादारी प्रिंटिंग वर्क्स, जोधपुर।

अलग २ टेन्डर में दी गई सामान के दरों की सूची

संख्या	नाम वस्तु	मेसर्स सूरज राज एण्ड क०	राजपूताना स्टेशनरी मार्ट	राठी ब्रादर्स	मोतीलाल एंड क०
१	२	३	४	५	६
१.	सफेद पेपर	१० पर रीम	६. ४५ प्रति रीम	१० रु० प्रति रीम	–
२.	रूल पेपर	.५६ पर क्वायर	१०. २५ प्रति ,,	१०. ५० ,, ,,	–
३.	स्याही की टिकियां लाल आसमानी	२. ०० पर टीन	१. ८१ पर टीन	२, ०० पर टीन	–
४.	पेन्सिल न० ३६	०. ५० पर पेंसिल	४. २५ पर दर्जन	४. ५० दर्जन	–
५.	आसमानी बोतल	१. २५ पर बोतल	१. २५ पर बोतल	१. २५ पर बोतल	–

१	२	३	४	५	६
६.	स्याही इरा पर सेडों	०. ७५ प्रति	४. २५ दर्जन	४. ५० दर्जन	—
७.	निब वेवरली	२. ०० दर्जन	१. ६४ दर्जन	२४. ०० प्रति डिब्बी	—
८.	गोल्ड विंग नीब	१. ७५ दर्जन	१. ५० दर्जन	२१. ०० प्रति डिब्बी	—
९.	स्याही रबर	. ७५ प्रति	८. ७५ दर्जन	६. दर्जन	
१०.	पेन्सिल लाल आसमानी	३. ५० दर्जन	६. ५० दर्जन	१०. ५० दर्जन	—
११.	पेन्सिल कोपिंग	३. ०० ,,	३. ०० ,,	३. ०० ,,	
१२.	पेन्सिल ओर्डीनरी	०. १२ प्रति	१. २५ दर्जन	१. २५ ,,	
१३.	गोंद	६. ५० सेर	६. २५ सेर	६. ५० सेर	
१४.	टेग्ज़	७. ५० प्रति सौ २. ५० ,, ,,	. ०५० प्रतिसौ	७. ५०. १०००	
१५.	टाईप रिबन कोप	२. १२ प्रति दर्जन	२. ३७ प्रति दर्जन	२. ५० प्रति दर्जन	
१६.	कांच की दवातें	—	१. ७५ दर्जन	२. २५ दर्जन	-

१	२	३	४	५	६
१७.	कलमदान साधारण कांच के	२. ०० प्रति	१. २५ प्रति	२४. ०० दर्जन	
१८.	कलम दान स्पेशल ७X५X३६	७. ५० प्रति	६. ५० प्रति	७. ५० प्रति	
१९.	होल्डर बढ़िया	२. ०० प्रति दर्जन	१२.०० दर्जन	१५. ०० दर्जन	
२०.	होल्डर साधारण	·७५ प्रति	३. ५० प्रति १.५०	२. २५ दर्जन	
२१.	फाईल पेड	—	८. २५ दर्जन	६. ५० दर्जन	
२२.	स्टेंसिल पेपर	१३. ५२ प्रति दर्जन १. १२ प्रति	१३. प्रति दस्ता	१३. ५२ प्रति दस्ता	
२३.	पीन, सीट	१९. प्रति दर्जन	१. प्रति दर्जन	१. ६ प्रति दर्जन	
२४.	फाइल लेस	—	१. ७५ ग्रोस	२. ०० प्रति ग्रोस	
२५.	फाइल कवर	२. २५ प्रति दर्जन	२.०० प्रति दर्जन	२. २५ प्रति दर्जन	
२६.	ब्लॉटिंग बढ़िया	३. २५ प्रति	३.०० प्रति	४. ५० प्रति	
२७.	ब्लॉटिंग साधारण	२. ०० प्रति	२१.०० दर्जन	२४. ०० दर्जन	

१	२	३	४	५	६
४१.	कचरा डालने की टोकरी	५. ०० प्रति	३. २५ नग	५. २५ प्रति नग	
४२.	सील स्टेंड	२. ५० प्रति	२. ०० ,,	२. २५ ,, ,,	
४३.	फ्रेम क्लिप	४४ प्रति पैकिट	३७ ,,	६ रु प्रति दर्जन	
४४.	कोन्फीडेन्शियल बोक्स	३० प्रति सेर	४०. ०० २५. नग	३० प्रति नग	
४५.	धागा	४. ५० प्रति दर्जन	२०. पौंड	४. २५ पौंड	
४६.	रजिस्टर एक दस्ता	१२. ६ दर्जन	२ दर्जन	१२. २५ प्रति दर्जन	
४७.	,, ,, दो ,,	१६. ७५ प्रति	१८. ७५ दर्जन	१६. ५० प्रति दर्जन	
४८.	,, ,, तीन ,,	२५. ५० ,, दर्जन	२४. ७५ ,,	२५-५० प्रति दर्जन	
४९.	पिक्रोन बुक	२ प्रति	१. ७५ नग	१. ८८ प्रति	
५०.	गोंद की शीशी दो औंस	.४४ प्रति	५. ०० दर्जन	५. २५ प्रति दर्जन	
५१.	टेबिल का कांच २८×२३	—	१२ नग	१२. ५० प्रति नग	

१	२	३	४	५	६
२८.	आरी	४. ५० प्रति दर्जन	४. ५० दर्जन	६. ०० दर्जन	
२६.	घण्टी बढ़िया	१५. ०० प्रति	१३. ५० प्रति	–	
३०.	,, साधारण	२. २५ प्रति	२. प्रति	३०. प्रति दर्जन	
३१.	पिन कुशन बढ़िया	१. ५० प्रति	३. ५१ प्रति	१. २५ प्रति	
३२.	पिन कुशन साधारण	. ७५ प्रति	७. ०० दर्जन	६. ०० प्रति दर्जन	–
३३.	पेन्सिल छीलने का चाकू	. ५० प्रति	. ५० नग	६. ०० ,, ,,	
३४.	पेन रेक	१८. ०० प्रति दर्जन	१. २५ नग	१. २५ प्रति	
३५.	पेपर वेट अच्छे	२. ५० प्रति	१. ७५ नग	३. ०० प्रति नग	
३६.	,, ,, साधारण	७. ५० प्रति दर्जन	. ५० नग	६. ०० प्रति दर्जन	
३७.	पंचिंग मशीन छोटी	१. ७५ प्रति	. ५० नग	२४. ०० दर्जन	
३८.	,, ,, बड़ी	४. ०० ,,	३. २५ ,,	३. ५० प्रति	
३९.	कैंची	२. ०० ,,	२. ०० ,,	२. ५० ,,	
४०.	पेपर कटर	१. ०० ,,	१. ०० ,,	१२. ०० प्रति दर्जन	

१	२	३	४	५	६
५२.	क्लीफ बोर्ड	३ प्रति	२. २५ प्रति	२. ७५ प्रति नग	
५३.	पेड किलींग	—	—	३. ७५ प्रति नग	
५४.	स्टाम्प इंक	५० प्रति	५. ५० प्रति दर्जन	६. प्रति दर्जन	
५५.	पीन मशीन	७. ५० प्रति	७. ५० प्रति	७. ५० प्रति नग	
५६.	स्टाम पेड	३ प्रति	२. ५० प्रति	३. ,, ,,	
५७.	,, ,, मीडियम	१ प्रति	६ ४ प्रति	१. ,, ,,	
५८.	रूल	—	१. ०० प्रति	१५. ०० दर्जन	
५९.	स्केल इलास्टिक	४४ प्रति	४. ५० प्रति दर्जन	४. ५० दर्जन	
६०.	टेब्ल डायरी	३ प्रति	२. ५० प्रति	२. ७० नग	
६१.	डी. ओ. लिफाफा	२. ०० प्रति सौ	२३.५० प्रति हजार	२०. ०० हजार	
६२.	एंगेजमेंट पेड	१. ५० प्रति	१. ५० प्रति	१. ५० नग	
६३.	बाउन्ड कॉपी ३२०	—	१. २० प्रति	१५. ०० दर्जन	
६४.	स्टेन्सिल पेन्सिल	५.०० प्रति	३. ५० प्रति	५. २५ प्रति नग	

१	२	३	४	५	६
६५.	स्टेंन्सिल प्लेट	१०,०० ,,	१० ,,	१०. ५० नग	
६६.	डस्टर	—	१. ५०	१. ५० नग	
६७.	टाइप पेपर	७. ०० प्रति रीम	५. ५० रीम	५. ५० रीम	
६८.	टाइप कारबन	३. ६२ प्रति सौ	३. ७५ रीम	३. ६० प्रति	
६९.	डुप्लीकेटिंग पेपर	६. ५० प्रति रीम	७. ५० रीम	६. ५० प्रति रीम	
७०.	पेन्सिल कारबन	०. २५ प्रति शीट	३. ५० दस्ता	४. ०० दस्ता	
७१.	ब्लोटिंग पेपर	२. ०० प्रति दस्ता	१. ६४ दस्ता	२. ०० दस्ता	
७२.	क्लिककफाईल	—	७. ५० दर्जन	२. ७५ नग	
७३.	डेट सीटेल	३. ५० प्रति	२. प्रति	२. ०० नग	
७४.	ड्राइंग पेपर	१. ५० प्रति	६. ५० दर्जन	६. ७५ दर्जन	
७५.	कलर बक्स	६ प्रति नग	६. ०० प्रति	६. २५ नग	
७६.	लेटर बलेन्स	१६. ७५ प्रति	१६. ५० प्रति	१७. ०० ,,	
७७.	इन्स्ट्रूमेन्ट बोक्सं	—	—	५५. ०० ,,	

क्र० सं०	नाम संख्या	फ्लाईंग स्पोर्ट जोधपुर	रीगल स्पोर्ट जोधपुर	बी. ए. ग्रान्ड स्पोर्ट जोधपुर	विवरण
१	२	३	४	५	६
१.	फुटबाल नं० ३ कवर सिर्फ १ लेस	१०–००	१०–००*	११–५०	—
२.	फुटबाल एक्स्ट्रा स्पेशल	,,	८–००*	६–००	
३.	फुटबाल कवर नं० ४	१२–००	१२–००	१३–००	
	,, एक्स्ट्रा स्पेशल	–	१०–००	११–००	
४.	फुटबाल कवर नं० ५	१५–००	१४–००	१५–७५	
	,, स्पेशल	–	१६–००	१८–५०	
	,, टी. इम्प्रूव्ड	११–००	१२–००	१३–५०	
५.	वालीबॉल कवेर	१२–००	१६–००	११–५०	
	,, टी. इम्प्रूव्ड	११–००	८–००	६–५०	
	,, रेगर्स	–	१२–००	१३–००	

Page No.150

१	२	३	४	५	६
६.	ब्लेडर कोहीनूर	१–२५	१–१२	१–२५	
	नं० ३	१–२५	१–१२*	१–२५	
	नं० ४				
	नं० ५	१–५०	१–२५	१–५०	
७.	राउन्डर बैट	२–२५*	२–८०	३–००	
८.	,, ,, बाल	१–००*	१–००	१–१२	
९.	पिक्चर कब्स	१–७५	२–००	२–२५	
१०.	टैकिट रींग	२–७५	२–५०*	२–७५	
	,, नैस्ट	२–८०	२–००*	२–२५	
११.	कैनो कोपलेट सेट फुल साइज़	२०–००	१६–००	१८–००	
	,, बीडिंग साइज़	१५–००	१०–००*	१२–००	
१२.	बैगाले लार्ज साइज़	१२–००	१०–००	११–००	
	,, बीडिंग साइज़	१०–००	८–००	९–००	
	स्माल साइज़	८–००	६–००*	७–००	

१	२	३	४	५	६
१३.	स्नेकस ऑफ लेडर लार्ज साइज़	२–००	१–८०	१–७५	
	,, स्माल साइज़	०–४७	०–४७*	०–६०	
१४.	लूडो लार्ज साइज़	२–८०	१–८०	१–७५	
	,, स्माल साइज़	१–००	०–४७	०–६०	
१५.	ट्रेड	२–८०	२–००*	२–५०	
१६.	गुफला डोर ब्रास	४–२५	४–८०	८–००	
१७.	लूडो	०–२५	०–१२	०–२०	
१८.	वॉली बाल नैट	०–१६	०–१५	१६–८०	
१९.	चैस बार	४–८०	३–८०	४–००	

* The articles noted have only been purchased as the rates are lowest.

Page No.152

क्र० संख्या	नाम वस्तु	फ्लाईंग स्पोर्ट्स जोधपुर	रीगल स्पोर्ट्स जोधपुर	श्री ०अ० एण्ड स्पोर्ट्स जोधपुर	
१		३	४	५	६
१.	फर्स्ट एड चार्ट सेट ७	२५–००	२२–००*	२५–००	
२.	वर्ण माला	१–३७ पर सेट*	१–५० पर सेट	१–७५ पर सेट	
३.	गिनती के चार्टस	१–३१ ,, ,,*	१–५० ,, ,,	१–७५ ,, ,,	
४.	नेशनल एनथन	२–०० ,, ,,	१–५० ,, ,,*	१–७५ ,, ,,	
५.	मैप आफ राजस्थान	४–०० प्रति	३–०० प्रति*	३–५० प्रति	
६.	पिक्टोरियल मैप ऑफ इन्डिया	७–०० ,,	६–०० ,,*	६–७५ ,,	
७.	रमाल बोक्स	२–७५ ,,	१–७५ ,,*	२–०० ,,	
८.	रोलअप ब्लैकबोर्ड २'×३'	४–०० ,,	३–०० ,,*	३–६० ,,	
९.	ब्लैक बोर्ड २'×३'	१२–०० ,,	१०–०० ,,*	१२–०० ,,	
१०.	वाल फ्रेम्स	१०–०० ,,	८–०० ,,*	९–०० ,,	
११.	ग्लोब हिन्दी	२२–०० ,,	२०–०० ,,*	२२–०० ,,	

१	२	३	४	५	७
१२.	डेनी प्रोटिज	४—०० ,,	३—५० ,,*	३—७५ ,,	
१३.	आइरेन बकलेट्स १२"	५—०० ,,	४—५० ,,*	५—०० ,,	
१४.	लोटा ब्रास	४—०० ,,	३—०० ,,*	३—५० ,,	
१५.	लोक्स गोदरेज	३—०० ,,*	४—०० ,,*	४—२५ ,,	
१६.	आईरन बोक्स साकल	५—०० ,,	४—५० ,,*	४—७५ ,,	
१७.	स्लटेस एज़ पर सेम्पील	१—७० ,,	०—७० ,,*	५—०० ,,	
१८.	स्लटेस ओगले	—	—	१—६० ,,	
१९.	स्लेटेस	१—४७ ,,	०—४७ ,,*	०—५० ,,	
२०.	चाक बोक्स	—५० ,,	०—३४ ,,*	०—४० ,,	
२१.	लेन्टर्न प्रभाकर	५—०० ,,	४—५० ,,*	५—०० ,,	
२२.	प्रेट्रोमैक्स प्रभात	५०—०० ,,	४६—८० ,,*	४६—०० ,,	
२३.	आइरन बोक्स २४"×१२"×१५"	२०—०० ,,	१८—०० ,,*	२०—०० ,,	

* The articles noted have only been purchased as the rates are lowest.

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ का उत्तर देखिये)

The rates of the Scholarship for students in each Category are as under:—

1.	Students reading in Pre-University course and Ist Year of T. D. C. in Commerce and Arts.	30/— P. M. (for ten months) 50/— Non—Recurring Aid for books and fees etc.
2.	Student reading in Pre-University Science and post High/Higher Secondary Schools, Diploma course in Polytechnic Vity. Agriculture and other Technical subjects.	35/— P. M. (for ten months) 75/— Non-Recurring Aid for books and fees etc.
3.	Under Graduates in Arts & Commerce.	35/— P. M. (for ten months) 50/-- Non-recurring Aid for books and fees etc.
4.	Under Graduates in Science. including Vity. and Agriculture.	40/— P. M. (for ten months) 75/— Non-recurring Aid for books and fees etc.
5.	Post-Graduate in Arts & commerce.	50/— P. M. (for ten months) 100/— Non-recurring Aid for books and fees etc.
6.	Post-Graduate students I. Sc.	60/— P. M. (for ten months) 125/- Non-recurring Aid for books and fees etc.
7.	Students reading in Ist Year of the Medical and Engineering Colleges.	75/-- P. M. (for ten months) 150/- Non-recurring Aid for books and fees etc.

Director of Education,
Rajasthan, Bikaner.

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ११ मार्च, १९६०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२३९७	प्रथम	०९॥) रु०	१९॥) रु०
२३९८	२	डिर्पाटमेंट	डिपार्टमेंट
२४०१	१८	है आपके	है तो आपको
२४०७	अन्तिम से ४	पननाने के	पनपाने के
२४०८	प्रथम	मख्य मन्त्री	मुख्य मंत्री
,,	१७	क्यारिय	क्यारियां
२४२०	१८	पोलीटैक्नक	पोलीटैक्निक
२४३०	१०	be plaesed	be pleased.
२४३५	३	टेन्टर्स नहीं	टेंन्डर्स नहीं
२४३६	१५	श्री हरिभऊ	श्री हरिभाऊ
,,	१८	de prepared	be prepared
२४३८	१४	में परिवतित	में परिवर्तित
२४४०	अन्तिममे ४	इ यूज	इस न्यूज़
,,	,, ,, ३	श्री नाथूराम मिर्ध	श्री नाथूराम मिर्धा
२४४१	२४के पश्चात्	आय-व्ययक १९५९-६०	आय-व्ययक १९६०-६१
२४४४	अन्तिम से५	—	और कब कब से
२४४९	८-९	डिमान्मेट्रशन	डिमॉन्सट्रेशन
२४५४	१३	नगव्यं है	नगण्य है
२४५७	१८	of Wesstern	of Western
,,	२०	कि है	की है
२४५८	७	जिानी	जितनी
,,	२६	हो रहा हैं अगर	अंगर
,,	२७	रेगिस्तान क	रेगिस्तान को
२४६२	शीर्ष	(श्री अनोपसिंह)	—
२४७३	६	परमट देते	परमिट देतें
,,	१४	छुट दी	छूट दी
२४७६	२५	वहां के बाह	वहां के बार
२४८०	१३	जाहता हूँ	चाहता हूं
२४८१	२३	withont	without
२४८६	शीर्ष	वाव विवाद	वाद-विवाद

१	२	३	४
२५०१	१५	डफेक्ट करता	एफेक्ट करना
२५०४	१८	श्री रघुवारसिंह	श्री रघुवीरसिंह
२५०६	५	मग्लेक्ट	निकलेक्ट
,,	१३	नहीं हाता	नहीं होता
२५१५	६-७	मतगब है।	मुतलब है
२५१७	अन्तिम से ३	हैंक की	टैंक की
२५२०	१२	एक्साइज़:	एक्साइज़
२५२१	३	अमेंडटस	अमेंडमेंट्स
,,	१८	खड़े ने	खड़े होने
२५२८	१५	Oder ! Oder !!	Order ! Order ! !
२५३२	१५	बन जवेगी	बन जावेगी
२५३६	६	Honble	Hon'ble
२५३७	अन्तिमसे ५	श्री दामादरलाल	श्री दामोदरलाल
२५४०	१६	और हम	हम और
२५४१	१५	दवा आर	दवा और
२५४५	१४	से कहता	कहता
२५४७	१-२	हो सकता उसका	हो सकता है उसका
२५४८	११	wille ffect	will effect
,,	३०-३१	Mahatmaii	Mahatmaji
२५४९	४	now taxes	new taxes
२५५०	१७	The Governmnt	The Government.
२५७५	शीर्ष	ामान्य वादविवाद	सामान्य वाद-विवाद
,,	१४ व १८	याजना	योजना
२५७६	१६	चलती।	चलती है।
२५८१	३	हुआ टे	हुआ है
२५८३	४	मौक पर	मौके पर
२६३८	सीरियल ३७ के सामने	पंचिम मशीन	पंचिंग मशीन
२६३८	,,४३,, ,,	क्रेम क्लिप	जेम क्लिप